

UTTAR PRADESH REVENUE CODE, 2006
(Last Updated: 05-03-2021)

[CONTENTS]

Sections

Subject

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement
2. Applicability of the Code
3. Extension of the Code
4. Definitions

CHAPTER II
REVENUE DIVISIONS

5. Division of State into revenue areas
6. Constitution of revenue areas

CHAPTER III
BOARD AND THE REVENUE OFFICERS

7. Board of Revenue
8. Jurisdiction of the Board
9. Power to distribute business
10. Decisions of the Board
11. Commissioners and Additional Commissioners
12. Collectors and Additional Collectors
13. Sub-Divisional Officers and Additional Sub-Divisional Officers
14. Tahsildars and Tasildars Judicial.
15. Naib-Tahsildars
16. Revenue Inspectors and Lekhpals
17. Combination of Offices
18. Recovery of money, papers and other Government property
19. Other power of Revenue Officers

CHAPTER IV
BOUNDARIES AND BOUNDARY MARKS

20. Fixation and demarcation of boundaries
21. Obligation regarding maintenance and repair of boundary marks
22. Destruction etc. of boundary marks.
23. Power to require erection, repair or renewal of boundary marks
24. Disputes regarding boundaries
25. Rights of way and other easements
26. Removal of obstacle
27. Revisional powers of Sub-Divisional Office
28. Order not to debar from establishing any right of easement

CHAPTER V MAINTENANCE OF VILLAGE RECORDS

29. List of villages
30. Maintenance of Map and Field Book
31. Record of Rights
32. Correction of records
33. Mutation in cases of succession
34. Duty to report in cases of transfer
35. Mutation in cases of succession or transfer
36. Intimation of transfer and deposit of land revenue
37. Bar against certain suits
38. Correction of error and omission
39. Certain orders of revenue officers not to debar a suit
40. Presumption as to entries
41. Kisan Bahi
42. Duty to produce information or documents

CHAPTER VI REVISION OF VILLAGE RECORDS

43. Notification of record and survey operations
44. Record Officer and Assistant Record Officer
45. Power of Record Officer during record or survey operation
46. Revision of records during record operation
47. Revision of records during survey operation
48. Powers of Record Officer as to erection of boundary marks
49. Procedure of revision of map and records
50. Finalisation of record of rights
51. Preparation of new record of rights
52. Procedure for villages where no records are available
53. Presumption as to the entries

CHAPTER VII OWNERSHIP OF LAND AND OTHER PROPERTIES

54. Title of State in all lands etc
55. Mines and minerals
56. Rights in trees
57. Fruit bearing trees
58. Disputes to be decided by the Collector

CHAPTER VIII MANAGEMENT OF LAND AND OTHER PROPERTIES BY GRAM PANCHAYAT OR OTHER LOCAL AUTHORITY

59. Entrustment of land etc. to Gram Panchayats and other local authorities
60. Superintendence, management and control by Bhumi Prabandhak Samiti
61. Management of village tanks
62. Conduct of suits and legal proceedings
63. Land which may be allotted for abadi sites
64. Allotment of abadi sites

65. Delivery of possession to allottee
66. Inquiry into irregular allotment of abadi sites
67. Power to prevent damage, misappropriation and wrongful occupation of Gram Panchayat property
- 67-A. Certain house sites to be settled with existing owners thereof
68. Gaon Fund
69. Consolidated Gaon Fund
70. Orders and directions of the State Government and the Collector
71. Alternative arrangement
72. Standing Counsel and other lawyers
73. Representation of Gram Panchayat

CHAPTER IX

TENURES

74. Classes of tenures
75. Bhumidhar with transferable rights
76. Bhumidhar with non-transferable rights
77. Bhumidhari rights not to accrue in certain lands
78. Asami
79. Right of Bhumidhars to exclusive possession
80. Use of holding for Industrial, Commercial or Residential purposes
81. Consequences of declaration
82. Cancellation of declaration
83. Recording of declaration or cancellation
84. Right of an asami for exclusive possession of his holding
85. Consequences of using the land in contravention of the provisions of this Code
86. Extinction of interest of bhumidhar with non-transferable rights or asami
87. Improvement not to be removed

TRANSFERS

88. Transferability of a bhumidhar's interest
89. Restrictions on transfer by bhumidhar
90. Persons other than Indian nationals not to acquire land
91. Restrictions on transfer by mortgage
92. Mortgage of land by bhumidhar with non-transferable rights
93. Transfer of possession for securing money shall be deemed to be a sale
94. Lease by a Bhumidhar
95. Lease-how made, its termination and any dispute arising thereto
96. [deleted]
97. [deleted]
98. Restrictions on transfer by bhumidhars belonging to a scheduled caste
99. Restrictions on transfer by bhumidhars of scheduled tribes
100. Mortgage by members of scheduled caste and scheduled tribes
101. Exchange
102. Consequences of exchange
103. [deleted]

- 104. Transfer in contravention of this Code to be void
- 105. Consequences of transfer by bhumidhar in contravention of the Code
- 106. Consequences of transfer made by asami in contravention of this Code

DEVOLUTION

- 107. Bequest by bhumidhar or asami
- 108. General order of succession to male bhumidhar, asami or government lessee
- 109. Succession to woman inheriting interest as a female heir
- 110. Succession to woman holding otherwise than as a female heir
- 111. Savings as to religious endowments
- 112. Interest of co-tenure-holders to pass by survivorship
- 113. Persons other than Indian citizens and persons of Indian origin not to inherit
- 114. Other conditions regarding devolution
- 115. Escheat

DIVISION

- 116. Suit for division of holding
- 117. Duty of Court in suits for division of holding

SURRENDER AND ABANDONMENT

- 118. Surrender by bhumidhar
- 119. Surrender by asami
- 120. Effect of surrender
- 121. Liability for rent or revenue in case of surrender
- 122. Abandonment by bhumidhar
- 123. Consequence of abandonment
- 124. Delivery of possession to Gram Panchayat

LEASE OF LAND BY GRAM PANCHAYAT

- 125. Admission by Bhumi Prabandhak Samiti to land entrusted to Gram Panchayat
- 126. Order of preference in admission to land by Bhumi Prabandhak Samiti
- 127. Consequences of allotment
- 128. Cancellation of allotment and lease
- 129. Restoration of possession to allottee or the Government lessee

EJECTMENT

- 130. Bhumidhars not to be ejected
- 131. Suit for ejectment etc. against asami
- 132. Right to crops and trees
- 133. Suit for injunction, compensation etc
- 134. Ejectment of persons occupying land without title
- 135. **(deleted).**
- 136. Ejectment of trespassers of Gram Panchayat land
- 137. Remedies for wrongful ejectment

RENT

- 138. Rent payable by an Asami
- 139. Application for fixation of rent

- 140. Remission for calamity by Court decreeing claim for arrears
- 141. Commutation of rent
- 142. Recovery of arrears of rent from asami of Gaon Panchayat, etc
- 143. Power to write off arrears

DECLARATORY SUITS

- 144. Declaratory suits by tenure holders
- 145. Declaratory suit by Gram Panchayat
- 146. Provision for injunction

CHAPTER X

GOVERNMENT LESSEES

- 147. Definition of Government lessee
- 148. Government lessee's right to hold land
- 149. Ejectment of Government lessee
- 150. Provisions of U.P. Act No.22 of 1972 to apply
- 151. Trespass on land held by a Government lessee.
- 152. Dues recoverable as arrear of land revenue

CHAPTER XI

ASSESSMENT OF LAND REVENUE

- 153. Land held by bhumidhar liable to payment of land revenue
- 154. Land revenue payable by bhumidhar
- 155. Variation of land revenue
- 156. Exemption of Land Revenue in certain cases
- 157. Remission or suspension of land revenue on the occurrence of agricultural calamity
- 158. Power of State Government to remit rent in certain cases
- 159. Consequences of suspension of rent
- 160. Annual enquiry of revenue free land
- 161. Rounding off the amount of land revenue
- 162. Finality of orders

CHAPTER XII

COLLECTION OF LAND REVENUE

- 163. Land revenue to be the first charge
- 164. Bhumidhars to be jointly and severally liable
- 165. Land Revenue when becomes due and payable
- 166. Arrangements for collection of land revenue
- 167. Defaulters
- 168. Certified account to be evidence of arrears
- 169. Writ of demand
- 170. Process for recovery of arrears
- 171. Arrest and detention
- 172. Attachment and sale of movable property
- 173. Attachment of bank account and locker of the defaulter
- 174. Attachment of holding
- 175. Lease of holding
- 176. Sale of holding
- 177. Attachment and sale of other immovable property
- 178. Appointment of receiver

- 179. Procedure of recovery
- 180. Recovery of costs and collection charges
- 181. Recovery proceedings against legal representatives etc.

ATTACHMENT AND SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

- 182. Attachment of immovable property
- 183. Objection against attachment
- 184. Proclamation of sale
- 185. Affixation of proclamation
- 186. Sale when and by whom made
- 187. Stoppage of the sale
- 188. Prohibition to bid
- 189. Deposit by purchaser and re-sale on default
- 190. Deposit of purchase money
- 191. Auction sale of land held by Scheduled Caste or Scheduled Tribe
- 192. Application to set aside the sale on deposit of arrears
- 193. Application to set aside sale for irregularity
- 194. Confirmation of sale
- 195. Setting aside of sale by Collector or Commissioner
- 196. Bar of claims against in certain cases
- 197. Refund of purchase money
- 198. Certificate of sale
- 199. Certified purchaser to be put in possession
- 200. Application of sale proceeds
- 201. Summary ejectment of unauthorized occupants
- 202. Bar of suits
- 203. Payment before suit
- 204. Other payments not to be a valid discharge
- 205. Applicability of the Chapter

CHAPTER XIII

JURISDICTION AND PROCEDURE OF REVENUE COURTS

- 206. Jurisdiction of civil Courts and revenue courts
- 207. First appeal
- 208. Second Appeal
- 209. Bar against certain appeals
- 210. Power to call for the records
- 211. Board's power of review
- 212. Power to transfer cases
- 213. State Government to be necessary party in certain cases
- 214. Applicability of Code of Civil Procedure, 1908 and Limitation Act, 1963.
- 215. Orders not to be invalid on account of irregularity in procedure
- 216. Service of notice
- 217. Revenue Courts to have no power to adjudicate upon the validity of enactment.

CHAPTER XIV

MISCELLANEOUS

- 218. Power to exempt from the provisions of the Code
- 219. Delegation
- 220. Power to enter upon land

- 221. Right to inspect and obtain copies
- 222. Computation of areas in certain districts
- 223. Mode of recovery of fines etc
- 224. Power to call for statement
- 225. Protection of action taken in good faith
- 225-A Determination of questions in summary proceeding
- 225-B Lodging of Caveat
- 225-C Constitution of Committee
- 225-D Power of an Assistant Collector of First Class not in charge of a subdivision
- 225-E Powers of Assistant Collector of second class
- 225-F Consolidation of cases

CHAPTER XV PENALTIES

- 226. Penalty for encroachment etc
- 227. Damages for destruction etc. of boundary marks
- 228. Penalty for cutting or removing trees illegally
- 229. Penalty for not furnishing required statement or information etc

CHAPTER XVI REPEAL AND SAVINGS

- 230. Repeal.
- 231. Applicability of the Code to pending proceedings
- 232. Power to remove difficulties
- 233. Rules
- 234. Regulations

- FIRST SCHEDULE
 - SECOND SCHEDULE
 - THIRD SCHEDULE
 - FOURTH SCHEDULE
-

UTTAR PRADESH REVENUE CODE, 2006
(U.P. Act No. 8 of 2012) [12th December, 2012]

**An
Act**

*to consolidate and amend the law relating to land tenures and land revenue in the State of
Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith and incidental thereto*

IT IS HEREBY enacted in the 57th Year of Republic of India as follows:

CHAPTER I
(PRELIMINARY)

1.Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date¹ as the State Government may, by notification, appoint, and different dates may be appointed for different areas or for different provisions of this Code.

2. Applicability of the Code. - The provisions of this Code, except Chapters VIII and IX shall apply to the whole of Uttar Pradesh, and Chapters VIII and IX shall apply to the areas to which any of the enactments specified at serial numbers 19 and 25 of the First Schedule was applicable on the date immediately preceding their repeal by this Code.

3. Extension of the Code to new areas.- (1) Where after the commencement of this Code, any area is added to the territory of Uttar Pradesh, the State Government may, by notification, extend the whole or any provision of this Code, to such area.

(2) Where any notification is issued under sub-section (1), the provisions of any Act, rule or regulation in force in the area referred to in the said sub-section, which are inconsistent with the provisions so applied, shall be deemed to have been repealed.

(3) The State Government may, by a subsequent notification, amend, modify or alter any notification issued under sub-section (1).

4. Definition- In this Code-

(1) 'abadi' or 'village abadi' means such area in a village which, on the date of commencement of this Code, is being used for the purposes of residence of its inhabitants or for purposes ancillary thereto such as sahan and green trees, wells etc. or which may have been or be hereafter reserved for such use;

(2) 'agriculture' includes horticulture, animal husbandry, pisciculture, flower farming, bee keeping and poultry farming;

1. Vide Noti. No.1879/1-1-2015-15(1)/1998-19 T.C.III, Date 18-12-2015 Sec.1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16, 17,18, 19, 233 and 234 of the U.P. Revenue Code, 2006 shall come into force on dated 18-12-2015 and remaining provisions of said Act shall into force on dated 11-2-2016.

(3) **‘agricultural labourer’** means a person whose main source of livelihood is manual labour on agricultural land;

(4) **‘bank’** shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Regulation of Money Lending Act, 1976;

(5) **‘Bhumi Prabandhak Samiti’** means a Bhumi Prabandhak Samiti constituted under section 28-A of the U.P. Panchayat Raj Act, 1947;

(6) **‘Board’** means the Board of Revenue constituted or deemed to be constituted under section 7;

(7) **‘charitable institution’** means any establishment, undertaking, organisation or association formed for a charitable purpose, and includes a specific endowment;

(8) **‘collector’** means an officer appointed as such by the State Government under sub-section (1) of section 12, and shall include-

(a) **an Additional Collector** appointed by the State Government under sub section (2) of the said section; and

(b) **an Assistant Collector** of the first class empowered by the State Government by notification to discharge all or any of the functions of a Collector under this Code;

(9) **‘Consolidated Gaon Fund’** means the Consolidated Gaon Fund constituted under section 69;

[¹(10)] . family, in relation to a tenure-holder, means himself or herself and his wife or her husband or third gender spouse, as the case may be, (other than a judicially separated wife or husband or third gender spouse), minor sons and minor daughters other than married daughters and third gender minor issue.

Explanation- Third Gender means such a person who is of a gender different from the male or female gender.

(11) **‘grove land’** means any specific part of land in a holding having trees (not including papaya or banana plants) planted thereon in such manner that they preclude, or when full grown will preclude, the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose, and the trees on such land shall constitute a grove;

(12) **‘holding’** means a parcel of lands held under one tenure or one lease, engagement or grant;

(13) **‘improvement’**, in relation to a holding, means any work which adds materially to the value of the holding which is suitable thereto and consistent with the purpose for which it is held and which, if not executed on the holding, is either executed directly for its benefit or is, after execution, made directly beneficial to it, and, subject to the foregoing provisions, includes-

(i) the construction of tanks, wells, water channels, embankments and other works for storage, supply or distribution of water for agricultural purposes;

- (ii) the construction of works for the drainage of land or for the protection of land from floods, or from erosion or other damage from water;
- (iii) the planting of trees and the reclaiming, clearing, enclosing, leveling or terracing of land;
- (iv) the erection of buildings on, or in the vicinity of the holding elsewhere than in an abadi or urban area, required for the convenient or profitable use or occupation of the holding; and
- (v) the renewal or reconstruction of any of the foregoing works, or alteration therein or additions thereto;

(14) **‘land’**, except in Chapters VII and VIII and sections 80, 81 and section 136, means land held or occupied for purposes connected with agriculture;

(15) **‘land holder’** means the person to whom rent is or but for a contract, express or implied, would be payable;

(16) **“Revenue Court”** means all or any of the following authorities (that is to say) the Board and all members thereof, Commissioners, Additional Commissioners, Collectors, Additional Collectors, Chief Revenue Officers, Assistant Collectors, Settlement Officers, Assistant Settlement Officers, Record Officers, Assistant Record Officers, Tahsildars, Tahsildars (Judicial) and Naib Tahsildars;

(17) **“Revenue Officer”** means the Commissioner, an Additional Commissioner, the Collector, an Additional Collector, the Chief Revenue Officer, the Sub-Divisional Officer, an Assistant Collector, the Settlement Officer, an Assistant Settlement Officer, the Record Officer, an Assistant Record Officer, the Tahsildar, the Tahsildar (Judicial), the Naib Tahsildar and the Revenue Inspector;

(18) **‘Sub-Divisional Officer’** means the Assistant Collector in charge of the Tahsil;

(19) **‘taungya plantation’** means the system of afforestation in which the plantation of trees is, in the earlier stages, done simultaneously with the cultivation of agricultural crops which ceases, when trees so planted begin to form a canopy, rendering the cultivation of agricultural crops impossible;

(20) **‘village’** means any local area whether compact or otherwise, recorded as a village in the revenue records of the district concerned, and includes an area which the State Government may, by general or special notification, declare to be a village;

(21) **‘village artisan’** means a person whose main source of livelihood is manufacture or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto, and includes a carpenter, weaver, potter, blacksmith, silversmith, goldsmith, barbar, washerman, cobbler or any other person who normally earns his livelihood by practising a craft either by his own labour or by labour of any member of his family in any village;

(22) words and expressions **‘Gaon Fund’**, **‘Gram Sabha’** and **‘Gram Panchayat’** shall have the meanings assigned to them in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947;

(23) **‘agricultural year’** means an year which begins from the first day of July and ends on thirtieth day of June of a calendar year. It is also characterised as **‘fasli year’**;

(24) **‘intermediary’** with reference to any estate means a proprietor, underproprietor, sub-proprietor, thekedar, permanent lessee in Avadh and permanent tenure-holder of such estate or part thereof;

(25) **‘lease’** in relation to mines and minerals shall include a sub-lease, a prospecting lease and an agreement to lease or sublet, and ‘lessee’ shall be construed accordingly;

(26) **‘decree’** shall have the meaning assigned to it in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no.V of 1908);

(27) **‘State Government’** means the Government of Uttar Pradesh;

(28) **‘Central Government’** shall have the meaning assigned to it in section 3 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.X of 1897);

(29) **‘Minjumla number’** means a shajra number denoting a component part of a field which has theoretically been partitioned but physically has not been partitioned.

CHAPTER II REVENUE DIVISIONS

5. Division of State into revenue areas.- For the purposes of this Code, the State shall be divided into revenue areas comprising of divisions which may consist of two or more districts, and each district may consist of two or more Tahsils and each Tahsil may consist of one or more parganas, and each pargana may consist of two or more villages.

6. Constitution of revenue areas.- (1) The State Government may, by notification, specify-

- (i) the districts which constitute a division;
- (ii) the tahsils which constitute a district;
- (iii) the villages which constitute a tahsil.

(2) The State Government may, by notification, alter the limits of any revenue area referred to in sub-section (1) by amalgamation, re-adjustment, division or in any other manner whatsoever, or abolish any such revenue area and may name and alter the name of any such revenue area, and in any case where any area is renamed, then all references in any law or instrument or other document to the area under its original name shall be deemed to be references to the areas as renamed unless expressly provided otherwise:

Provided that before passing any order under this sub-section on any proposal to alter the limits of any revenue area, the State Government shall publish, in the prescribed manner, such proposals for inviting objections, and shall take into consideration any objection to such proposals.

(3) The Collector may, by an order, published in the prescribed manner, arrange the

villages in a tahsil into Lekhpal circles and the Lekhpal circles into Revenue Inspector circles and specify also the headquarters of each Revenue Inspector within his Circle.

(4) The divisions, districts, tahsils, parganas, Revenue Inspector circles, Lekhpal circles and villages, as existing at the commencement of this Code shall, until altered under the preceding sub-sections, be deemed to be the revenue areas specified under this section.

Chapter III

BOARD AND THE REVENUE OFFICERS

7. Board of Revenue.- (1) There shall be a Board of Revenue for Uttar Pradesh consisting of a Chairman and such other members as the State Government may, from time to time, appoint:

Provided that the Board as constituted and functioning immediately before the commencement of this Code shall be deemed to be the Board constituted under this section.

(2) (deleted).

(3) No person shall be qualified for appointment as: –

(a) an Administrative Member of the Board, unless he has held an office not lower in rank than that of a Commissioner;

(b) a Judicial Member of the Board, unless he has held an office not below the rank of a Collector.

(4) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any member, as Judicial Member of the Board, and any such member shall be allotted only judicial business.

8. Jurisdiction of the Board.- (1) The Board shall be the Chief Controlling Authority-

(a) in all matters relating to disposal of cases, appeals or revisions; and

(b) subject to the superintendence, direction and control of the State Government, in all other matters provided in this Code.

(2) Subject to the provisions of the sub-section (1), the Board shall exercise, perform and discharge powers, functions and duties conferred upon it by or under this Code or any other law for the time being in force.

(3) The State Government may authorise any member of the Board to exercise, perform and discharge either generally or in respect of any particular locality or matter, all or any of the powers, functions and duties conferred or imposed on the Board.

9. Power to distribute business. - (1) Subject to such rules or orders as the State Government may make or issue, the Board may distribute its business amongst its members as the Board may deem fit. Chairman may constitute bench or benches consisting of more than one member for disposal of a particular case or class of cases.

(2) All orders made or decrees passed by a member of the Board in accordance with such distribution shall be deemed to be orders or decrees, as the case may be, of the Board.

10. Decisions of the Board. - (1) Where any proceeding coming under the consideration of the Board on appeal or in revision is heard by a Bench composed of two or more members, the case shall be decided in accordance with the opinion of such members or of the majority, if any, of such members.

(2) Where the members of the Board constituting the Bench are equally divided in opinion as to the decision of a case, it shall be heard by a larger Bench to be constituted by the Chairman, and the case shall be decided in accordance with the opinion of the members constituting such Bench or of the majority, if any, of such members.

(3) All decisions given by a member sitting singly, or by a Division Bench comprising two members or a larger Bench constituted as aforesaid shall be deemed to be decisions of the Board.

11. Commissioners and Additional Commissioners.- (1) The State Government shall appoint in each division a Commissioner, who shall, within his division, exercise the powers and discharge the duties conferred and imposed on a Commissioner by or under this Code or any other law for the time being in force, and shall exercise authority over all the revenue officers in his division.

(2) The State Government may appoint one or more Additional Commissioners in one or more Divisions.

(3) An Additional Commissioner shall exercise such powers and discharge such duties of Commissioner in such cases or classes of cases as the State Government or, in the absence of any direction from the State Government, the Commissioner of the division may direct.

(4) The provisions of this Code and every other law for the time being applicable to a Commissioner shall apply to the Additional Commissioner when exercising powers or discharging any duties under this section, as if he were the Commissioner of the Division.

(5) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any Additional Commissioner, as Additional Commissioner (Judicial), and any such Additional Commissioner (Judicial) shall be allotted only judicial business. Such an Additional Commissioner (Judicial) shall exercise such powers and discharge such duties of Commissioner in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Commissioner of the Division, may direct.

12. Collectors and Additional Collectors. - (1) The State Government shall appoint, in each district, a Collector who shall be in-charge of the revenue administration thereof and shall exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed on a Collector by or under this Code or any other law for the time being in force.

(2) The State Government may appoint one or more Additional Collectors in a district.

(3) An Additional Collector shall, subject to the direction 'and control of the State Government or of the Collector', exercise all powers and discharge all duties of Collector.

(4) The provisions of this Code and every other law for the time being applicable to the Collector shall apply to the Additional Collector when exercising powers or discharging any duties under this section, as if he were the Collector of the district.

(5) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any Additional Collector, as Additional Collector (Judicial), and any such Additional Collector (Judicial) shall be allotted only judicial business. Such an Additional Collector (Judicial) shall exercise such powers and discharge such duties of Collector in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Collector of the District, may direct.

13. Sub-Divisional Officers and Additional Sub-Divisional Officers.-(1)

The State Government may appoint in each district as many persons as it thinks fit to be Assistant Collectors of the first or second class.

(2) The State Government may place an Assistant Collector first class incharge of one or more sub-divisions of a district, and such an officer shall be called the Assistant Collector first class in-charge of a sub-division or a Sub-Divisional Officer.

(3) The officers referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed upon them by or under this Code or any other law for the time being in force, subject to the control of the Collector.

(4) The State Government may designate an Assistant Collector first class appointed to a district to be an Additional Sub-Divisional Officer for one or more tahsils of the district.

(5) Subject to the provisions of this Code, the Additional Sub-Divisional Officer shall exercise such powers and discharge such duties of a Sub-Divisional Officer in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Collector may direct.

(6) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any Assistant Collector first class, as Sub-Divisional Officer (Judicial) for one or more tahsils, and any such Sub-Divisional Officer (Judicial) shall be allotted only judicial business. Such a Sub-Divisional Officer (Judicial) shall exercise such powers and discharge such duties of a Sub-Divisional Officer in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Collector, may direct.

14. Tahsildars and Tasildars Judicial. - (1) The State Government may appoint in each district as many persons as it thinks fit to be Tahsildars and Tahsildar Judicial.

(2) Subject to the provisions of this Code, the Tahsildar and Tahsildar Judicial shall exercise such powers and discharge such duties as the State Government or the Board, and in the absence of any directions from the State Government or the Board, the Collector may direct.

15. Naib-Tahsildars.- The State Government may appoint in each district as many

persons as it thinks fit to be Naib-Tahsildars who shall exercise the power and perform the duties conferred or imposed on them by or under this Code or under any other law for the time being in force.

16. Revenue Inspectors and Lekhpals.- (1) The Collector may appoint in each tahsil one or more Revenue Inspectors for the proper supervision, maintenance and correction of the village records, and for such other duties as the State Government may, from time to time, by general or special order specify.

(2) The Collector may appoint in each tahsil, as many Lekhpals for the preparation, maintenance and correction of the village records, and for such other duties as the State Government may from time to time by general or special order, specify.

17. Combination of Offices. - It shall be lawful for the State Government or the authority competent to appoint, as the case may be, to appoint one and the same person, being otherwise competent according to law for any two or more of the offices provided for in this Chapter or to confer upon an officer of one denomination all or any of the powers or duties of any other officer or officers within certain local limits or otherwise, as it may deem expedient.

18. Recovery of money, papers and other Government property.- (1) The Collector may in cases in which there is claim outstanding on any revenue officer or on any person formerly employed as such in his district for public money or papers or other property of the State Government in his charge, by order, for reasons to be recorded, require the money, or the particular papers or property detained to be delivered either immediately to the bearer of the said order or to such person on such date and at such place as the order may specify.

(2) If the officer or other person aforesaid does not comply as directed, the Collector shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till the direction is complied with, so however, total amount of such penalty shall not exceed twenty five thousand rupees:

Provided that the officer or other person, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of hearing before any penalty is imposed on him.

(3) Imposition of penalty under sub-section (2) shall not bar the prosecution for any offence or recovery of money, papers and other government property under any law for the time being in force.

19. Other power of Revenue Officers. - (1) When any power is exercisable or any duty is dischargeable by any officer or authority under this Code, such power or duty may be exercised or discharged by any superior officer or authority as well.

(2) The revenue officers appointed under this Code shall, subject to the control of the State Government, exercise such other powers and discharge such other duties, as the State Government may, by any general or special order, direct.

Chapter IV

BOUNDARIES AND BOUNDARY MARKS

20. Fixation and demarcation of boundaries. - (1) Boundaries of all villages in the State and of all survey numbers in a village shall be fixed and demarcated by boundary marks.

(2) The boundary marks shall, subject to the provisions hereinafter contained in this Chapter, be of such specifications and shall be constructed and maintained in such manner as may be prescribed.

21. Obligation regarding maintenance and repair of boundary marks.-

(1) Every tenure-holder shall be responsible to maintain and repair at his cost the boundary marks lawfully erected in his holding or on the boundary thereof.

(2) The Gram Panchayat shall be responsible to maintain and repair at its cost the boundary marks, other than those mentioned in sub-section (1), lawfully erected in the villages situate within its jurisdiction.

22. Destruction etc. of boundary marks. - (1) If any boundary mark lawfully erected in a Lekhpal circle is destroyed, removed or damaged, then the concerned Lekhpal shall be bound promptly to report the matter to the Naib Tahsildar.

(2) The Naib Tahsildar shall make an inquiry in respect of such report and shall submit his recommendation to the Sub-Divisional Officer.

23. Power to require erection, repair or renewal of boundary marks. -

(1) The Sub-Divisional Officer may, on receipt of the recommendations of the Naib Tahsildar under section 22, or otherwise, require a Gram Panchayat in relation to a village and a tenure holder in relation to his holding, to erect or restore proper boundary marks or to repair or replace the same in such manner as may be prescribed.

(2) Where the Gram Panchayat or a tenure holder fails to erect, restore, repair or replace the boundary marks as required under sub-section (1), the Sub-Divisional Officer may cause such boundary marks to be erected, restored, repaired or replaced, as the case may be, and recover the cost thereof from such Gram Panchayat or the tenure holder in the manner prescribed.

24. Disputes regarding boundaries. - (1) The Sub-Divisional Officer may, on his own motion or on an application made in this behalf by a person interested, decide, by summary inquiry, any dispute regarding boundaries on the basis of existing survey maps or, where they have been revised in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, on the basis of such maps, but if this is not possible, the boundaries shall be fixed on the basis of actual possession.

(2) If in the course of an inquiry into a dispute under sub-section (1), the Sub-Divisional Officer is unable to satisfy himself as to which party is in possession or if it is shown that

possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupant, the Sub-Divisional Officer shall

(a) in the first case, ascertain by summary inquiry who is the person best entitled to the property, and shall put such person in possession;

(b) in the second case, put the person so dispossessed in possession, and for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary and shall then fix the boundary accordingly.

(3) Every proceeding under this section shall, as far as possible, be concluded by the Sub-Divisional Officer within three months from the date of the application.

(4) Any person aggrieved by the order of the Sub-Divisional Officer may prefer an appeal before the Commissioner within thirty days of the date of such order. *The order of the Commissioner shall, [1 subject to the provisions of section 210], be final.*

25. Rights of way and other easements.- In the event of any dispute arising as to the route by which a tenure holder or an agricultural labourer shall have access to his land or to the waste or pasture land of the village (other than by the public roads, paths or common land) or as to the source from or course by which he may avail himself of irrigational facilities, the Tahsildar may, after such local inquiry as may be considered necessary, decide the matter with reference to the prevailing custom and with due regard to the convenience of all the parties concerned. He may direct the removal of such obstacle and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary and may recover the cost of such removal from the person concerned in the manner prescribed.

26. Removal of obstacle. - If the Tahsildar finds that any obstacle impedes the free use of a public road, path or common land of a village or obstructs the road or water course or source of water, he may direct the removal of such obstacle and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary and may recover the cost of such removal from the person concerned in the manner prescribed.

27. Revisional powers of Sub-Divisional Officer.- The Sub-Divisional Officer may call for the record of any case decided by the Tahsildar under section 25 or 26, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such decision, and may, after affording opportunity of hearing to the parties concerned, pass such orders as he thinks fit:

Provided that no application under this section shall be entertained after the expiry of a period of thirty days from the date of the order sought to be revised.

28. Order not to debar from establishing any right of easement.- No order made under this Chapter shall debar any person from establishing such right of easement or customary right as he may claim by a civil suit.

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, sec 2

CHAPTER V
MAINTENANCE OF VILLAGE RECORDS

29. List of villages.- (1) The Collector shall prepare and maintain a register, in the form prescribed, containing list of all villages in his district and shall show therein-

- (a) the areas which are liable to fluvial action;
- (b) the areas which have precarious cultivation; and
- (c) such other particulars as may be prescribed.

(2) The register shall be revised every five years or at such longer intervals as may be prescribed.

30. Maintenance of Map and Field Book.-(1) The Collector shall maintain, in the manner prescribed, a map and a field book (khasra) for each such village and shall cause to be recorded therein, annually, or at such longer intervals as may be prescribed, all changes in the boundaries of the village or survey numbers, and shall also cause to be corrected, any errors or omissions which are, from time to time, detected in such map or field book (khasra).

(2) The minjumla number shall be divided physically in the manner prescribed and revenue records including map and khasra shall be corrected accordingly.

31 Record of Rights.-(1) The Collector shall maintain, in the form and manner prescribed, a record of rights (khatauni) for each village, which shall contain the following particulars, namely

- (a) the names of all tenure holders together with survey numbers or plot numbers held by them and their areas;
- (b) the nature or extent of the respective interests including shares of such persons and the conditions or liabilities, if any, attaching thereto;
- (c) the rent or revenue, if any, payable by or to any such person;
- (d) particulars of all land (other than holdings) belonging to or vested in the State Government, Central Government, Gram Panchayat or a local authority;
- (e) such other particulars as may be prescribed.

(2) Shares of the co-tenure holders shall be determined in the manner prescribed.

32 Correction of records.- (1) Subject to the control of the Collector, the Sub-Divisional Officer, the Tahsildar, or the Revenue Inspector shall record, in the manner hereinafter provided in this Chapter, all changes in the record of rights (Khatauni), the field book (Khasra) and the map that may take place, and all transactions that may affect any of the rights or interests recorded, and correct therein any errors proved to have been made in the records previously prepared:

Provided that order for correction in map shall be passed by the Collector.

(2) No application for correction of error under sub-section (1) where the claim is based solely on possession as well as involving intricate question of title shall be maintainable.

33. Mutation in cases of succession.- (1) Every person obtaining possession of any land by succession shall submit report of such succession to the Revenue Inspector of the circle in which the land is situate in such form as may be prescribed.

(2) On receipt of a report under sub-section (1) or on facts otherwise coming to his knowledge, the Revenue Inspector shall-

(a) if the case is not disputed, record such succession in the record of rights (Khatauni);

(b) in any other case, make such inquiry as may appear to him to be necessary and submit his report to the Tahsildar;

(3) Any person whose name has not been recorded by Revenue Inspector or who is aggrieved by the order passed by the Revenue Inspector under clause (a) or (b) of sub-section (2) may move an application before Tahsildar.

(4) The provisions of this section shall *mutatis mutandis* apply to every person admitted as a Bhumidhar with non-transferable rights or as an asami by the Bhumi Prabandhak Samiti in accordance with the provisions of this Code or any enactment repealed by it.

34. Duty to report in cases of transfer.-(1) Every person obtaining possession of any land by transfer, other than a transfer referred to in sub-section (3) of section 33 shall report such transfer, in the manner prescribed, to the Tahsildar of the Tahsil in which the land is situate.

Explanation.- For the purposes of this section, the word ‘transfer’ includes a family settlement.

(2) State Government may fix a scale of fees for getting entry recorded in the record of rights on the basis of transfer. A fee in respect of any such entry shall be payable by the person in whose favour the entry is to be made.

35. Mutation in cases of succession or transfer.-(1) On the receipt of a report under section 33 or section 34, or upon facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall issue a proclamation and make such inquiry as appears to be necessary and-

(a) if the case is not disputed, he shall direct the record of rights (Khatauni) to be amended accordingly;

(b) (deleted);

(c) if the case is disputed, he shall decide the dispute and direct, if necessary, the record of rights (khatauni) to be amended accordingly.

(2) Any person aggrieved by an order of the Tahsildar under sub-section (1) may prefer an appeal to the Sub-Divisional Officer within a period of thirty days from the date of such order.

36. Intimation of transfer and deposit of land revenue.-(1) Notwithstanding anything contained in section 34, where any document purporting to create, assign or extinguish any title to or any charge on land or in respect of which a record of rights (Khatauni) is prepared, is registered under

the Registration Act, 1908 the registering authority shall send intimation to the Tahsildar within whose jurisdiction such land is situate in such form and within such time, as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in this Chapter, no order for correction of records under section 32 and no order for recording succession under section 33 and no amendment of record of rights (khatauni) under section 35 and no correction under section 38 shall be recorded, unless the amount of land revenue due up-to-date in respect of the land to which such order relates has been deposited.

37. Bar against certain suits.-No suit or other proceeding shall lie in any revenue court at the instance of any person obtaining possession of any land by succession or transfer, until he has made a report under section 33 or section 34, as the case may be.

38. Correction of error and omission.- (1) An application for correction of any error or omission in the map, filed-book (Khasra) or record of rights (Khatauni) shall be made to the Tahsildar in the manner prescribed.

(2) On receiving an application under sub-section (1) or on any error or omission otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as may appear to him to be necessary, and refer the case along with his report to the Collector in the case of map correction and the Sub-Divisional Officer in matter of other correction.

(3) The case shall be decided by the Collector or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, after considering any objection filed and evidence produced before him or before the Tahsildar.

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, under sub-section (3), may prefer an appeal to the Commissioner within a period of thirty days from the date of such order, and the decision of the Commissioner shall, [¹*subject to the provisions of section 210*], be final.

(5) Any forged or manipulated entry in the map, the khasra or the record of rights (khatauni) may be expunged under this section.

(6) Notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, the Revenue Inspector may correct any undisputed error or omission in the record of rights (khatauni) or *khasra* in such manner and after making such inquiry, as may be prescribed.

Explanation. - The power to correct any error or omission under this section shall not be construed to include the power to decide a dispute involving question of title.

39. Certain orders of revenue officers not to debar a suit.-No order passed by a Revenue Inspector under section 33, or by a Tahsildar under sub-section (1) of section 35 or by a Sub-Divisional Officer under sub-section (3) of section 38 or by a Commissioner under sub-section (4) of section 38 shall debar any person from establishing his rights to the land by means of a suit

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, sec 3

under section 144.

40. Presumption as to entries.- All entries in the record of rights (Khatauni) prepared in accordance with the provisions of this Code shall be presumed to be true, until the contrary is proved.

41. Kisan Bahi. - (1) Every time when a record of rights (Khatauni) is prepared under this Chapter, the Collector shall as soon as may be, cause to be supplied to every tenure-holder, a Kisan Bahi containing such particulars as may be prescribed.

(2) The Kisan Bahi shall be a consolidated pass-book for all the holdings held by a tenure-holder in the district.

(3) In the case of a joint holding, it shall be sufficient for the purpose of this section if Kisan Bahi is supplied only to such one or more of the recorded co-tenure holders as may apply for it.

(4) The tenure holder shall be liable to pay such cost for the Kisan Bahi and in such manner as may be prescribed.

(5) Every person holding Kisan Bahi shall, from time to time, be entitled, without any extra payment, to get the amendments made in the record of rights (Khatauni) incorporated in his Kisan Bahi.

(6) Whenever a bank or other public financial institution advances loan to a tenure holder on the basis of a representation of the tenure holder that he is a holder of the holdings recorded in the Kisan Bahi, it shall endorse the details of the loan so advanced in the Kisan Bahi.

(7) The tenure holder shall also submit to such bank or other financial institution an affidavit declaring that he has not taken any other loan (which remains wholly or partly unpaid) on the security of the holdings comprised in the Kisan Bahi nor has he transferred the holding or any share therein to any person in any other manner whatsoever.

(8) Any tenure holder who in such an affidavit makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

(9) Such bank or other financial institution shall also endorse the final repayment of the loan on the Kisan Bahi.

42. Duty to produce information or documents.-Every person whose rights, interests or obligations are required to be or have been entered in any record or register maintained under this Chapter shall be bound, on the requisition of any revenue officer engaged in compiling or revising such record or register, to furnish or produce for his inspection, within such time as may be specified, all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof as may be within his knowledge or in his possession or power.

CHAPTER VI

REVISION OF VILLAGE RECORDS

43. Notification of record and survey operations.-(1) Whenever the State Government is of opinion that in any district or other local area, a revision of records or a re-survey, or both is necessary, it shall publish a notification to that effect, and thereupon such district or area shall be deemed to be under record operation or survey operation or both, as the case may be.

(2) The State Government may, by notification in the gazette, order that a survey operation or a record operation of abadi or village abadi or both shall be made in the manner prescribed.

(3) The State Government may, by a subsequent notification, amend or cancel the notification issued under sub-section (1) or sub-section (2), or declare the operation to be closed.

44. Record Officer and Assistant Record Officer.-(1) The State Government may appoint a Record Officer who shall be in-charge of the record operation or the survey operation or both and may also appoint as many Assistant Record Officers as it may deem fit.

(2) The Assistant Record Officer shall, for so long as the notification under subsection

(1) or sub-section (2) of section 43 is in force, exercise the powers conferred on him by this Code and shall discharge such other duties as may be entrusted to him by the Record Officer.

45. Power of Record Officer during record or survey operation.-Where any district or other local area is under record or survey operation, the powers conferred by sections 23 to 26 shall be exercised by the Record Officer.

46. Revision of records during record operation. - When any district or other local area is under record operation, the Record Officer shall cause to be revised, for each village comprised therein, the field book (khasra) and the record of rights (khatauni) or the record of abadi or village abadi.

47. Revision of records during survey operation.- When any district or other local area is under survey operation, the Record Officer shall cause to be prepared for each village comprised therein, a map, and thereafter, proceed to revise the field book (Khasra) and the record of rights (Khatauni) or the record of abadi or village abadi, as the case may be.

48. Powers of Record Officer as to erection of boundary marks. – When any local area is under survey operation the Record Officer may issue a proclamation directing all Gram Panchayat and Bhumidhars to erect, within fifteen days such boundary marks, as he may think necessary to define the limits of the villages and fields and in default, he may cause such boundary marks to be erected, and the Collector shall recover the cost of their erection from the Gram Panchayats or Bhumidhars concerned.

49. Procedure of revision of map and records.-(1) For revising the map and records under sections 46 and 47, the Record Officer shall, subject to the provisions of sub-sections (2) to (8), cause to be carried out survey, map correction, field to field *partal* and test and verification of current record of rights (Khatauni) in accordance with the procedure prescribed.

(2) After the test and verification of the current record of rights, the Naib-Tahsildar shall correct clerical mistakes and errors, if any, in such records, and shall cause to be issued to the concerned tenure holders and other persons interested, notices containing relevant extracts from the current record of rights and such other records as may be prescribed showing their rights and liabilities in relation to land and mistakes and disputes discovered during the operations mentioned in sub-section(1).

(3) Any person to whom notice under sub-section (2) has been issued may within twenty one days of the receipt of notice, file before the Naib-Tahsildar objections in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in such records or extracts.

(4) Any person interested in the land may also file objection before the Naib-Tahsildar at any time before the dispute is settled in accordance with sub-section(5), or before the Assistant Record Officer, at any time before the objections are decided in accordance with sub-section (6).

(5) The Naib-Tahsildar shall-

(a) where objections are filed in accordance with sub-section (3) or sub-section (4), after hearing the parties concerned; and

(b) in any other case, after making such inquiry as he may deem necessary; correct the mistake, and settle the dispute, by conciliation between the parties appearing before him, and pass order on the basis of such conciliation.

(6) The record of all cases which cannot be disposed of by the Naib-Tahsildar by conciliation as required by sub-section (5), shall be forwarded to the Assistant Record Officer who shall dispose of the same, in accordance with the procedure laid down in section 24 and where the dispute involves a question of title, he shall decide the same after a summary inquiry.

(7) Where after the summary inquiry under sub-section (6), the Assistant Record Officer is satisfied that the land in dispute belongs to the State Government or a local authority, he shall cause the person in unauthorized occupation of such land to be evicted and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary.

(8) Any person aggrieved by an order of the Assistant Record Officer made under sub-section (6) or sub-section (7) may prefer an appeal within thirty days from the date of such order to the Record Officer in the manner prescribed and every order of the Record Officer on such appeal shall subject to the provision of section 210, be final.

50. Finalisation of record of rights.- After the revision of map or records in accordance with section 49, the Assistant Record Officer shall confirm or amend the record of rights (Khatauni) under his dated signature.

51. Preparation of new record of rights. - The Assistant Record Officer shall thereafter prepare, for each village in the area under the record or survey operation, the records specified in sections

30 and 31 on the basis of the record of rights (Khatauni) referred to in section 50 and the records so prepared shall be maintained by the Collector in place of the records previously existing.

52. Procedure for villages where no records are available.- (1) The provisions of this Chapter shall, *mutatis mutandis*, apply to a record operation or survey operation in respect of every such village or part thereof, where no map or other record referred to in section 46 or section 47 is available, and for this purpose, the Record Officer shall follow such procedure as may be prescribed.

(2) The provisions of this Chapter shall, *mutatis mutandis*, apply to record operation and survey operation of abadi or village abadi.

53. Presumption as to the entries. - All entries in the record of rights (Khatauni) prepared in accordance with the provisions of this Chapter shall be presumed to be true until the contrary is proved.

CHAPTER VII

OWNERSHIP OF LAND AND OTHER PROPERTIES

54. Title of State in all lands etc.- All public roads, lanes and paths, bridges, ditches, dykes and fences on or beside them, the bed of rivers, streams, nallas, lakes, ponds and tanks and all canals and water channels, and all standing and flowing water, and all lands wherever situated, which are not owned by any person, and except insofar as any rights of any persons may be established in or over the same, and except as may be otherwise provided in any law for the time being in force, are hereby declared, with all rights in or over the same, or appertaining thereto, to be the property of the State Government:

Provide that nothing in this section shall be deemed to affect the rights of any person subsisting in any such property immediately before the date of commencement of this Code.

55. Mines and minerals.- (1) Notwithstanding anything contained in this Code, the right to operate or work in any mine or to extract any mineral there from shall be governed by the Mines and Minerals (Development and Regulations) Act, 1957.

(2) Every lessee of building or land, leased or deemed to have been leased out by the State Government under any of the enactments repealed by this Code, for the purposes connected with the working or extraction of any mine or mineral, and operating on the date of commencement of this Code, shall, subject to the terms and conditions of the lease aforesaid, continue to retain possession thereof on payment of such rent as was in force on the date of such commencement.

56. Rights in trees. - (1) All trees existing on any holding or grove shall, subject to the provisions of this Code or any other law for the time being in force, be deemed to belong to the person who holds such holding or grove.

(2) All trees existing on the boundary of any holdings shall be deemed to belong jointly to the persons who hold the holdings on either side of such boundary.

(3) All trees in abadi or in any unoccupied land belonging to or held by any person immediately before the date of commencement of this Code shall continue to belong to such person and be held subject to any other law for the time being in force and to any rules made under this Code.

(4) Subject to the provisions of section 57, all trees, brushwood, jungle or other natural product, wherever growing or planted, other than the trees referred to in sub-section (1) to (3) shall, with effect from the date of commencement of this Code be deemed to be the property of the State Government.

Explanation. - For the purposes of this section, and section 59, the expression 'unoccupied land' means the land in a village other than the land held by tenureholders.

57. Fruit bearing trees.- (1) Where before the commencement of this Code, any fruit bearing tree was planted by any person on either side of any public road or path or canal with the permission in writing of any revenue officer or any officer of the Forest or Public Works Department or Irrigation Department of the State Government, not below the rank of a Tahsildar or an Assistant Conservator of Forest or an Assistant Engineer, as the case may be, then, notwithstanding that such land vests in the State Government, such person and his legal representative shall be entitled to the fruits of such trees without payment of any charges whatsoever.

(2) Any person desiring to plant a fruit bearing tree after the commencement of this Code, on either side of any public road or path or canal may do so with the permission in writing of the Collector or any other officer authorised by the State Government in this behalf, and the provisions of sub-section (1) shall apply to the trees so planted.

(3) The right conferred under this section shall be heritable but the person planting the fruit bearing tree or his heirs shall have no right on the corpus of such tree or in the land on which it stands.

58. Disputes to be decided by the Collector. - (1) Where any dispute arises in respect of any property referred to in section 54 or section 56 or section 57 or in respect of any right to such property, such dispute shall be decided by the Collector.

(2) Any person aggrieved by any order passed under sub-section (1) may file an appeal before the Commissioner within thirty days from the date of order.

CHAPTER VIII

(MANAGEMENT OF LAND AND OTHER PROPERTIES BY GRAM PANCHAYAT OR OTHER LOCAL AUTHORITY)

59. Entrustment of land etc. to Gram Panchayats and other local authorities.- (1) The State Government may, by general or special order to be published in the manner prescribed, entrust all

or any of the things specified in subsection (2), which vest in the State Government, to a Gram Panchayat or other local authority for the purposes of superintendence, preservation, management and control in accordance with the provisions of this Code.

(2) The following things may be entrusted to a Gram Panchayat or other local authority under sub-section (1), namely-

- (i) lands, whether cultivable or otherwise, except land for the time being comprised in any holding or grove;
- (ii) grove standing on the Gram Panchayat land, pasture land, graveyard, cremation ground, manure pits, Khaliyans, Chakroads, link roads, sector roads, land in river bed, road, Sadak Khanti, Sullage farm;
- (iii) forests and fisheries;
- (iv) trees, other than trees in a holding or on the boundary of a holding or in a grove or abadi, or any trees on unoccupied land;
- (v) hats, bazaars, melas, tanks, ponds, water-channels, private ferries, pathways and abadi sites;
- (vi) subject to the provisions of the Treasure Trove Act, 1878, any properties specified in section 55 and belonging to the State Government.

(3) Every land and other thing-

- (a) vested in a Gram Panchayat or any other local authority under the provisions of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, or the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960;
- (b) placed under the charge of a Gram Panchayat or any other local authority under any of the enactments repealed by this Code;
- (c) otherwise coming into possession of a Gram Panchayat or other local authority, either before or after the commencement of this Code; shall be deemed to be entrusted to such Gram Panchayat or other local authority, as the case may be, with effect from the date of commencement of this Code or from the date of such coming into its possession, for the purpose of superintendence, preservation, management and control, in accordance with the provisions of this Code.

(4) The State Government may, by a subsequent order to be published in the manner prescribed,-

[¹(a)] (i) add to, amend, vary or rescind any earlier order issued under sub-section(1)

(ii) convert any land entrusted or deemed to be entrusted or transferred to any Gram Panchayat or local authority, which is not covered under sub-section (1) of section 77 to a land covered under sub-section (1) of section 77.

1.Subs. by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 3(1)

(b) transfer to any other Gram Panchayat or other local authority, any land or other thing entrusted or deemed to be entrusted under sub-section (1) or subsection (3) for superintendence, preservation, management and control;

[¹ (c)] (i) resume any land or other thing so entrusted or deemed to be entrusted, or transferred to any Gram Panchayat or local authority on such terms and conditions as prescribed;

(ii) add to, amend, vary or rescind any earlier order issued under clause(i)

(d) impose conditions and restrictions subject to which the powers of superintendence, preservation, management and control under this section shall be exercised.

(5) Where any of the things specified in sub-section (2) has been entrusted or deemed to have been entrusted to a Gram Panchayat, and the village or any part thereof in which such things are situated lies outside the circle of the Gram Panchayat, such Gram Panchayat or its Bhumi Prabandhak Samiti shall, subject to any general or special order issued by the State Government in this behalf, perform, discharge and exercise the functions, duties and powers assigned, imposed or conferred by or under this Code or the U.P. Panchayat Raj Act, 1947 on a Gram Panchayat or a Bhumi Prabandhak Samiti as if that village or part also lay within that circle.

(6) Where any of the things specified under sub-section (2) has been entrusted or deemed to be entrusted to a local authority other than the Gram Panchayat, the provisions of this Chapter shall mutatis mutandis apply to such local authority.

[²**Explanation**]: For the purpose of this section the word “Local Authority” includes kshettra Panchayat, Zila Panchayat, Town area, Notified Area, Cantonment Area, Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Nagar Nigam, Noida Vikas Pradhikaran, Greater Noida Vikas Pradhikaran, Yamuna Expressway Vikas Pradhikaran or any Industrial township declared as an industrial development area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development act, 1976 under artical 243-Q of the Constitution of India.

60. Superintendence, management and control by Bhumi Prabandhak Samiti. -(1) Subject to the provisions of this Code, every Bhumi Prabandhak Samiti shall be charged, for and on behalf of the Gram Panchayat, with the superintendence, preservation, management and control of all land and other things entrusted or deemed to be entrusted to that Gram Panchayat under section 59 or over which such Gram Panchayat is entitled to take possession under this Code or any other law for the time being in force.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the functions and duties of the Bhumi Prabandhak Samiti shall include:-

2. Subs. by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 3(2)

1. Ins. by U.P. Act No. 4 of 2021, Sec 2

- (a) the settlement and management of land;
- [¹(b)] the preservation, maintenance and development of forests, trees and pastures.
- (c) the maintenance and development of abadi sites and village communications;
- (d) the management of hats, bazaars and melas;
- (e) the maintenance and development of fisheries and tanks;
- (f) the development of cottage industries;
- (g) the development and improvement of agriculture;
- (h) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gram Panchayat; and
- (i) such other matters as may be prescribed.

61. Management of village tanks.- Where a tank in any village is entrusted or deemed to be entrusted to any Gram Panchayat under section 59, then, notwithstanding anything contained in any contract or grant or and law for the time being in force, its management by such Gram Panchayat shall be regulated by the following conditions, namely:-

- (a) where the area of the tank measures 0.5 acre or less, it shall be reserved for public use by the inhabitants of the village;
- (b) where the area of the tank exceeds 0.5 acres, the Bhumi Prabandhak Samiti shall, with the previous approval of the Sub-Divisional Officer, let it out in the manner prescribed.

Explanation. - For the purpose of this section, the term ‘tank’, includes talab, pond, pokhar and other land covered with water.

62. Conduct of suits and legal proceedings.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and such other conditions as may be prescribed, the Chairman or such members of the Bhumi Prabandhak Samiti as may be authorised in this behalf by such Samiti, may sign any document and do all other things for the proper conduct and prosecution of suits and other proceedings for and on behalf of the Gram Panchayat.

(2) No suit or other proceedings to which any Gram Panchayat is a party shall be compromised or withdrawn on behalf of such Gram Panchayat, unless such compromise or withdrawal is approved by a resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti and prior sanction of the Sub-Divisional Officer is obtained.

63. Land which may be allotted for abadi sites.- (1) The Sub-Divisional Officer may of his own motion or on the resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti earmark the following classes of land for the provision of abadi sites for allotment to persons specified in section 64:-

- (a) all lands entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Panchayat under clause (i) of sub-section (2) of section 59;
- (b) all lands coming into possession of Gram Panchayat under any other provisions of this Code.

2. Subs. by U.P.Act No. 28 of 2020, Sec 4

(2) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Code or in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947, the Bhumi Prabandhak Samiti may, with the previous approval of the Sub-Divisional Officer, allot the following classes of land for the purposes of building houses:-

- (a) any vacant land referred to in sub-section (1);
- (b) any land earmarked for abadi sites under the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953;
- (c) any land acquired under the provisions of Land Acquisition Act, 1894 (Act No.1 of 1894) and The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No.30 of 2013).

64. Allotment of abadi sites.-(1) The following order of preference shall be observed in making allotment of land referred to in section 63:-

- (a) an agricultural labourer or a village artisan residing in the Gram Sabha and belonging to a scheduled caste or scheduled tribes or other backward classes or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government;
- (b) any other agricultural labourer or a village artisan residing in the Gram Sabha;
- (c) any other person residing in the Gram Sabha and belonging to a scheduled caste or scheduled tribe or other Backward Classes or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government:

Provided that preference will be given to widow and physically handicapped person within same category.

Explanation.- For the purposes of this sub-section-

(one) “other backward class” means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act No.4 of 1994);

(two) “person of general category living below poverty line” means such persons as may be determined from time to time by the State Government.

(2) In making an allotment under this section, preference shall be given to a person who either holds no house or has insufficient accommodation considering the requirements of his family.

(3) Every land allotted under this section shall be held by the allottee on such terms and conditions as may be prescribed:

Provided that if the allottee is a married man and his wife is alive, she shall be co-allottee of equal share in the land so allotted.

65. Delivery of possession to allottee.-(1) Where any land referred to in section 63 has been allotted for building a house under section 64, and any person other than an allottee is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Code, the Sub-Divisional

Officer may, of his own motion and shall, on the application of the allottee, put the allottee in possession of such land, and may, for that purpose, use or cause to be used such force as he may consider necessary.

(2) Where any person, after being evicted under this section, reoccupies the land or any part thereof, without lawful authority, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees:

Provided that the Court convicting the accused may, while passing the sentence, direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper be paid to the allottee as damages for use and occupation.

(3) Where in any proceeding under sub-section (2), the Court, at any stage after cognizance of the case has been taken, is satisfied by affidavit or otherwise that-

(a) the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of this Code, and

(b) the allottee is entitled to the possession of such land, the Court may, summarily, evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the allottee in possession of such land.

(4) Where in any proceeding under sub-section (2), the accused is convicted, the interim order passed under sub-section (3) shall be confirmed by the Court.

(5) Where, in any proceeding under sub-section (2), the accused is acquitted or discharged and the Court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land, the Court shall, on the application of such person, direct that delivery of possession be made to him.

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under sub-section (2) may be tried summarily.

(7) For the purpose of speedy trial of offences under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification constitute special Courts each consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, who shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offence, the powers of the Judicial Magistrate of the First Class.

(8) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974), every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable.

66. Inquiry into irregular allotment of abadi sites.-(1) The Collector may, of his own motion and shall, on the application of any person aggrieved by an allotment of land made under section 64, inquire in the manner prescribed into such allotment and if he is satisfied that the allotment is

irregular, he may cancel the allotment, and thereupon, the right, title and interest of the allottee and of every other person claiming through him in the land allotted shall cease.

(2) No application under sub-section (1) shall be entertained, if it is made after the expiration of the period of three years from the date of allotment.

(3) Every order of the Collector made under this section shall, ¹[subject to the provisions of section 210], be final.

67. Power to prevent damage, misappropriation and wrongful occupation of Gram Panchayat property.- (1) Where any property entrusted or deemed to be entrusted under the provisions of this Code to a Gram Panchayat or other local authority is damaged or misappropriated, or where any Gram Panchayat or other authority is entitled to take possession of any land under the provisions of this Code and such land is occupied otherwise than in accordance with the said provisions, the Bhumi Prabandhak Samiti or other authority or the Lekhpal concerned, as the case may be, shall inform the Assistant Collector concerned in the manner prescribed.

(2) Where from the information received under sub-section (1) or otherwise, the Assistant Collector is satisfied that any property referred to in sub-section (1) has been damaged or misappropriated, or any person is in occupation of any land referred to in that sub-section in contravention of the provisions of this Code, he shall issue notice to the person concerned to show cause why compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation not exceeding the amount specified in the notice be not recovered from him and why he should not be evicted from such land.

(3) If the person to whom a notice has been issued under sub-section (2) fails to show cause within the time specified in the notice or within such extended time as the Assistant Collector may allow in this behalf, or if the cause shown is found to be insufficient, the Assistant Collector may direct that such person shall be evicted from the land, and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary, and may direct that the amount of compensation for damage or misappropriation of the property or for wrongful occupation, as the case may be, be recovered from such person as arrears of land revenue.

(4) If the Assistant Collector is of opinion that the person showing cause is not guilty of causing the damage or misappropriation or wrongful occupation referred to in the notice under sub-section (2), he shall discharge the notice.

(5) Any person aggrieved by an order of the Assistant Collector under sub-section (3) or sub-section (4), may within thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the Collector.

(6) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, and subject to the provisions of this section every order of the Assistant Collector under this section shall, subject to

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 4

the provisions of sub-section (5) be final.

(7) The procedure to be followed in any action taken under this section shall be such as may be prescribed.

Explanation. - For the purposes of this section, the word 'land' shall include the trees and buildings standing thereon.

67-A Certain house sites to be settled with existing owners thereof.- (1) If any person referred to in sub-section (1) of section 64 has built a house on any land referred to in section 63 of this Code, not being land reserved for any public purpose, and such house exists on the November 29, 2012, the site of such house shall be held by the owner of the house on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) Where any person referred to in sub-section (1) of section 64, has built a house on any land held by a tenure holder (not being a government lessee) and such house exists on November 29, 2000, the site of such house, notwithstanding anything contained in this Code, be deemed to be settled with the owner of such house by the tenure holder on such terms and conditions as may be prescribed.

Explanation. - For the purpose of sub-section (2), a house existing on November 29, 2000, on any land held by a tenure holder, shall, unless the contrary is proved, be presumed to have been built by the occupant thereof and where the occupants are members of one family by the head of that family.

68. Gaon Fund.- (1) All sums received under this Code by a Gram Sabha, Gram Panchayat or a Bhumi Prabandhak Samiti shall be credited to the Gaon Fund:

Provided that the amount of damages or compensation recovered under section 67 shall be credited to the Consolidated Gaon Fund.

(2) The Gaon Fund constituted under the enactments repealed by this Code and subsisting immediately before the commencement of such Code shall be deemed to have been constituted under this section.

(3) The Gaon Fund shall be operated in such manner and shall be applied for such purposes as may be prescribed.

69. Consolidated Gaon Fund.-(1) There shall be established for each district, a Consolidated Gaon Fund to which the following amounts shall be credited, namely-

- (a) The amount referred to in the proviso to sub-section (1) of section 68;
- (b) All contributions received by the Collector under sub-section (2);
- (c) Such other amounts as may be prescribed.

(2) Every Gram Panchayat in a district shall pay to the Collector annually such percentage, not exceeding twenty five, as the State Government may from time to time notify, of the total amount credited to the Gaon Fund under section 67, in the manner prescribed.

(3) The Consolidated Gaon Fund shall be operated by the Collector and may be applied for the following purposes namely-

- (a) the payment of fees and allowances, if any, of the lawyers appointed under section 72;
- (b) the payment of expenses incurred in connection with the conduct and prosecution of suits, applications or other proceedings by or against the Gram Panchayat or the Bhumi Prabandhak Samiti under this Code;
- (c) ¹[the payment of expenses incurred on protection, preservation and development of lands of common utility]; and
- (d) the payment of any other sum which the State Government may by general or special order declare to be an appropriate charge on such fund.

(4) The Consolidated Gaon Funds constituted under any of the enactments repealed by this Code and subsisting immediately before its commencement shall be deemed to have been constituted under this section.

(5) The State Government may, by notification in the gazette, direct that a Consolidated Gaon Fund shall be established also for each tahsil for the purpose and in the manner prescribed.

70. Orders and directions of the State Government and the Collector.-

(1) The State Government and, subject to its control, the Collector may issue such orders or directions to the Bhumi Prabandhak Samiti as may appear to be necessary for purposes of this Code.

(2) It shall be the duty of the Bhumi Prabandhak Samiti and its office bearers to forthwith carry out the orders and comply with the directions issued under sub section (1).

71. Alternative arrangement.- If at any time the Collector is satisfied that-

- (a) the Bhumi Prabandhak Samiti has failed without reasonable cause or excuse to discharge its duties or to perform the functions imposed or assigned to it by or under this Code; or
- (b) circumstances have so arisen that the Bhumi Prabandhak Samiti is or may be rendered unable to discharge the duties or perform the functions imposed or assigned by or under this Code; or
- (c) it is otherwise expedient or necessary to do so;

he may, direct that the duties, powers and functions of such Bhumi Prabandhak Samiti under the Code, shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be discharged, exercised and performed by an officer not below the rank of a Naib-Tahsildar and for such period and subject to such restrictions as may be specified:

Provided that reasonable opportunity of hearing shall be given to the Bhumi Prabandhak Samiti before issuing any direction under this section.

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 5

72. Standing Counsel and other lawyers.– (1) The State Government may, on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed, appoint-

(a) one or more Standing Counsel (Revenue) each at Allahabad High Court and Lucknow Bench thereof;

(b) one or more Standing Counsel (Revenue) each for Board of Revenue Allahabad and Lucknow;

[¹(c)] one or more Divisional Government Counsel (Revenue) for the divisional head-quarters who shall also look after the work related to Circuit Courts of the Board, (wherever Circuit Courts exist at Division level); and

(d) one District Government Counsel (Revenue) and one or more Additional District Government Counsel (Revenue) for the district head-quarter.

(2) The Collector may, on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed appoint not more than two Panel Lawyers (Revenue) for every tahsil.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 62, the legal practitioners appointed under sub-section (1) or sub-section (2) may plead or act, without any written authority, on behalf of any Gram Sabha, Gram Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti in any Court or authority for which he is so appointed.

(4) No Gram Sabha, Gram Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti shall engage any legal practitioner other than one appointed under this section without prior permission of the Collector.

(5) Notwithstanding anything contained in the Court Fees Act 1870 (Act No.7 of 1870) no Court fee shall be payable on any vakalatnama or memo of appearance filed by any legal practitioner appointed under this section.

(6) The legal practitioners appointed under this section shall not be competent to plead or act against any Gram Sabha, Gram Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti before any Court for which he is so appointed.

(7) The State Government may, by notification in the gazette, issue any direction, for monitoring of cases filed by or against Gram Panchayat, Gram Sabha or Bhumi Prabandhak Samiti and performance based annual appraisal of Panel Advocates appointed under this Code or the enactments repealed by it, and also for appointing any law officer for the aforesaid purpose.

73. Representation of Gram Panchayat.–(1) In any suit or other proceedings under this Code, the Gram Panchayat shall be represented-

(a) in proceeding before the Collector or in a Civil Court, by the District Government Counsel (Revenue);

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 6

- (b) in proceeding before the Commissioner, by the Divisional Government Counsel (Revenue), and;
- (c) in proceeding before the Board or the High Court by the separate Standing Counsel (Revenue) of Lucknow or Allahabad, as the case may be.
- (2) Nothing in this chapter shall preclude the State Government or the Collector from appointing special counsel for the conduct of any suit or proceeding to which any Gram Panchayat is party on such terms and conditions as may be prescribed.

CHAPTER IX

TENURES

74. Classes of tenures.- There shall be following classes of tenure holders, namely-

- (a) Bhumidhar with transferable rights;
- (b) Bhumidhar with non-transferable rights;
- (c) Asami; and
- (d) Government lessee.

75. Bhumidhar with transferable rights.- Every person belonging to any of the following classes, shall be called bhumidhar with transferable rights and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such bhumidhar by or under this Code namely,

- (a) Every person who was a bhumidhar with transferable rights immediately before the date of commencement of this Code;
- (b) Every person who in any other manner acquires, on or after the said date, the rights of such a bhumidhar under or in accordance with the provisions of this Code or under any other law for the time being in force.

76. Bhumidhar with non-transferable rights.- (1) Every person belonging to any of the following classes shall be called a bhumidhar with non-transferable rights and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such bhumidhar by or under this Code namely:-

- (a) every person who was a bhumidhar with non-transferable rights immediately before the date of commencement of this Code;
- (b) every person who is admitted as a bhumidhar with non-transferable rights on or after the said date by the Bhumi Prabandhak Samiti to any land under or in accordance with the provisions of this Code;
- (c) every person who is allotted any land on or after the said date under the provisions of the Uttar Pradesh Bhoodan Yajna Act, 1952;

(d) every person who is allotted any land on or after the said date under the provisions of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960;

(dd) every person who was an asami in possession of land not covered by section 77 of this Code, immediately before the date of the commencement of this Code and had been recorded as such in class-3 of the annual register (khatauni) of 1407 Fasli:

Provided that where the land in possession of a person, together with any other land, held by him in Uttar Pradesh exceeds the ceiling area determined under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the rights of a Bhumidhar with non-transferable rights shall accrue in favour of such person in respect of so much area of the first mentioned land, as together with such other land held by him, does not exceed the ceiling area applicable to him, and the said area shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the aforesaid Act;

(e) every person who in any other manner acquires on or after the said date, the rights of such a bhumidhar under or in accordance with the provisions of this Code, or any other law for the time being in force.

(2) Every person who was a bhumidhar with non-transferable rights immediately before the commencement of this Code and had been such bhumidhar for a period of five years or more, shall become bhumidhar with transferable rights on such commencement.

(3) Every person who was a bhumidhar with non-transferable rights on the commencement referred to in sub-sections (1) and (2) or becomes bhumidhar with non-transferable rights after such commencement shall become bhumidhar with transferable rights after expiry of five years from his becoming bhumidhar with non-transferable right.

(4) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Code, if any person transfers land by sale after becoming bhumidhar with transferable rights under sub-section (2) or sub-section (3), he shall not be eligible for lease of any land vested in the Gram Panchayat or the State Government or the surplus land defined in the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

77. Bhumidhari rights not to accrue in certain lands.- (1) Notwithstanding anything contained in this Code or any other law for the time being in force; no person shall acquire the rights of a bhumidhar in the following land:-

(a) Khaliyan, manure pits, pasture land or land normally used as burial or cremation ground;

(b) land covered by water and used for the purpose of growing singhara or other produce;

(c) land situate in the bed of a river and used for casual or occasional cultivation;

(d) such tracts of shifting or unstable cultivation which the State Government may by notification specify;

- (e) land declared by the State Government to be intended or set apart for taungya plantation and notified as such;
- (f) grove land entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Panchayat or any other local authority under section 59;
- (g) land included in sillage farm or trenching ground entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Panchayat or any other local authority under section 59;
- (h) land acquired or held for a public purpose or a work of public utility;
- (i) land covered by a pond, tank or lake, or forming part of an embankment, bandh or bhita; and
- (j) any other land which the State Government may, by notification, specify in this behalf.

Explanation.- The expression ‘public purpose’, in clause (h) shall include:

- (i) land set apart for military encamping ground;
- (ii) land included within railway or canal boundaries;
- (iii) land acquired and held by a local authority for its own purposes;
- (iv) land referred to in section 29-C of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953; or
- (v) land reserved by a Gram Panchayat for the purposes of public utility.

¹[(2)] Notwithstanding anything to the contrary contained in other provisions of this Code, where any land or part thereof specified in sub-section(1) of this section is, surrounded by or, in between, or on the edges and necessary for public purpose, the plot or plots of land purchased, acquired or resumed for public purpose, the State Government may change the class of such public utility land, and if class of such public utility land is changed, any other land equivalent to or more than that of the aforesaid public utility land, shall be reserved for the same purpose in the same or any nearby Gram Panchayat or local authority, as the case may be or the State Government may permit the exchange thereof under section 101 of this Code in the manner prescribed.

Provided that the class of any public utility land may be changed only in exceptional cases on such terms and conditions, as may be prescribed. The reason for changing the class of public utility land shall be recorded in writing.

(3) The State Government, while changing the class of the land or permitting the exchange of the same under section 101 of the Code, shall consider the location, public utility and suitability of the land proposed to be reserved or exchanged.

(4) If class of land is changed under sub-section (2) of this section, the Collector shall order the record of rights (Khatauni) and the map to be corrected accordingly.

Explanation:- The expression ‘public purpose’, in sub-section (2) of this section means, *mutatis mutandis*, ‘the public purpose’ as defined in clause (za) of section 3 of Right to Fair

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no.30 of 2013).

78. Asami.- Every person belonging to any of the following classes, shall be called an asami, and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such asami by or under this Code, namely:-

- (a) subject to the provisions of clause (dd) of sub-section (1) of section 76 of this Code, every person who was an asami immediately before the date of commencement of this Code;
- (b) every person who is admitted as an asami on or after the said date by the Bhumi Prabandhak Samiti to any land under or in accordance with the provisions of this Code;
- (c) every person who is admitted as lessee on or after the said date, by a bhumidhar of any land under or in accordance with the provisions of this Code;
- (d) every person who in any other manner acquires the rights of an asami under or in accordance with the provisions of this Code or any other law for the time being in force.

79. Right of Bhumidhars to exclusive possession.- (1) A bhumidhar with transferable rights shall, subject to the provision of this Code, have the right to exclusive possession of all land of which he is such a bhumidhar and to use it for any purpose whatsoever.

(2) a bhumidhar with non transferable rights shall, subject to the provisions of this Code, have the right to exclusive possession of all land of which he is such a bhumidhar, and to use such land for any purpose connected with agriculture.

¹[80] **Use of holding for Industrial, Commercial or Residential purposes.-**

(1) Where a bhumidhar with transferable rights uses his holding or part thereof, for industrial, commercial or residential purposes, the Sub-Divisional Officer may, suomotu or on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, either make a declaration that the land is being used for the purpose not connected with agriculture or reject the application. The Sub-Divisional Officer shall take a decision on the application within forty five working days from the date of receipt of the application. In case the application is rejected, the Sub-Divisional Officer shall state the reasons in writing for such rejection and inform the applicant of his decision.

²[Provided that if the application for declaration is accompanied with the prescribed fee and in case of joint holding, no objection of co-tenure holders is attached in case of co-tenure holder and if the declaration is not made by the Sub-Divisional Officer with forty-five days as aforesaid, then the declaration shall be deemed to have been made. Tehsildar will make a record

1. Subs .by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 8

2. Proviso Ins .by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 6

of it in the revenue records, with the comment "subject to the order of the Sub-Divisional Officer".

If any affected party wants to file an objection in relation to the said declaration, it may file an objection in the competent court].

(2) Where a bhumidhar with transferable rights proposes to use in future his holding or part thereof, for industrial, commercial or residential purposes, the Sub-Divisional Officer may on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, either make a declaration that the land may be used for the purpose not connected with agriculture or reject the application, within forty five working days from the date of receipt of the application. In case the application is rejected, the Sub-Divisional officer shall state the reasons in writing of such rejection and inform the applicant of his decision:

¹[Provided that for declaration under this sub-section there must exist a boundary wall surrounding the holding or part thereof, which is proposed to be used for such purpose./

Provided further that if the bhumidhar fails to start the proposed non agricultural activity within a period of five years from the date of declaration under this sub-section, then the declaration under sub-section (2) for the holding or part thereof shall lapse:

Provided also that a declaration under this sub-section (2) shall not amount to change of land use and the land shall continue to be treated as agricultural land only. However, the bhumidhar shall be entitled to obtain loan and other necessary permissions, clearances etc. for the activity or project, proposed on the holding or part thereof, for which declaration under this sub-section has been obtained.

(3) A bhumidhar possessing declaration under sub-section (2) for his holding or part thereof, may apply to Sub-Divisional officer for converting declaration under sub-section(2) to a declaration under sub-section (1), after completion of construction activity or start of the proposed non-agricultural activity, within a period of five years from declaration under sub-section (2). On receipt of such an application, the Sub-Divisional officer, after making such enquiry as necessary, shall approve or reject the application within a period of 15 days from the receipt of the application. In case of rejection, he shall record in writing the reasons for such rejection.

Provided that for conversion of declaration under sub-section (2) to a declaration under sub-section (1), the bhumidhar shall be liable to pay only the balance amount of fee payable, calculated at prevailing circle rate, after adjusting the amount already paid by him for declaration under sub-section (2) earlier.

(4) No application for a declaration under sub-section (1) or (2), moved by any co-bhumidhar having undivided interest in bhumidhari land shall be maintainable, unless application is moved

1. Omitted by U.P. Act No. 4 of 2021, Sec 3

by all the co-bhumidhars of such bhumidhari land. In case only one of the co-bhumidhar wants to get a declaration for his share in the land with joint interest, then such an application shall be entertained only after the respective shares of the co-bhumidhars in the land have been divided in accordance with the provisions of law.

(5) The application for declaration [under sub-section (1) or sub-section(2)] shall contain such particulars and shall be made in such manner as may be prescribed.

(6) Where the application under sub-section (1) or sub-section (2) is made in respect of a part of the holding, the sub-divisional officer may, in the manner prescribed, demarcate such part for purposes of such declaration.

(7) No declaration under this section shall be made by the sub-divisional officer, if he is satisfied that the land or part thereof is being used or is proposed to be used for a purpose which is likely to cause a public nuisance or to affect adversely public order, public health, safety or convenience or which is against the uses proposed in the master plan.

(8) In case the land or part thereof for which a declaration under this section is being sought falls within the area notified under any Urban or Industrial Development Authority, then prior permission of the concerned Development Authority shall be mandatory.

(9) The State Government may fix the scale of fees for declaration under this section and different fees may be fixed for different purposes:

Provided that if the applicant uses the holding or part thereof, for his own residential purpose, no fee shall be charged for the declaration under this section."

81. Consequences of declaration.- Where a declaration has been made under ¹[sub section (1) of section 80] the following consequences shall, in respect of such holding or part to which it relates ensue:

(a) All restrictions imposed by or under this chapter in respect of transfer of land shall cease to apply to the bhumidhar with transferable rights;

(b) Notwithstanding anything contained in chapter XI, the land shall, with effect from the commencement of the agricultural year following the date of declaration, be exempted from payment of land revenue;

(c) The bhumidhar shall, in the matter of devolution be governed by the personal law to which he is subject.

82. Cancellation of declaration.- (1) Whenever any holding or part thereof in respect of which a declaration has been made under section 80 is used for any purpose connected with agriculture, the Sub-Divisional Officer may, of his own motion or on an application made in that behalf and after making such inquiry as may be prescribed, cancel such declaration.

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 9

(2) where a declaration is cancelled under sub-section (1) the following consequences shall, in respect of the holding or part to which it relates ensue namely:

(a) the holding or part shall become subject to all restrictions imposed by or under this chapter in matters of transfer and devolution;

(b) the holding or part shall become liable to payment of land revenue with effect from the commencement of the agriculture year in which the order for cancellation of the declaration is made:

Provided that until any land revenue is reassessed on such holding or part in accordance with the provisions of this Code, the land revenue payable or deemed to be payable in respect of such holding or part before the grant of declaration under section 80 shall be deemed to be the land revenue payable in respect of such holding or part,

(c) where the land is in possession of any person other than the bhumidhar thereof on the basis of a contract or lease, and the terms of such contract or lease are inconsistent with the provisions of this Code, such contract or lease shall, to the extent of the inconsistency, become void and the person in possession shall be liable to ejectment on the suit of the bhumidhar:

Provided that a mortgage with possession existing on the date of the cancellation of the declaration shall, to the extent of the amount due and secured on such land, be deemed to be substituted by a simple mortgage carrying such rates of interest as may be prescribed;

83. Recording of declaration or cancellation.—Every declaration under section 80 or cancellation under section 82 shall be recorded in record of rights in the manner as may be prescribed and even after declaration under section 80, the mutation order on the basis of transfer or succession shall be passed in the manner prescribed.

84. Right of an asami for exclusive possession of his holding.— An asami shall, subject to the provisions of this Code, have the right to exclusive possession of all land comprised in his holding and to use such land for any purpose connected with agriculture:

Provided that no asami shall be entitled to use any land declared by the State Government by notification to be intended or set apart for taungya plantation, for any purpose other than cultivation and raising of crops.

85. Consequences of using the land in contravention of the provisions of this Code- (1) Where a bhumidhar with non-transferable rights uses his holding or part thereof, in contravention of the provisions of section 79, he shall, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, be liable to ejectment from such holding or part on the suit of the Gram Panchayat.

(2) Where an asami uses his holding or part thereof for any purpose not permitted by section 84, he shall, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, be liable to ejectment from such holding or part, on the suit of the land holder.

(3) A decree for ejectment under this section may direct payment of damages equivalent to the cost of works which may be required to restore the land to its original condition.

86. Extinction of interest of bhumidhar with non-transferable rights or asami.-

Where a bhumidhar with non-transferable rights or an asami has been ejected from any holding or part thereof in accordance with section 85, all rights and interest of such bhumidhar or asami in such holding or part together with any improvements made therein shall stand extinguished.

87. Improvement not to be removed.- (1) It shall be lawful for a bhumidhar to make any improvement in the land of which he is bhumidhar for cultivation of such land or for more convenient use thereof.

(2) where the right, title or interest of any tenure holder in any holding or part is extinguished under or in accordance with the provisions of this Code, he shall not be entitled to remove or appropriate any improvement made by him under subsection(1).

TRANSFERS

88. Transferability of a bhumidhar's interest.- (1) The interest of a bhumidhar with transferable rights shall, subject to the provisions of this Code, be transferable.

(2) Save as otherwise expressly provided by this Code or any other law for the time being in force, the interest of a bhumidhar with non-transferable rights or an asami in any holding shall not be transferable.

89. Restrictions on transfer by bhumidhar.-(1) No bhumidhar shall have the right to transfer any holding or part thereof where such transfer contravenes or is likely to contravene the provisions of sub-section (2) or sub-section (3).

(2) Subject to the provisions of sub-section (3), no person shall have the right to acquire by purchase or gift any holding or part thereof from a bhumidhar with transferable rights, where the transferee shall, as a result of such acquisition, become entitled to land which together with land, if any, held by such transferee and where the transferee is a natural person, also together with land, if any, held by his family shall exceed 5.0586 hectares in Uttar Pradesh.

¹[**Explanation**]. ²[the expression 'person' in this sub-section means natural or legal person.]

³[(3)] The State Government or an officer authorized for this purpose under this Act may approve an acquisition or purchase done or proposed to be done, in excess of the limits specified in sub-section (2), if such acquisition or purchase is in favour of a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable

1. Ins. by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 7(1)

2. Omitted by U.P. Act No. 4 of 2021, Sec 4

3. Subs. by U.P. Act No.7 of 2019, Sec 10

institution: and if it is of opinion that the acquisition or purchase would be in public interest and likely to generate economic activities (other than agricultural) and provide employment. In such case, the provisions of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holding Act, 1960 shall not apply to such acquisition.

¹[Provided that where the land has been acquired or purchased by a registered firm, company partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any other educational or a charitable institution, without obtaining prior approval under this sub- section or sub- section (3) of section 154 of the uttar pradesh zamindari abolition and land reforms act, 1950 as enacted before the repeal, the state government or an officer authorized for this purpose under this act may give its approval for regularizing such acquisition or purchase after payment of an an amount as fine which shall be ten percent of the cost of the land in excess of the limit prescribed under sub-section (2) calculated as per the circle rate prevailing at the time of making the application.

Provided further that where the State Government is satisfied that any transfer has been made in the public interest under various promotion investment policies or for the projects being encouraged by the State Government, for the establishment of private universities and medical colleges, it may exempt any such transferee from the payment of fine under this sub section].

(4) Permission under sub-section (3) for acquisition or purchase of land by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution in excess of limits prescribed under sub-section (2) shall be granted, on the conditions and in the manner prescribed, under sub-section (2) shall be granted, on the conditions and in the manner prescribed, by:-

- (i) The Collector concerned for acquisition or purchase of land upto 20.2344 hectares;
- (ii) The Commissioner concerned for acquisition or purchase of land more than 20.2344 hectares and upto 40.4688 hectares;
- (iii) The State Government for acquisition or purchase of land more than 40.4688 hectares.

Provided that if the applicant fails to set up the project within a period of five years from the date of grant of permission under sub-section (3), the same shall lapse and the land acquired or purchased in excess of the limit prescribed under sub-section (2) shall vest in the State and the consequences of section 105 shall become applicable.

Provided further that the State Government may extend the period of permission granted under sub section (3) for a further period of maximum three years, after recording reasons for the same."

90. Persons other than Indian nationals not to acquire land.-

Notwithstanding anything contained in this Code or in any other law for the time being in force, no person, other than an Indian citizen, shall have the right to acquire any land, by sale or gift, or in any other manner involving transfer of possession in his favour, without prior permission in writing from the State Government.

Explanation. - For the purposes of this section, the expression “an Indian citizen” includes any company or association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Indian citizens.

91. Restrictions on transfer by mortgage.- No bhumidhar shall have right to mortgage any holding or its part where possession of the mortgaged property is transferred or agreed to be transferred to the mortgagee as security for the amount of mortgage advanced or to be advanced or for interest thereon.

92. Mortgage of land by bhumidhar with non-transferable rights. -Subject to the provisions of this Code, the interest of a bhumidhar with non-transferable rights in any holding or its part may be-

(a) transferred by mortgage without possession as security for a loan taken or to be taken from the State Government or a bank or a cooperative society or the U.P. State Agro Industrial Corporation Ltd., or any other financial institution owned and controlled by such Government;

(b) sold in execution of a decree of any Court regarding the matter referred to in clause (a) or in proceedings for collection of land revenue under Chapter XII.

93. Transfer of possession for securing money shall be deemed to be a sale.- If any bhumidhar transfers possession of any holding or part thereof for the purpose of securing any money advanced by way of loan or in lieu of interest on such loan, then, notwithstanding anything contained in any law or contract or document of transfer, the transaction shall be deemed at all times and for the purposes of this Code, to be a sale to the transferee, and to every such sale, the provisions of section 89 shall apply.

¹[94]. Lease by a Bhumidhar. (1) A Bhumidhar may lease out his holding or any part thereof to Lease by a any person, firm, company, partnership firm, limited liability Bhumidhar partnership firm, trust, society or any other legal entity for agriculture or for setting up a solar energy plant. Such lease shall be known as the private lease by a bhumidhar.

(2) Private lease by a Bhumidhar means a contract based on an agreement, with mutually agreed terms and conditions, between Lessor, who may be a Bhumidhar and the Lessee who wishes to undertake agricultural activities or set up a solar energy plant, by which the Lessor grants permission to the Lessee to use the land or holdhig or any part thereof for agricultural purposes or

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 11

for establishment of solar energy plant, against a consideration in cash or kind or a share of produce, payable to the Lessor as per the lease agreement.

(3) Period of private lease by a bhumidhar— maximum period of the private lease by a Bhumidhar shall not exceed fifteen years at a time.

Provided that, after the expiration of the first lease period, the duration of lease period may be further extended by mutual consent of the Lessor and the Lessee:

Provided further that for purpose of establishing a solar energy plant, the maximum period may be upto thirty years.

(4) Conditions of the private Lease by a bhumidhar- The terms and conditions of the private lease by a bhumidhar shall be as mutually agreed between the Lessor and Lessee. The general conditions of the lease shall be in the manner as may be prescribed."

¹[95]. **Lease- how made, its termination and any dispute arising therto.** Private lease by a bhumidhar may be oral or in writing or Registered.

(1) Private Lease by a bhumidhar for a single crop or its termination for period upto one year may be either oral or in writing. Lease agreement for period exceeding one year shall be made by a registered instrument only.

(2) Private Lease by a bhumidhar to be recorded in remarks column of Record of Rights - In case of written or registered lease agreement, a copy of the agreement or deed shall be made available to Revenue Inspector concerned, who shall pass order for recording the details of the private lease by a bhumidhar lease agreement (names and other details of Lessor and Lessee; date of agreement; period of lease; proposed use of land; and annual lease rent) in the Remarks column of Record of Rights (khatauni).

(3) Private Lease by a bhumidhar shall not create any type of Tenancy Right- An agreement of private lease by a Bhumidhar either registered under the Registration Act 1908 or countersigned by a Revenue Officer or Gram Pradhan or notarized by a Notary or oral, shall not create or confer any rights or interest in favour of the Lessee over the leased land, including protected tenancy or occupancy right or any other right against eviction or lease termination, other than those contained in this Act or Rules, the lease agreement shall not be used by the Lessee to establish and permanent right over the leased land in any Court of Law.

(4) Resumption of Land- After expiration of the private lease by a bhumidhar period of or termination of such private lease, the instrument of private lease by a bhumidhar shall be a nullify and if the period of such private lease is not extended, the leased land shall automatically revert to the Lessor and the Lessee shall hand over peaceful possession of the land, free from all

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 12

encumbrances, to the Lessor and shall cease to have any right, title or interest in the land so leased out.

Explanation- *Regardless of any dispute, arising out of private lease made under Section 94, pending before any Court of Law, the Lessor shall be entitled to get peaceful possession of the leased land after the expiration of the private lease period and the Lessee shall have no right to retain possession over the leased land.*

(5) Effect of Private Lease by a bhumidhar - The-Provisions contained in the Code regarding private lease by a bhumidhar shall not have retrospective effect.

(6) Termination of the private lease by a bhumidhar -

(a) Unless extended by mutual consent between the Lessor and Lessee, the private lease agreement would terminate on expiry of the private lease period mentioned in the agreement,

(b) In case of non-payment of consideration amount or annual lease rent by the Lessee by the due date, or if any Of the terms and conditions of the I private lease are violated by him, the private lease by a bhumidhar agreement may be terminated by the Lessor, prior to-expiry of the lease period, after giving due notice to the Lessee in writing.

(c) In case the private lease agreement is proposed to be terminated prematurely by the Lessor, then the Lessee shall be entitled to remove such structures, maninery eft. that were created or installed by the Lessee on the . leased land. The Lessee would also be entitled to recover such damages and compensation from the Lessor, as agreed upon and laid down in the private lease agreement.

(d) In case the Lessee wishes to terminate the lease agreement prematurely or surrenders the land during the private lease by a bhumidhar period, then he shall have to give at least six months' notice to the Lessor and shall also be liable to pay the annual rent for the remaining part of the year to the Lessor, in addition to such other compensation, as agreed upon and laid down in the private lease by a bhumidhar agreement or as prescribed.

(e) In case after expiration of the private lease by a bhumidhar period or termination of the lease agreement, the Lessee fails to handover peaceful possession of the leased land to the Lessor, the Lessee shall be treated as unauthorised occupant and shall be liable to be ejected from the leased land. The Lessee shall also be liable to pay such penal rent or damages to the Lessor for the period of unauthorised occupation, as provided in the private lease by a bhumidhar agreement, in addition to the cost of such ejection.

(f) The Lessor and Lessee may terminate the private, lease by a bhumidhar on mutually agreed terms at any time.

(7) Disputes arising out of the private lease by a bhumidhar-

(a) In an event of a dispute arising out of the private lease agreement by a bhumidhar, or any terms and conditions thereof; the Lessee and the Lessor shall make all efforts to amicably resolve

and settle the dispute amongst themselves or if mutually agreed, by using mediation by a third party arbitrator or Gram Panchayat or Village Revenue Committee.

(b) If the dispute is not settled through the mechanism mentioned in clause (a) either party may file a petition before the Sub-Divisional Officer.

(c) The Sub-Divisional Officer shall adjudicate the dispute using the summary procedure within a period of thirty days of its institution.

(d) An appeal against the order, other than an interim order, passed by a Sub-Divisional Officer, shall lie before the Commissioner. The decision of Commissioner shall subject to the provision of section 210, be final."

¹[96]. [* * *]

²[97]. [* * *]

98. Restrictions on transfer by bhumidhars belonging to a scheduled caste.- (1) Without prejudice to the provisions of this Chapter, no bhumidhar belonging to a scheduled caste shall have the right to transfer, by way of sale, gift, mortgage or lease any land to a person not belonging to a scheduled caste, except with the previous permission of the Collector in writing:

Provided that the permission by the Collector may be granted only when-

(a) the bhumidhar belonging to a scheduled caste has no surviving heir specified in clause (a) of sub-section (2) of section 108 or clause (a) of section 110, as the case may be; or

(b) the bhumidhar belonging to a scheduled caste has settled or is ordinarily residing in the district other than that in which the land proposed to be transferred is situate or in any other State for the purpose of any service or any trade, occupation, profession or business; or

(c) the Collector is, for the reasons prescribed, satisfied that it is necessary to grant the permission for transfer of land.

(2) For the purposes of granting permission under this section the Collector may make such inquiry as may be prescribed.

99 .Restrictions on transfer by bhumidhars of scheduled tribes. – Without prejudice to the provisions of this Chapter, no bhumidhar belonging to a scheduled tribe shall have the right to transfer, by way of sale, gift, mortgage or lease any land to a person not belonging to a scheduled tribe.

100. Mortgage by members of scheduled caste and scheduled tribes.- A bhumidhar or an asami belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe may, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code, transfer his interest in any holding or part, by mortgage without possession as security for a loan taken or to be taken from the State Government or any institution referred to in clause (a) of section 92.

1 . Omitted by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 13

2. Omitted by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 13

101. Exchange.- (1) Notwithstanding anything in section 77 of this Code, any bhumidhar may with prior permission in writing of the Sub-Divisional Officer exchange his land with the land-

(a) held by another bhumidhar; or

(b) entrusted or deemed to be entrusted to any Gram Panchayat or a local authority under section 59.

(2) The Sub-Divisional Officer shall refuse permission under sub-section (1) in the following cases, namely-

(a) if the exchange is not necessary for the consolidation of holdings or securing convenience in cultivation; or

(b) if the difference between the valuation, determined in the manner prescribed, of the lands given and received in exchange exceeds ten per cent of the lower valuation; or

¹ [Provided that permission for exchange may be granted even if the valuation of private land offered for exchange is more than ten percent of the value of the public land].

(c) if the difference between the areas of the land given and received in exchange exceeds twenty-five per cent of the lesser area; or

²[**Provided that** permission for exchange may be granted even if the area of private land offered for exchange is more than twenty five percent of the area of the public land].

(d) in the case of land referred to in clause (b) of sub-section (1), if it is reserved for planned use, or is land in which bhumidhari rights do not accrue; or

(e) if the land is not located in same or adjacent village of the same tahsil:

Provided that the State Government may permit the exchange with land mentioned in clause (d) aforesaid, on the conditions and in the manner prescribed.

(3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person to exchange his undivided interest in any holding, except where such exchange is in between two or more co-sharers.

(4) Nothing in the Registration Act, 1908 (Act No.16 of 1908), shall apply to an exchange in accordance with this section.

102. Consequences of exchange.- Where an exchange is made in accordance with section 101-

(a) the parties to the exchange shall have the same rights in the land received in exchange as they had in the land given;

(b) the Sub-Divisional officer shall order the record of rights (Khatauni) to be corrected accordingly; and

(c) the amount of land revenue assessed, payable or deemed to be payable for the land so exchanged shall not be affected thereby.

¹[103]. [* * *]

1.Proviso inserted by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 8

2.Proviso Inserted by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 8

²[104].**Transfer in contravention of this Code to be void.**- Every Lease or transfer of interest in any holding or part thereof made by a bhumidhar or any asami in contravention of the provisions of this Code shall be void."

105. Consequences of transfer by bhumidhar in contravention of the Code.-(1) Where transfer of interest in any holding or part made by a bhumidhar is void under section 104, the following consequences shall, with effect from the date of such transfer, ensue, namely:-

- (a) the subject matter of such transfer shall vest in the State Government free from all encumbrances;
- (b) the trees, crops, wells and other improvements, existing on such holding or part shall vest in the State Government free from all encumbrances;
- (c) the interests of the transferor and the transferee in the properties specified in clauses (a) and (b) shall stand extinguished;
- (d) the extinction of interest of the transferor under clause (c) shall operate to extinguish the interest of any asami holding under him.

³[(e)] the provisions of this section shall not apply to any lease made under section 94.

(2) Where any land or other property has vested in the State Government under sub section (1) it shall be lawful for the Collector to take over possession of such land and other property, and to direct that any person occupying such land or property be evicted there from, and for that purpose, the Collector may use or cause to be used such force as may be necessary and the provisions of section 59 *mutatis mutandis* shall apply to such property.

106. Consequences of transfer made by asami in contravention of this Code.-Where transfer of interest in any holding or part made by an asami is void under section 104, such asami shall be liable to ejectment on the suit of the Gram Panchayat or other land holder, as the case may be, in accordance with the provisions of this Code.

DEVOLUTION

107. Bequest by bhumidhar or asami.-(1) Subject to the provisions of subsection (2), a bhumidhar with transferable rights may bequeath his interest in any holding by will.

(2) In relation to a bhumidhar with transferable rights belonging to a scheduled caste or scheduled tribe, the provisions of sections 98 and 99 shall apply to the making of bequests as they apply to transfer during life time.

(3) Every will made under this section shall, notwithstanding anything contained in any law, custom or usage, be in writing, attested by two witnesses and registered.

1. Omitted by U.P. Act No.7 of 2019, Sec 14

2. Subs.by U.P. Act No.7 of 2019, Sec 15

3. Subs.by U.P. Act No.7 of 2019, Sec 16

(4) No bhumidhar with non-transferable rights or asami shall have the right to bequeath his interest in any holding by will.

(5) A bequest made in contravention of the provisions of this section shall be void.

108. General order of succession to male bhumidhar, asami or government lessee.- (1)

Subject to the provisions of section 107, where a bhumidhar, asami or government lessee, being a male ¹[**third gender**] dies, his interest in his holding shall devolve upon his heirs being the relatives specified in sub-section (2) in accordance with the following principles, namely:-

(i) the heirs specified in any one clause of sub-section (2) shall take simultaneously in equal shares;

(ii) the heirs specified in any preceding clause of sub-section (2) shall take to the exclusion of all heirs specified in succeeding clauses, that is to say, those in clause (a) shall be preferred to those in clause (b), those in clause (b) shall be preferred to those in clause (c) and so on, in succession;

(iii) if there are more widows than one, of the bhumidhar, asami or government lessee, or of any predeceased male lineal descendant, who would have been an heir, if alive, all such widows together shall take one share;

(iv) the widow or widowed mother or the father's widowed mother or the widow of any predeceased male lineal descendant who would have been an heir, if alive, shall inherit only if she has not remarried.

²[(2)] The following relatives of the male third gender Bhumidhar, asami or government lessee are heirs subject to the provisions of sub section (1), namely:

(a) Widow, or third gender spouse, unmarried daughters, third gender issue and the male lineal descendants in the male line of descent per stirpes:

Provided that the widow, unmarried daughters, third gender issue and sons howsoever shall inherit per stirpes the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

(b) Mother and father;

(c) Married daughter;

(d) Brother, unmarried sister, third gender sibling being respectively the son and daughter, third gender issue of the same father as the deceased, and son, unmarried daughter, third gender issue of predeceased brother, the predeceased brother, having been the son of the same father as the deceased.

(e) Son's daughter and third gender issue;

(f) Father's mother and father's father;

(g) Daughter's son, third gender issue and unmarried daughter;

1. Subs. by U.P.Act No. 28 of 2020, Sec 9(2)

- (h) Married sister;
- (i) Half sister, being the daughter of the same father as the deceased;
- (j) Sister's son, third gender issue and unmarried daughter;
- (k) Half sister's son, third gender issue and unmarried daughter the sister having been the daughter of the same father as the deceased;
- (l) Brother's son's son, third gender issue and unmarried daughter;
- (m) Father's father's son, third gender issue and unmarried daughter;
- (n) Father's father's son's son, third gender issue and unmarried daughter;
- (o) Mother's mother's son, third gender issue and unmarried daughter.

109. Succession to woman inheriting interest as a female heir.-Where before or after the commencement of this Code, any woman inherits the interest of a male ¹[third gender] bhumidhar, asami or government lessee in any holding, and such woman dies, marries or remarries after such commencement, then, her interest in the holding shall, subject to the provisions of sections 107 and 112 devolve upon the nearest surviving heir of the last male ¹[third gender] bhumidhar, asami or government lessee, as the case may be.

Explanation. - The expression 'nearest surviving heir' in this section means the heir ascertained in accordance with section 108.

Provided that if any woman inheriting as a daughter, who has surviving heirs specified in clause (a) of section 110 of this Code, dies, her interest in the holding shall devolve upon heirs specified in clause (a) of section 110.

² [110]. **Succession to woman holding otherwise than as a female heir-** Where any female bhumidhar asami or a government lessee dies, after the commencement of this code, then her interest in any holding or its part shall subject to the provisions of section 107 to 109, devolve, in accordance with the order of succession given below.

(a) Son, third gender issue, unmarried daughter, son's son, third gender issue, and unmarried daughter, son's son's son, third gender issue and unmarried daughter, predeceased son's widow, and predeceased son's predeceased son's widow, in equal shares as per stripes:

Provided firstly that the nearer shall exclude the remoter in the same branch:

Provided secondly that a widow who has remarried, shall be excluded.

- (b) Husband or married third gender spouse;
- (c) Married daughters;
- (d) Daughter's son, third gender issue and unmarried daughter;
- (e) Father;

1. Ins. by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 10

2. Subs. by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 11

- (f) Widow mother;
- (g) Brother being the son of the same father as the deceased, third gender sibling being the issue of the same father as the deceased and brother's son, third gender issue and unmarried daughter as per stirpes;
- (h) Unmarried sister;
- (i) Married sister;
- (j) Sister's son, third gender issue and unmarried daughter.

111. Savings as to religious endowments. etc. - Nothing in this Chapter shall be construed to apply to the devolution of management of a Hindu devasthan, math or debutter property or of a Muslim waqf comprising any holding, which shall continue to be governed by such personal or other law as may be applicable to it.

112. Interest of co-tenure-holders to pass by survivorship.- (1) Where before or after the commencement of this Code, two or more co-widows inherit the interest of a male tenure-holder, and any one of them dies or remarries after such commencement without leaving any heir entitled to succeed in accordance with section 108, the interest of such co-widow shall pass by survivorship to the surviving widow, and where there are two or more surviving co-widows, then to the surviving co-widows in equal shares.

(2) Where any land is held by two or more co-tenure holders, and any one of them dies after the commencement of this Code without leaving any heir entitled to succeed under sections 108 to 110, the interest of such co-tenure holder shall pass to the surviving co-tenure holders in equal shares.

113. Persons other than Indian citizens and persons of Indian origin not to inherit.- Notwithstanding anything contained in this Code or any other law for the time being in force, no person other than an Indian citizen and person of Indian origin who has acquired citizenship of any other country shall be entitled to acquire any land or any interest therein either by bequest or by inheritance.

114. Other conditions regarding devolution.- The devolution of interest in any holding under this Chapter shall be subject to the following conditions :-

- (a) If a bhumidhar, asami or government lessee dies intestate, and at the time of his death, a child was in the womb who was subsequently born alive, then such child shall have the same right to inherit as if he or she had been born before the death of such bhumidhar, asami or government lessee and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of death of such bhumidhar, asami or government lessee;
- (b) Where two persons have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them and if so which survived the other, then for purposes of devolution of interest in any holding, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the younger survived the elder;

(c) A person who commits murder of a bhumidhar, asami or government lessee, or abets the commission of such murder, shall be disqualified from inheriting the interest of the deceased in any holding;

(d) If any person is disqualified from inheriting the interest in the holding of any bhumidhar, asami or government lessee under clause (c), such interest shall devolve as if the disqualified person had died before the death of such bhumidhar, asami or government lessee.

Explanation.-In this section, the expression ‘murder’ means any offence punishable under section 302, section 304, section 304-B, section 305 or section 306 of the Indian Penal Code.

115. Escheat. - (1) Where a bhumidhar or an asami holding land from a Gram Panchayat dies without known heirs, the Sub-Divisional Officer may take possession of the land held by such bhumidhar or asami, and may lease it for a period of one agricultural year at a time, in the manner prescribed.

(2) The terms and conditions of every lease under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) if within three years of the date on which the Sub-Divisional Officer takes possession of the land any claimant applies for the land being restored to him, the Sub-Divisional Officer may, after such inquiry as he thinks fit, allow or reject his claim.

(4) Any person aggrieved by an order rejecting his claim under sub-section (3) may, within one year from the date of communication of such order to him, file a suit for declaration of his rights under section 144.

(5) The Sub-Divisional Officer shall continue to lease out the land in accordance with sub-sections (1) and (2) till the suit referred to in sub-section (4) is finally decided.

(6) If no claimant appears within three years from the date of taking possession of the land by the Sub-Divisional Officer, or if the claimant whose claim has been rejected under sub-section (3) does not file a suit in accordance with sub-section (4), or the suit, if filed is finally dismissed, then the land shall be deemed to have vested in the Gram Panchayat or the local authority under section 59 with effect from the following date, namely-

(a) where no claimant appears, from the date of expiry of the three years period referred to in sub-section (3); or

(b) where the claimant does not file a suit for declaration, from the date of expiry of the one year period referred to in sub-section (4); or

(c) where the suit filed by the claimant under sub-section (4) is finally dismissed, from the date of such final dismissal.

(7) Where any claimant succeeds in any claim under sub-section (3) or in any suit filed under sub-section (4), he shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, be

entitled to possession of the land and to the rent realised from the lessee after deducting all arrears of land revenue due in respect of such land and the expenses of its management.

116. DIVISION Suit for division of holding. - (1) A bhumidhar may sue for the division of the holding of which he is a co-sharer.

(2) In every such suit, the Court may also divide the trees, wells and other improvements existing on such holding but where such division is not possible, the trees, wells and other improvements aforesaid and valuation thereof shall be divided and adjusted in the manner prescribed.

(3) One suit may be instituted for the division of more holdings than one where all the parties to the suit other than the Gram Panchayat are, jointly interested in each of the holdings.

(4) to every suit under this section, the Gram Panchayat concerned shall be made a party.

117. Duty of Court in suits for division of holding.- (1) In every suit for division of holding under section 116 the Court of Assistant Collector shall-

(a) follow such procedure as may be prescribed;

(b) apportion the land revenue payable in respect of each such division.

(2) A division of holding referred to in section 116 shall not affect the joint liability of the tenure-holders thereof in respect of the land revenue payable before the date of the final decree.

SURRENDER AND ABANDONMENT

118.Surrender by bhumidhar.- (1) A bhumidhar may surrender his interest in any holding or any part thereof by giving an application in writing to the Tahsildar intimating his intention to do so and by giving up possession thereof to him whether or not such holding is let.

(2) Where only part of a holding has been surrendered, the Tahsildar shall apportion the land revenue payable by such bhumidhar.

119. Surrender by asami. - An asami may surrender his interest in any holding (but not any part thereof) by giving notice in writing to the land holder intimating his intention to do so, and by giving up possession thereof to him.

120. Effect of surrender. - (1) A bhumidhar or asami shall be deemed to have surrendered any land held by him, with effect from the date when possession over such land is given up in accordance with section 118 or section 119.

(2) Where any land is so surrendered :

(a) by an asami, his right, title or interest in such land shall be deemed to have been extinguished from the date of such surrender;

(b) by a bhumidhar, the right, title and interest of such bhumidhar and of every other person claiming through him in such holding or its part shall be deemed to have been extinguished from the said date.

121 Liability for rent or revenue in case of surrender.-Notwithstanding the provisions of sections 118 to 120, the bhumidhar, or asami shall continue to be liable to pay the land revenue or the rent, as the case may be, for the holding in respect of the agricultural year next following the date of surrender, unless the notice of surrender was given before the first day of April.

122. Abandonment by bhumidhar. - (1) If a bhumidhar does not pay the land revenue and does not use the land for agriculture for a continuous period of three agricultural years and has left the village in which he usually resides and whose whereabouts are not known, then the Collector may, after such inquiry, as he may deem necessary, take possession of the land held by such bhumidhar.

(2) Where the Collector has taken possession of any land under sub-section (1), he may let it out on behalf of the bhumidhar for a period of one agricultural year at a time in the manner prescribed.

(3) If the bhumidhar or any other person lawfully entitled to the land claims it within a period of three years from the commencement of the agricultural year next following the date on which the Collector took possession thereof, it shall be restored to him on payment of dues, if any, and on such terms and conditions as the Collector may think fit.

(4) Where no claim is preferred under sub-section (3) or if any claim is preferred but is disallowed, the Collector shall make an order declaring the holding abandoned.

(5) Every order of the Collector under sub-section (4) shall be published in the manner prescribed and shall, subject to the result of any suit under section 144, be final.

(6) Nothing in this section shall apply to any holding held by a bhumidhar in whose favour a declaration has been made under section 80 where such declaration continues to be in force.

123. Consequence of abandonment.- Where any holding has been abandoned under section 122, the following consequences shall ensue, namely-

(a) the holding shall vest absolutely in the State Government free from all encumbrances;

(b) the bhumidhar concerned shall cease to have any right, title or interest in such holding;

(c) the bhumidhar concerned shall continue to be liable for land revenue due in respect of such holding for the agricultural year during which the order referred to in sub-section (4) of the said section was made.

124. Delivery of possession to Gram Panchayat.- (1) When the interest of a bhumidhar in any land is extinguished under the provisions of this Code or any other law for the time being in force, the Sub-Divisional Officer may, on the application of the Gram Panchayat concerned evict any person in unauthorized occupation of such land and deliver possession thereof to the Gram Panchayat in such manner as may be prescribed.

(2) The provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply to the eviction of an asami holding land from a Gram Panchayat, or from a bank under sub-section

(2) of section 95.

LEASE OF LAND BY GRAM PANCHAYAT

125. Admission by Bhumi Prabandhak Samiti to land entrusted to Gram Panchayat.- The Bhumi Prabandhak Samiti may, with the previous approval of the Sub-Divisional Officer, admit any person as 63 (a) bhumidhar with non-transferable rights to any land entrusted or deemed to be entrusted to the Gram Panchayat under section 59 other than land specified in section 77;

(b) asami to any land specified in section 77 except in clause (a) or clause (h) or (i) thereof where such land is entrusted or deemed to be entrusted to the Gram Panchayat under section 59 other than a tank specified in clause (a) of section 61.

126. Order of preference in admission to land by Bhumi Prabandhak Samiti.- (1) In the admission of any person to land as bhumidhar with non-transferable rights or as asami under section 125, hereinafter in this Chapter referred to as allotment of land, the Bhumi Prabandhak Samiti shall observe the following order of preference:-

(a) A landless widow, sons, unmarried daughters or parents residing in the Gram Sabha of a person who has lost his life while in active service in the Armed Forces of the Union;

(b) A landless person residing in the Gram Sabha who has become wholly disabled while in active service in the Armed Forces of the Union;

(c) A landless agricultural labourer residing in the Gram Sabha and belonging to a scheduled caste or scheduled tribe, other backward class or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government;

(d) Any other landless agricultural labourer residing in the Gram Sabha;

(e) A landless person residing in the Gram Sabha who has retired or been released or discharged from service in the Armed Forces of the Union, otherwise than as an officer;

(f) A landless freedom fighter residing in the Gram Sabha, who has not been granted political pension;

(g) Any bhumidhar or asami residing in the Gram Sabha and holding land less than 1.26 hectares;

(h) Any other landless agricultural labourer belonging to a scheduled caste or scheduled tribe, other backward class or a person of general category living below poverty line as determined by the State Government not residing in the Gram Sabha but residing in the Nyaya Panchayat circle referred to in section 42 of Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947.

¹[Provided that preference shall be given to widow and physically disabled persons].

Explanation.- For the purposes of this sub-section-

(i) 'allotment' includes any allotment made under the corresponding provisions of any enactment repealed by this Code;

1. Proviso Ins. by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 12

(ii) (deleted);

(iii) a person shall be deemed to be 'landless' if he or his spouse or their minor children, and where the allottee is himself a minor, then his parents hold no land on the date of allotment or within two years immediately preceding the said date;

(iv) the expression 'freedom fighter' means a person so defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Serviceman) Act, 1993;

(v) "other backward class" means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act No.4 of 1994);

(vi) "person of general category living below poverty line" means such persons as may be determined from time to time by the State Government.

(2) The land that may be allotted under sub-section (1) shall not exceed such area as together with the land held by him as bhumidhar or asami immediately before the allotment would aggregate to 1.26 hectares.

127. Consequences of allotment. - (1) Where any land is allotted to a person in accordance with sections 125 and 126 and any tree or other improvement exists on such land, then unless the contrary intention appears, such tree or improvement shall also be deemed to be allotted to the person concerned along with the land.

(2) The allottee shall hold the land so allotted on such terms and conditions as may be prescribed:

Provided that if the allottee is a married man and his wife is alive, she shall be co-allottee of equal share in the land so allotted.

128. Cancellation of allotment and lease.- (1) the Collector may, of his own motion and shall on the application of any person aggrieved, inquire in the manner prescribed into any allotment and if he is satisfied that the allotment is in contravention of the provisions of this Code or any of the enactments repealed by this Code or the rules made there under, he may cancel the allotment and the lease, if any.

¹[(1-A)] Under the provisions of sub section (1), an application may be moved in the case of an allotment or lease of land made before or after the commencement of this code, within five years from the date of such allotment of lease.

(2) Where the allotment or lease of any land is cancelled under sub-section (1), the following consequences shall ensue, namely-

1. Subs. by U.P. Act No. 28 of 2020, Sec 13

(a) the right, title and interest of the allottee or lessee or any other person claiming through him in such land and in every tree or other improvement existing thereon shall cease, and the same shall revert to the Gram Panchayat;

(b) the Collector may direct delivery of possession over such land, tree or improvement forthwith to the Gram Panchayat after ejectment of every person holding or retaining possession thereof and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(3) Where in proceedings for cancellation of allotment or lease referred to in clause (b) of sub-section (1) the Collector is satisfied that any land referred to in section 77 excepting clause (a) or clause (h) or (i) thereof has been allotted to any person as bhumidhar with non-transferable rights, he may instead of cancelling the allotment, or lease, direct that the allottee or lessee shall be treated as an asami under clause (b) of section 125.

(4) Every order made by the Collector under this section shall, subject to the provisions of section 210, be final.

(5) The provisions of sections 5 and 49 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 shall not apply to the proceedings under this section.

129. Restoration of possession to allottee or the Government lessee.- (1) Where any person is admitted to any land in accordance with section 125, or where any land is let out to any person by the State Government, and any person, other than the allottee or lessee, is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Code, the Assistant Collector may, of his own motion, and shall, on the application of the allottee or the lessee, as the case may be, put him in possession of such land, and may for that purpose use or cause to be used such force as he considers necessary.

(2) The provisions of sub-section (2) to (8) of section 65 shall *mutatis mutandis* apply in relation to reoccupation of any land or part thereof after possession has been delivered under sub-section (1).

EJECTMENT

130. Bhumidhars not to be ejected. - No bhumidhar shall be liable to ejectment from the land held by him except as provided by or under this Code.

131. Suit for ejectment etc. against asami.- (1) No asami shall be liable to ejectment from the land held by him, except on the suit of the landholder or Gram Panchayat, which may be filed on one or more of the following grounds, namely-

(a) that the interest of the asami in the land held by him has extinguished under the provisions of this Code;

(b) that the asami was holding land from year to year or for a period which has already expired or will expire before the end of the current agricultural year;

(c) that the asami is using the land for any purpose not permitted by section 84;

(d) that the land holder was suffering from any of the disabilities referred to in sub-section (1) of section 95 and either his disability has ceased or he wishes to bring the land under his personal cultivation;

(e) that the asami was in arrears of rent for a period of more than one year and has failed to pay the same to the land holder within a period of thirty days despite service of a notice of demand;

(f) that the asami has transferred the whole or part of the land held by him in contravention of the provisions of this Code.

(2) No notice to quit to the asami shall be necessary before filing a suit under this section.

(3) The land holder may in a suit for ejectment also claim arrears of rent.

(4) A land holder may, without suing for ejectment sue the asami for arrears of rent.

132. Right to crops and trees.-(1) Where in execution of a decree passed in a suit under section 131, an asami is ejected, and the Court is satisfied that any ungathered crops or trees belonging to the judgment debtor exist on the land, the Court shall, notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908, proceed in the following manner:

(a) if the amount due from the judgment-debtor is equal to or greater than the value of such crops or trees, the Court shall deliver the possession of the land with the crops and trees to the decree holder, and all rights of the judgment-debtor in or upon such crops or trees shall therefore pass to the decree-holder;

(b) if the amount due from the judgment-debtor is less than the value of such crops or trees, and –

(i) the decree-holder pays the difference between such amount and the value to the judgment – debtor, the Court shall deliver possession of the land to the decree holder and all rights of the judgment-debtor in such crops or trees shall therefore pass to the decree-holder,

(ii) the decree-holder does not pay such difference the judgment-debtor shall have the right of tending, gathering or removing such crops or trees or fruits of such trees, until such crops or trees have been gathered or removed or die or are cut down, as the case may be, paying such compensation for the use and occupation of land as the court may fix.

(2) The court executing the decree may, on the application of any party, determine the value of the crops or trees and the compensation payable by the judgment debtor under the provisions of sub-section (1).

133. Suit for injunction, compensation etc..- The Gram Panchayat, or the landholder may, in lieu of suing for ejectment of an asami under section 131, file a suit in the Court of Sub-Divisional Officer:

(a) for injunction restraining him from putting the land to any unauthorised use or causing any waste or damage to it;

(b) for compensation for such use, waste or damage; or

(c) for repair of the waste or damage caused to the land.

134. Ejectment of persons occupying land without title. - (1) Where a person takes or retains possession of any land forming part of the holding of any bhumidhar or asami otherwise than in accordance with the provisions of the law for the time being in force and without the consent of such bhumidhar or asami, such person shall be liable to ejectment on the suit of the bhumidhar or asami concerned, and shall also be liable to pay damages at the rate prescribed.

(2) To every suit relating to any land referred to in sub-section (1), the State Government and Gram Panchayat shall be impleaded as necessary parties.

135. (Deleted).

136. Ejectment of trespassers of Gram Panchayat land.- (1) Notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, the Sub- Divisional Officer may, of his own motion or on the application of the Gram Panchayat or other local authority, eject any person taking or retaining possession of any land specified in sub-section (2), if such possession is in contravention of the provisions of this Code and is without the consent of such Gram Panchayat or the local authority and shall also be liable to pay damages at the rates prescribed.

(2) The provisions of sub-section (1) shall apply to the following categories of land, namely-

(a) any land entrusted or deemed to be entrusted to any Gram Panchayat or local authority under the provisions of this Code or any other law for the time being in force;

(b) any land over which a Gram Panchayat or local authority is entitled to take possession under the provisions of this Code;

(c) any land which belongs to or is owned or held by a Gram Panchayat or local authority;

(d) that the asami is holding land specified in clause (d) or clause (e) of section 77

and that the cultivation of crops in such land has become impossible;

(e) that the asami was admitted to the land under clause (b) of section 125 of the Gram Panchayat proposes to use it for a public purpose.

(3) No person shall be evicted from any land under this section unless adequate opportunity to show cause has been afforded to him.

(4) In evicting a person under this section, the Sub-Divisional Officer may use or cause to be used such force as may be necessary.

Explanation. - For the purposes of this section, the word 'land' includes trees and other improvements existing on such land.

137. Remedies for wrongful ejectment.- (1) An asami ejected or apprehending ejectment from or prevented from obtaining possession of any land otherwise than in accordance with the provisions of any law for the time being in force, may sue the person so ejecting him, trying to eject him or keeping him out of possession (i) for possession of the land; or
(ii) for compensation for wrongful dispossession.

(2) When a decree is passed for compensation for wrongful dispossession but not for possession, the compensation awarded shall be for the whole period during which the asami was entitled to remain in possession.

RENT

138. Rent payable by an Asami. - Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, an asami shall, on being admitted to the occupation of any land, be liable to pay such rent as may be agreed upon between him and his land holder or the Gram Panchayat, as the case may be.

139. Application for fixation of rent. - (1) Where any person is in occupation of any land as an asami, without the rent being agreed upon, the asami or his land holder may apply to the Tahsildar for fixation of rent.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Tahsildar shall make an inquiry in such manner as may be prescribed, and shall fix the rent in accordance with the rules made under this Code.

(3) The rent fixed under sub-section (2) shall be payable by the asami with effect from the date when he occupied the land as such asami.

(4) any person aggrieved by an order of the Tahsildar under sub-section (2) may file an appeal to the Sub-Divisional Officer, and notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, the order of the Sub-Divisional Officer shall be final.

140. Remission for calamity by Court decreeing claim for arrears.- (1) Where the Court hearing a suit for recovery of arrears of rent is satisfied that the holding was substantially decreased by diluvion or otherwise, or the produce thereof was substantially diminished by drought, hail, deposit of sand or other calamity during the period for which the arrear is claimed, it may allow such remission from the rent, as may appear to it to be just:

Provided that no such remission shall be deemed to vary the rent payable by the asami otherwise than for the period in respect of which it is made.

(2) Where a Court allows remission under sub-section (1), the State Government or any authority empowered by it in this behalf, shall order consequential remission in the land revenue in accordance with such principles as may be prescribed.

141. Commutation of rent.- (1) Where the rent in respect of any holding is payable otherwise than in cash, the Assistant Collector may, of his own motion, or on the application of the Gram Panchayat or the person by or to whom the rent is payable, commute the rent in the manner prescribed.

(2) The rent commuted under sub-section (1) shall be payable from the first day of July following the date of the order of commutation unless the order provides for some other date.

142. Recovery of arrears of rent from asami of Gaon Panchayat, etc.- Arrears of rent due from an asami holding land from Gram Panchayat or other local authority either before or after the commencement of this Code, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

143. Power to write off arrears.- The whole or any part of the arrears of rent, in respect of any land or other property entrusted or deemed to be entrusted to a Gram Panchayat or other local authority under the provisions of this Code may, in such circumstances as may be prescribed, be written off as irrecoverable by the Bhumi Prabandhak Samiti or by the local authority, as the case may be, by resolution passed in that behalf:

Provided that no resolution passed by a Bhumi Prabandhak Samiti shall take effect until it is confirmed by the Sub-Divisional Officer.

DECLARATORY SUITS

144. Declaratory suits by tenure holders. - (1) Any person claiming to be a bhumidhar or asami of any holding or part thereof, whether exclusively or jointly with any other person, may sue for a declaration of his rights in such holding or part.

(2) In every suit under sub-section (1) instituted by or on behalf of:-

(a) a bhumidhar, the State and the Gram Panchayat shall be necessary parties;

(b) an asami, the land-holder shall be a necessary party.

145. Declaratory suit by Gram Panchayat. - Notwithstanding anything to the contrary contained in section 34 of the Specific Relief Act, 1963, the Gram Panchayat may institute a suit against any person claiming to be entitled to any right in any land for the declaration of the right of such person in such land, and the Court may, in its discretion make a declaration of the right of such person, and the Gram Panchayat need not in such suit ask for any further relief.

146. Provision for injunction.- If in the course of a suit under section 144 or 145, it is proved by affidavit or otherwise-

(a) that any property, trees or crops standing on the land in dispute is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit; or (b) that any party to the suit threatens or intends to remove or dispose of the said property, trees or crops in order to defeat the ends of justice, the Court may grant a temporary injunction, and where necessary, also appoint a receiver.

CHAPTER X

GOVERNMENT LESSEES

147. Definition of Government lessee.- Every person who holds any land on lease from the State Government, whether such lease was granted before or after the commencement of this Code, shall be called a Government lessee in respect of such land.

148. Government lessee's right to hold land. - Notwithstanding anything contained in this Code, every Government lessee shall be entitled to hold such land in accordance with the terms and conditions of the lease.

149. Ejectment of Government lessee.- A Government lessee may be evicted from the land held by him on one or more of the following grounds, namely-

- (a) that he has failed to pay the rent or any other sum due under the lease within six months from the date on which it became due;
- (b) that he has used such land for any purpose other than that for which it was granted;
- (c) that the term of his lease has expired or the lease has been cancelled;
- (d) that he has contravened any terms or conditions of the lease.

150. Provisions of U.P. Act No.22 of 1972 to apply. - The provisions of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1972 shall, *mutatis mutandis*, apply to the eviction of Government lessee as they apply to the unauthorized occupants within the meaning of that Act, and the Sub- Divisional Officer shall be deemed to be the prescribed authority for the purposes of that Act.

151. Trespass on land held by a Government lessee. - (1) If a person takes or retains possession over any land, let out to a Government lessee, otherwise than in accordance with the terms and conditions of the lease and without the consent of such lessee, such person shall be liable to ejectment on the suit of the Government lessee concerned and shall also be liable to pay damages at the rates prescribed.

(2) The State Government shall be made a party, but the Gram Panchayat shall not be a necessary party to a suit instituted under sub-section (1).

(3) If a suit for eviction referred to in sub-section (1) is not instituted by a Government lessee or a decree for eviction obtained in any such suit is not executed within the period of limitation provided therefor, then the following consequences shall, with effect from the expiry of such period ensue, namely-

- (a) the person taking or retaining possession over the land let out to the Government lessee shall be liable to eviction in accordance with section 150;
- (b) the right, title and interest of the Government lessee in such land shall stand extinguished and the term of his lease shall be deemed to have expired.

152. Dues recoverable as arrear of land revenue. - Arrears of rent or any other sum due from a Government lessee may be recovered as an arrear of land revenue.

CHAPTER XI
ASSESSMENT OF LAND REVENUE

153. Land held by bhumidhar liable to payment of land revenue.- (1) All lands held by a bhumidhar, wherever situate and to whatever purpose applied, shall be liable to assessment (by such authority and in such manner as may be prescribed) and payment of land revenue to the State Government:

Provided that the State Government may, by notification exempt any land, whether wholly or partially, from such liability on such terms and conditions as it may think fit.

(2) Land revenue may be assessed on land, notwithstanding that it has been exempted under the proviso to sub-section (1).

(3) No length of occupation shall release any land from the liability to payment of land revenue.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), sub-section (2) or subsection(3) the following lands shall be exempted from the payment of land revenue, namely-

(a) land occupied by buildings other than improvement;

(b) grave-yards and cremation grounds.

154. Land revenue payable by bhumidhar. - (1) Every person, who held any land as a bhumidhar from before the date of commencement of this Code, shall pay and continue to pay to the State Government, the same amount of land revenue which he was liable to pay in respect of such land for the agricultural year preceding the year in which this Code comes into force.

(2) Every person, who after such commencement, acquires bhumidhari rights in any land shall, subject to the provisions of this Code, pay to the State Government the same amount of land revenue which was payable in respect of such land, immediately before the date of such acquisition.

(3) Every person who after such commencement, acquires bhumidhari rights in any land, where no land revenue was payable in respect of such land immediately before the date of such acquisition, shall be liable to pay land revenue determined by the Sub-Divisional Officer in accordance with such principles as may be prescribed.

155. Variation of land revenue. - Notwithstanding anything contained in this Chapter, the land revenue payable by a bhumidhar may be varied in the manner prescribed on the ground of an increase or decrease in the area of his holding or in the productivity of the land comprised therein by fluvial action or other natural cause.

156. Exemption of land revenue in certain cases.- Notwithstanding anything contained in this Code, every member of a family, the total area of land held by whose members as bhumidhar, does not exceed 1.26 hectares (3.125 acres) shall be exempted from the liability to pay land revenue to the State Government.

157. Remission or suspension of land revenue on the occurrence of agricultural calamity.-

(1) Notwithstanding anything contained in this Code, the State Government may, on the occurrence of an agricultural calamity affecting the crops of any village or part of a village, remit or suspend, for any period, the whole or any part of the land revenue of any holding affected by such calamity.

(2) The State Government may likewise remit or suspend, for any period, the rent payable by an asami to the Gram Panchayat, in a village or part where such calamity has occurred.

158. Power of State Government to remit rent in certain cases. – Whenever the land revenue is increased or decreased under section 155 or is remitted or suspended under section 157, the State Government may increase or decrease or, as the case may be, remit or suspend the whole or part of any rent payable by an asami, other than an asami of a Gram Panchayat.

159. Consequences of suspension of rent.- Where the payment of any rent has been suspended under section 157-

(a) the period during which such suspension continues shall be excluded in computing the period of limitation allowed for a suit for recovery of the rent; and

(b) no suit or application shall lie, for the period of such suspension, for its recovery.

160. Annual enquiry of revenue free land. - (1) The Collector shall inquire annually into the case of all lands exempted from the payment of land revenue.

(2) If the exemption has been granted on any condition and the same has been broken, he shall report the matter to the Board for orders, and the orders of the Board thereon shall be final.

161. Rounding off the amount of land revenue. - Where the amount payable on account of land revenue or any instalment thereof involves a fraction of a rupee, the same shall be rounded off to the nearest rupee, and for this purpose, where such amount contains a part of a rupee, then if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee, and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

162 Finality of orders. - Every order of the State Government under this Chapter shall be final and shall not be called in question in any Court.

CHAPTER XII

COLLECTION OF LAND REVENUE

163. Land revenue to be the first charge. - (1) The land revenue assessed on any holding shall be the first charge on such holding, and also on trees or buildings standing thereon or the rents, profits or produce thereof.

(2) The claim of the State Government in respect of any other sum recoverable as arrears of land revenue shall have priority over all unsecured claims on any land against the holder thereof.

164. Bhumidhars to be jointly and severally liable. - All co-bhumidhars of any holding shall be jointly and severally liable to the State Government for the payment of land revenue for the time being assessed thereon and all persons succeeding whether by devolution or otherwise to the interest of such bhumidhars shall be liable for all arrears of land revenue due in respect of such land.

165. Land Revenue when becomes due and payable. - The land revenue leviable in respect of an agricultural year shall become due on the first day of that year, and shall be payable at such times, in such instalments, to such persons, at such places and in such manner as may be prescribed.

166 Arrangements for collection of land revenue. - The State Government may make such arrangement and employ such agency for the collection of land revenue as it may deem fit.

167. Defaulters. - Any land revenue due and not paid on or before the date specified in section 165 becomes there from an arrear and the persons liable for its payment shall become defaulters.

168. Certified account to be evidence of arrears. - A statement of account certified by the Tahsildar shall, for the purposes of this Chapter, be conclusive evidence of the existence of the arrear of land revenue, of its amount and of the person who is the defaulter.

169. Writ of demand. - As soon as an arrear of land revenue has become due, a writ of demand may be issued by the Tahsildar against the defaulter calling upon him to appear or to pay the amount within a time to be specified.

170. Process for recovery of arrears. - (1) An arrear of land revenue remaining unpaid within the time specified in the writ of demand, may be recovered by any one or more of the following processes, namely-

- (a) by arrest and detention of the defaulter;
- (b) by attachment and sale of his movable property including agricultural produce;
- (c) by attachment of any bank account or locker of the defaulter;
- (d) by attachment of the land in respect of which the arrear is due;
- (e) by lease or sale of the land in respect of which the arrear is due;
- (f) by attachment and sale of other immovable property of the defaulter;
- (g) by appointing a receiver of any property, movable or immovable, of the defaulter.

Explanation. - For the removal of doubts, it is hereby declared that two or more processes hereinbefore mentioned may be issued and enforced simultaneously or one after the other.

(2) Sums of money recoverable as arrears of land revenue, but not due in respect of any specific land, may be recovered by processes under this section from any immovable property of the defaulter including any holding of which he is a bhumidhar.

171. Arrest and detention.- (1) Any person committing default in payment of an arrear of land revenue may be arrested and detained in custody in the Tahsil lock-up and if there is no such lock-up, at such other place as may be prescribed, for a period not exceeding fifteen days, unless the arrears are sooner paid.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person shall be liable to arrest or detention for an arrear of land revenue, where and for so long as such person-

(a) is a woman or a minor, or a senior citizen of 65 years or more, or a person as referred to in section 95(1) (a);

(b) belongs to the Armed Forces of the Union;

(c) is exempt under section 133, 135 or 135-A of the Code of Civil Procedure, 1908.

(3) No person shall be detained in custody under this section, unless the officer issuing the arrest warrant has reason to believe that the process of detention will compel the payment of the whole or a substantial portion of the arrears.

(4) The officer issuing the arrest warrant may withdraw such warrant, if the defaulter pays or undertakes to pay the whole or substantial portion of the arrears and furnishes adequate security therefor.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no defaulter shall be arrested, unless the amount sought to be recovered exceeds fifty thousand rupees.

172. Attachment and sale of movable property.-(1) The Sub-Divisional Officer may attach and sell movable properties of the defaulter including agricultural produce.

(2) The following properties shall be exempted from attachment under sub-section

(1) and sale under sub-section (5), namely-

(a) the necessary wearing apparel, cooking vessels, beds and bedding of the defaulter, his wife and children and such personal ornaments as, in accordance with the religious usage, cannot be parted with by any woman;

(b) tools of a village artisan and, if the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry (except an implement driven by mechanical power) and such cattle and seed as may in the opinion of the attaching officer be necessary to enable him to earn his livelihood as such;

(c) articles set apart exclusively for the use of religious worship.

Explanation -I. - For the purposes of this sub-section, the expression “agriculturist” means a person who cultivates the land personally and who depends for his livelihood mainly on the income from agricultural land.

Explanation -II.- For the purposes of Explanation I, a person shall be deemed to cultivate land personally, if he cultivates land-

(a) by his own labour;

(b) by the labour of any member of his family; or

(c) by servants or labourers on wages payable in cash or in kind or both.

(3) Where any movable property is attached by actual seizure and the defaulter furnishes security to the satisfaction of the attaching officer, the property so attached shall be left in the custody of the defaulter. In case the defaulter is not available at the time of the attachment or if he is available but fails to furnish security to the satisfaction of the attaching officer, the attached property may be left in the custody of any responsible person who is willing to undertake its custody:

Provided that in the case of live-stock, it may be removed to the nearest pound if neither the defaulter furnishes such security nor any responsible person is willing to undertake its custody.

(4) The person who undertakes the custody of any movable property under subsection

(3) shall execute a bond (supurdnama) in the prescribed form (which shall be exempt from stamp duty) and shall preserve and maintain such property and produce it wherever required. The supurdar shall be liable for all damages or loss caused to the property given in his custody or for failure to produce it when required. Such damages or loss shall be determined by the Sub-Divisional Officer and shall be recoverable from the supurdar as arrears of land revenue.

(5) If the amount of arrears is not paid within a period of thirty days from the date of attachment of movable properties under this section, the Sub-Divisional Officer may sell the same in the manner prescribed.

173. Attachment of bank account and locker of the defaulter.-The attachment of any bank account of the defaulter shall, so far as possible, be made by serving a garnishee order on the manager in charge of the branch of the bank concerned in the manner laid down in Rules, 46, 46-A and 46-B of Order XXI contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, and in the case of a locker hired by the defaulter, the same shall be sealed in the presence of such manager who shall, thereafter, await further orders of the Sub-Divisional Officer regarding preparation of inventory of its contents and their ultimate disposal.

174. Attachment of holding.-(1) The Collector may attach any land in respect of which any arrears of land revenue is due.

(2) Where the amount of arrears in respect of which attachment was made under sub-section (1) is paid, such attachment shall stand withdrawn.

(3) If the amount of arrears is not paid within a period of thirty days from the date of such attachment, the Collector may proceed in accordance with the provisions of section 175 or section 176, as the case may be.

175 Lease of holding. - (1) Where any land is attached under section 174 the Collector may, notwithstanding anything contained in this Code, but subject to such conditions as may be prescribed, let out the same for such period not exceeding ten years (commencing from the first day of July next following) as he deems fit, to any person other than the defaulter.

(2) The person to whom any land is let out under sub-section (1) shall be bound to pay the whole of the arrears due in respect of such land and to pay the land revenue, during the period of lease, at the rate payable by the defaulter in respect of such land immediately preceding its attachment.

(3) If during the period of lease, the lessee commits default in payment of any amount due under the lease, and no other person is to take the land on lease for the remaining period thereof, then such amount may be recovered from such lessee by any one or more of the processes mentioned in section 170 and the lease shall be liable to be determined.

(4) Upon the expiry of the period of lease, the land shall be restored to the tenure holder concerned free of any claim on the part of the State Government for any arrear of revenue in respect of such land.

176. Sale of holding.-(1) Where a suitable person is not forthcoming to take on lease the land attached under section 174, or where the lease of such land is determined under section 175, the Collector may sell the whole or any part of such land in such manner as may be prescribed and appropriate the sale proceeds in accordance with section 200.

(2) The Collector shall report to the Board of Revenue every sale of land under sub-section (1).

177. Attachment and sale of other immovable property.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Collector may realize any arrears of land revenue by attachment and sale of the interest of a defaulter in any other immovable property belonging to such defaulter:

Provided that the house or other building (with materials and sites thereof) and the land immediately appurtenant thereto belonging to an agriculturist and occupied by him shall be exempted from attachment under this section.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression 'agriculturist' shall have the meaning assigned to it in section 172.

178. Appointment of receiver.- (1) Where any arrear of land revenue is due from any defaulter, the Collector may by order-

(a) appoint, for such period as he may deem fit, a receiver of any movable or immovable property of the defaulter;

- (b) remove any person from the possession or custody of the property and commit the same to the possession, custody or management of the receiver;
- (c) confer upon the receiver all such powers as to brining and defending suits and for the realization, management, protection, preservation and improvement of the property, the collection of the rents and profits thereof,
- the application and disposal of such rents and profits, and the execution of documents, as the defaulter himself has, or such those powers as the Collector thinks fit.
- (2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession or custody of property any person to whom the defaulter has not a present right to remove.
- (3) The Collector may, from time to time, extend the duration of appointment of the receiver.
- (4) No order under sub-section (1) or sub-section (3) shall be made except after giving notice to the defaulter to show cause, and after considering any representation that may be received by the Collector in response to such notice.

Provided that an interim order under sub-section (1) or sub-section (3) may be made at any time before or after the issue of such notice.

Provided further that where an interim order is made before the issue of such notice, the order shall stand vacated, if no notice is issued within two weeks from the date of the interim order.

- (5) The provisions of Rules 2 to 4 of Order XL contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 shall *mutatis mutandis* apply in relation to a receiver appointed under this section.
- (6) The receiver shall function subject to the control of Collector and furnish such information, returns or statements as the Collector may deem fit.
- (7) The Collector may by order passed in writing and without assigning any reason, remove any receiver at any time before the expiry of the term of such receiver and appoint any other person as receiver in his place, if he is satisfied that continuance of that receiver shall not be desirable or expedient on ground of inefficiency, gross negligence, wilful default, disobedience, misconduct, serious omission, or misappropriation of any property. A person removed from the receivership under this section shall not be entitled to claim any damages or compensation on the ground of his removal.
- (8) The Collector shall have power to determine, after giving opportunity to the receiver, what loss, if any, has been caused by the wilful default, disobedience, misconduct, serious omission or gross negligence of, or on account of any misappropriation by the receiver and to recover the amount of loss from receiver as an arrear of land revenue.
- (9) The rent, profits or any other income from the property shall, after defraying the expenses of management including the remuneration of the receiver, be adjusted towards discharge of the arrears, and the balance, if any, shall be paid to the defaulter.

(10) As soon as the arrears are discharged under sub-section (9) or otherwise, the Collector shall restore the property to the defaulter.

179. Procedure of recovery. - For the purposes of collection of land revenue or other dues recoverable as arrears of land revenue, in accordance with this Chapter, the recovery officer shall follow such procedure as may be prescribed.

180 Recovery of costs and collection charges. - (1) The costs of any of the processes mentioned in sections 170 to 178 including costs of arrest and detention shall be such as may be prescribed.

(2) The State Government may impose collection charges at a rate, not exceeding ten percent of the amount due, as may be prescribed;

Provided that no collection charges shall be payable if the amount due is paid before arrest of the defaulter or before sale of the attached property, as the case may be.

(3) Such costs and collection charges may be added to and be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue.

181. Recovery proceedings against legal representatives etc.-(1) If at any time before or after the commencement of any proceedings for the recovery of any arrears of land revenue under this Chapter, the defaulter dies, the proceedings(except arrest and detention) may be commenced or continued against the legal representatives of the defaulter as if the legal representatives were themselves be defaulter:

Provided that such legal representatives shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his or her hands.

(2) Where any person has become surety for the amount due from the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if he were himself be defaulter.

ATTACHMENT AND SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

182.Attachment of immovable property.-(1) Every process of attachment of any immovable property under section 174 or section 177, or for lease of any land under section 175 shall be issued by the Collector.

(2) Every such attachment shall be effected in the manner prescribed in Order XXI, Rule 54 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.

183. Objection against attachment.- (1) Where any claim is preferred by any person other than the defaulter or any person claiming under him in respect of any property attached under this Chapter, the Collector may, after an inquiry, held after reasonable notice, admit or reject such claim:

Provided that no such claim shall be entertained:

(a) where, before the claim is preferred, the property attached has already been sold; or

(b) where the Collector considers that the claim is designedly or unnecessarily delayed; or

(c) where the claim is preferred after 30 days from the date of attachment.

(2) The person against whom an order is made under sub-section (1) may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal before the Commissioner to establish the right which he claims to the property attached but subject to the result of such appeal, if any, the order of the Collector shall be final.

184. Proclamation of sale.- (1) Where any immovable property is sought to be sold under the provisions of this Chapter, the Collector or an Assistant Collector authorised by him, shall issue a proclamation of the intended sale in the form prescribed, specifying therein-

- (a) the details of the property sought to be sold;
- (b) the estimated value, reserve price and circle rate of such property;
- (c) the land of revenue, if any, payable therefor;
- (d) the encumbrances, if any;
- (e) the amount of arrears for the recovery of which the property is sought to be sold;
- (f) the date, time and place of the intended sale; and
- (g) such other particulars as the Collector may think necessary.

(2) Where the area of the land sought to be sold exceeds 5.0586 hectares, a single proclamation may be issued under sub-section (1), but the actual sale shall be made in lots of 1.26 hectares or more.

(3) No sale shall take place until the expiry of twenty-one days from the date on which the proclamation is issued under this section.

(4) A copy of the proclamation shall be served on the defaulter.

185. Affixation of proclamation.- A copy of the sale proclamation referred to in section 184 shall be affixed in each of the following places:-

- (a) the office of the Collector;
- (b) the office of the Tahsildar of the tahsil in which the property is situate;
- (c) some other public building in the village or the area in which the property is situate;
- (d) the dwelling house of the defaulter.

186. Sale when and by whom made. - (1) Every such sale shall be made by the Collector or by the Assistant Collector authorized by him.

(2) No sale shall take place on a Sunday or other holiday notified for State Government offices.

(3) The Sale Officer may, from time to time, postpone the sale for any sufficient reason.

(4) Where a sale is postponed for a period longer than twenty one days, or where the property is resold for default in payment of the purchase money, a fresh proclamation shall be issued in the form prescribed for the original sale.

187. Stoppage of the sale.-If the defaulter pays the arrears in respect of which the property is to be sold together with the cost of the process at any time before the date fixed for the sale, the officer conducting the sale shall stop such sale.

188. Prohibition to bid. - (1) No officer having any duty to perform in connection with any such sale and no person employed by or subordinate to such officer shall, directly or indirectly, bid for or acquire or attempt to acquire the property sold or any interest therein.

(2) Where no bid is offered up to the amount for which the sale has been ordered, the Collector may order for bid up to the amount of such arrears.

189 Deposit by purchaser and re-sale on default.-(1) The person declared to be the purchaser shall be required to deposit immediately twenty-five per cent of the amount of his bid, and in default of such deposit, the property shall be forthwith re-sold, and such person shall be liable for the expenses incurred on the first sale and any deficiency in price occurring on re-sale, and the same may be recovered from him by the Collector as if the same were an arrear of land revenue.

(2) A deposit under sub-section (1) may be made either in cash or by a demand draft (issued by a scheduled bank) or partly in cash and partly by such draft.

Explanation. - For the purposes of this section, the expression 'demand draft' includes a banker's cheque.

190. Deposit of purchase money.- The balance amount of the purchase money shall be paid by the purchaser on or before the fifteenth day from the date of the sale in the office of the Collector or at the district treasury or sub-treasury, and in case of default-

(a) the property shall be re-sold; and

(b) the deposit made under section 189 shall be forfeited to the State Government.

191. Auction sale of land held by Scheduled Caste or Scheduled Tribe.-

Where the right, title or interest of a person belonging to a scheduled caste or scheduled tribe in any land is sold by public auction under or in accordance with the provisions of this Code, and any other person belonging to such caste or tribe pays an amount equal to the amount of the highest bid and a sum equal to one percent amount of the purchase money for payment to the purchaser, within a period of thirty days from the date of such auction, then, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code or any other law for the time being in force, the person so offering the amount shall be entitled to preference in the matter of sale over and above any person not belonging to such caste or tribe:

Provided that if there are more persons than one making such deposit, bids shall be called from them on the spot, and the highest bidder shall be entitled to such preference.

Provided further that where the auction sale in favour of highest bidder is not confirmed due to the preference under this section, he shall be entitled to receive back the money deposited by him plus an amount equivalent to one percent of such money deposited for that purpose.

192. Application to set aside the sale on deposit of arrears.- (1) Any person whose holding or other immovable property has been sold under this Chapter may, at any time within thirty days from the date of sale, apply to the Collector for setting aside the sale, on his depositing, in the office of the Collector or at the district treasury or sub-treasury-

- (a) for payment to the purchaser, a sum equal to one percent of the purchase money; and
- (b) for payment on account of the arrear, the amount specified in the sale proclamation, less any amount which may, since the date of such proclamation, have been paid on that account;
- (c) the cost of the processes of sale including the collection charges, if any.

(2) If the amount has been deposited in accordance with sub-section (1) the Collector shall set aside the sale.

(3) Where a person has applied for setting aside the sale under this section, he shall not be entitled to make or prosecute an application under section 193.

193. Application to set aside sale for irregularity.- (1) At any time within thirty days from the date of sale, the defaulter or the auction purchaser or any other person whose interests are affected by such sale, may apply to the Commissioner to set aside the sale on the ground of any material irregularity or mistake in publishing or conducting it.

(2) No sale shall be set aside under sub-section (1), unless the applicant proves to the satisfaction of the Commissioner that he has sustained substantial injury by reason of such irregularity or mistake.

(3) Subject to revision in the Revenue Board the order of the Commissioner under this section shall be final.

194. Confirmation of sale.- (1) On the expiration of thirty days from the date of sale, if no application is made under section 192 or section 193, or if such application has been made and rejected by the Collector or the Commissioner, as the case may be, the Collector shall, subject to the provisions of sub-section (2), confirm the sale.

(2) Where in a sale of immovable property made under this Chapter, the amount of purchase money-

- (a) exceeds rupees fifty lakh; or
- (b) is less than the reserve price or the amount of arrears specified in the sale proclamation, then the Collector shall report the matter to the Commissioner, who may confirm the sale or may pass such orders as he thinks fit.

(3) Every order of the Collector or the Commissioner under this section shall be final.

195. Setting aside of sale by Collector or Commissioner.-Notwithstanding anything contained in section 192, section 193 or section 194, if the Collector or the Commissioner, as the case may be, has reason to believe that the sale of an immovable property made under this Chapter ought to

be set aside he may, after notice to the auction purchaser to show cause, if any, set aside the sale for the reasons to be recorded in writing.

196. Bar of claims against in certain cases. - If no application under section 193 is made within the time specified therein, all claims regarding irregularity or mistake in publishing or conducting the sale shall be barred.

197. Refund of purchase money. - Where the sale of any property is set aside under section 192 or section 193, the purchaser shall be entitled to receive back his purchase money, plus, in the case mentioned in section 192, an amount equivalent to one percent of such money deposited for that purpose by the defaulter.

198 Certificate of sale. - (1) After a sale has been confirmed in accordance with section 194, the Collector shall grant to the purchaser a certificate, in the form prescribed, specifying the property sold and the name of the person who at the time of sale was declared to be its purchaser.

(2) The certificate, duly signed and sealed by the Collector shall be deemed to be a valid transfer of the property specified therein, and it need not be registered as a conveyance, except as provided in section 89 of the Registration Act, 1908.

(3) The property specified in the certificate shall be deemed to have vested in the purchaser on the date when it was sold, and not on the date when the sale was confirmed.

199. Certified purchaser to be put in possession. - (1) The Collector shall put the person declared to be the purchaser of such property into possession, and for that purpose, he may use or cause to be used such force as may be necessary.

(2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession of any property any person whom the defaulter had, before the issue of process, no present right to remove.

200. Application of sale proceeds. - Where the sale of a property has been confirmed under section 194, the proceeds of the sale shall be utilised in the following order-

- (a) for meeting the cost of the process and the collection charges, if any;
- (b) for payment of the arrears for the recovery whereof the property was sold;
- (c) the balance, if any, shall be paid to the defaulter.

201. Summary ejectment of unauthorized occupants. - Any person taking or retaining possession of any land or other property attached, leased or sold under this Chapter otherwise than in accordance with the provisions of said Chapter may be summarily ejected by the Collector who may use or cause to be used such force as may be necessary.

202. Bar of suits. - Subject to the provisions of section 203, no suit or other proceedings shall lie in any Civil Court in respect of any assessment or collection of land revenue or the recovery of any sum recoverable as an arrear of land revenue.

203. Payment before suit. - Whenever proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of any arrear of land revenue, he may pay the amount claimed to the recovery officer, and upon such payment the proceedings shall be stayed, and the person against whom such proceedings were taken may,

notwithstanding anything contained in any other provisions of this Code, sue the State Government in the Civil Court for the recovery of amount so paid.

204. Other payments not to be a valid discharge. - No payment on account of rent or other dues in respect of any land attached under this Chapter, made after such attachment, by the asami or any other person in possession thereof to any person other than the revenue officer authorized in this behalf, shall operate as valid discharge.

205. Applicability of the Chapter.- The provisions of this Chapter shall apply to the recovery of all arrears of land revenue and all other sums recoverable as an arrear of land revenue whether due before or after the commencement of this Code.

CHAPTER XIII

JURISDICTION AND PROCEDURE OF REVENUE COURTS

206. Jurisdiction of civil Courts and revenue courts. - (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to the provisions of this Code, no Civil Court shall entertain any suit, application or proceeding to obtain a decision or order on any matter which the State Government, the Board, any Revenue Court or revenue Officer is, by or under this Code, empowered to determine, decide or dispose of.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), and save as otherwise expressly provided by or under this Code-

(a) no Civil Court shall exercise jurisdiction over any of the matters specified in the Second Schedule; and

(b) no Court other than the revenue Court or the revenue officer specified in column 3 of the Third Schedule shall entertain any suit, application or proceeding specified in column 2 thereof.

(3) Notwithstanding anything contained in this Code, an objection that a Court or officer mentioned in sub-section (2)(b) had or had no jurisdiction with respect to any suit, application or proceeding, shall not be entertained by any appellate, revisional or executing Court, unless the objection was taken before the Court or officer of the first instance, at the earliest opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice.

207. First appeal. - (1) Any party aggrieved by a final order or decree passed in any suit, application or proceeding specified in column 2 of the Third Schedule, may prefer a first appeal to

the court or officer specified against it in column 4, where such order or decree was passed by a Court or officer specified against it in column 3 thereof.

(2) A first appeal shall also lie against an order of nature specified-

(a) in section 47 of the Code of Civil Procedure, 1908; or

(b) in section 104 of the said Code; or

(c) in Order XLIII, Rule 1 of the First Schedule to the said Code.

(3) The period of limitation for filing a first appeal under this section shall be thirty days from the date of the order or decree appealed against.

208. Second Appeal.- (1) Where in any suit, application or proceeding specified in column 2 of the Third Schedule, any final order or decree is passed in any first appeal filed under section 207, and any party to such appeal is aggrieved by it, such party may prefer a second appeal to the Court specified against it column 5.

(2) The Appellate Court shall not entertain a second appeal unless it is satisfied that the case involves a substantial question of law.

(3) The period of limitation for filing a second appeal under this section shall be ninety days from the date of the order or decree appealed against.

209. Bar against certain appeals.- Notwithstanding anything contained in sections 207 and 208, no appeal shall lie against any order or decree-

(a) made under Chapter XI of this Code;

(b) granting or rejecting an application for condonation of delay under section 5 of Limitation Act, 1963;

(c) rejecting an application for revision;

(d) granting or rejecting an application for stay;

(e) remanding the case to any subordinate Court;

(f) where such order or decree is of an interim nature;

(g) passed by Court or officer with the consent of parties; or

(h) where has been passed ex-parte or by default:

Provided that any party aggrieved by order passed ex-parte or by default, may move application for setting aside such order within a period of thirty days from the date of the order;

Provided further that no such order shall be reversed or altered without previously summoning the party in whose favour order has been passed to appear and be heard in support of it.

210. Power to call for the records.-(1) The Board or the Commissioner may call for the record of any suit or proceeding decided by any sub-ordinate Revenue Court in which no appeal lies, for the purpose of satisfying itself or himself as to the legality or propriety of any order passed in such suit or proceeding, and if such subordinate Court appears to have-

(a) exercised a jurisdiction not vested in it by law; or

(b) failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(c) acted in the exercise of such jurisdiction illegally or with material irregularity;

the Board, or the Commissioner, as the case may be, may pass such order in the case as it or he thinks fit.

(2) If an application under this section has been moved by any person either to the Board or to the Commissioner, no further application by the same person shall be entertained by the other of them.

Explanation. - For the removal of doubt it is, hereby, declared that when an application under this section has been moved either to the Board or to the Commissioner, the application shall not be permitted to be withdrawn for the purpose of filing the application against the same order to the other of them.

(3) No application under this section shall be entertained after the expiry of a period of sixty days from the date of the order sought to be revised or from the date of commencement of this Code, whichever is later.

211. Board's power of review. - (1) The Board may, of its own motion or on the application of any party interested, review any order passed by itself and pass such orders in reference thereto as it thinks fit.

(2) No order shall be reviewed under sub-section (1), except on the following grounds-

(a) discovery of any new and important matter or evidence;

(b) some mistake or error apparent on the face of record;

(c) any other sufficient reason.

(3) Orders passed on review shall not be reviewed.

(4) An application under sub-section (1), for review of any order, may be moved within sixty days from the date of such order.

212. Power to transfer cases- (1) Where it appears to the Board that it will be expedient for the ends of justice to do so, it may direct that any case be transferred from one revenue officer to another revenue officer of an equal or superior rank in same district or any other district.

(2) The Commissioner, the Collector or the Sub-Divisional Officer may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Code or any other enactment for the time being in force, for decision from his own file to any revenue officer sub-ordinate to him and competent to decide such case or class of cases, or may withdraw any case or class of cases from any such revenue officer and may deal with such case or class of cases himself or refer the same for disposal to any other revenue officer competent to decide such case or class of cases.

213. State Government to be necessary party in certain cases.-Subject to the provisions of this Code or the rules made there under, the State Government shall be made a party to any suit instituted by or against the Gram Panchayat or local authority under this Code.

214. Applicability of Code of Civil Procedure, 1908 and Limitation Act, 1963.- Unless otherwise expressly provided by or under this Code, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Limitation Act, 1963 shall apply to every suit, application or proceedings under this Code.

215. Orders not to be invalid on account of irregularity in procedure. -

No order passed by a revenue officer shall be reversed or altered in appeal or revision on account merely of any error, omission or irregularity in the summons, notice, proclamation, warrant or order or other proceedings before or during any inquiry or other proceedings under this Code, unless such error, omission or irregularity has in fact occasioned a failure of justice.

216. Service of notice.- Any notice or other document required or authorized to be served under this Code may be served either:-

- (a) by delivering it to the person on whom it is to be served; or
- (b) by registered post addressed to that person at his usual or last known place of abode; or
- (c) in case of an incorporated company or body, by delivering it or sending it by registered post addressed to the secretary or other principal functionary of the company or body at its principal office; or
- (d) in any other manner laid down in this Code of Civil Procedure, 1908 for service of summons.

217. Revenue Courts to have no power to adjudicate upon the validity of enactment. -

Notwithstanding anything contained in the provisions of this Code, the Board or any other Revenue Court shall have no jurisdiction in respect of a matter which involves a question as to the validity of the provisions of this Code or any other law for the time being in force or any rule or notification made or issued there under.

CHAPTER XIV

MISCELLANEOUS

218. Power to exempt from the provisions of the Code.-The State Government may, by notification, exempt any land owned by it or by the Central Government or by any local authority from the application of all or any of the provisions of this Code, and may likewise cancel or modify any such notification.

219. Delegation.- The State Government may, by notification, delegate to the Board or any other officer or authority subordinate to it, any of the powers conferred on it by this Code, other than the power to make rules, to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification.

220. Power to enter upon land.-Subject to such conditions or restrictions that may be prescribed, any officer appointed under this Code may enter at any time upon any land with such public servants as he considers necessary, for carrying out any of his duties under this Code, or any other law for the time being in force.

221. Right to inspect and obtain copies.-All documents, statements, records and registers prepared or maintained under this Code or the rules framed there under shall be open to inspection during such hours and subject to such conditions and on payment of such fees as may be prescribed, and any person shall on payment of the prescribed fee, be entitled to obtain the certified copy of the such document or any portion of any such document, statement, record or register.

222. Computation of areas in certain districts.- For the purposes of computing the area fixed under any of the provisions of this Code, one and a half hectares of land shall count as one hectare in the following area :-

- (a) Jhansi division and Chitrakoot division;
- (b) trans-Jamuna portions of Allahabad, Etawah, Agra and Mathura districts;
- (c) District Sonbhadra;
- (d) Tappa Upraudh and Tappa Chaurasi (Balai Pahar) of tahsil Sadar in district Mirzapur; and
- (e) Pargana Sakteshgarh and the villages mentioned in the Fourth Schedule in hilly patts of parganas Ahraura and Bhagwat of tahsil Chunar and pargana Bhagwat of tahsil Madihan of Mirzapur district.

223. Mode of recovery of fines etc. - Any fee, fine, cost, expense, penalty or compensation payable to or recoverable by the State Government, a Gram Panchayat or other local authority under this Code or any other law for the time being in force may, without prejudice to any other mode of recovery, be realised as if it were an arrear of land revenue.

224. Power to call for statement.-(1) Where any revenue officer considers it necessary for the enforcement of the provisions of this Code, it may call upon any tenure holder or any person in possession of any land to furnish within such time as may be specified, a statement containing the nature and extent of his interest in the land held or possessed by him as well as by members of his family.

(2) The tenure holder or other person referred to in sub-section (1) may also be called upon to disclose the name and address of any other person possessing any interest in such land including the nature and extent of such interest.

225. Protection of action taken in good faith. - (1) No officer or servant of the State Government shall be liable in any civil or criminal proceeding in respect of any act done or purporting to be done under this Code or any rules made there under, if the act was done in good faith and in the course of execution of the duties or the discharge of functions imposed by or under this Code.

(2) No suit or other proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Code or by anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Code or any rules made there under.

225-A Determination of questions in summary proceeding.-Notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, all the questions arising for determination in any summary proceeding under this Code shall be decided upon affidavits, in the manner prescribed:

Provided that if Revenue Court or Revenue Officer is satisfied that the cross examination of any witness, who has filed affidavit, is necessary, it or he may direct to produce the witness for such cross examination.

225-B Lodging of Caveat.-(1) Where an application is expected to be made in any suit, appeal, revision or other proceeding under this Code, any person claiming the right to oppose the application, may, either personally or through his counsel, after serving a copy of caveat through registered post on the person by whom the application is expected to be made, lodge a caveat in the court in respect thereof.

(2) Where a caveat has been lodged and notice thereof has been served, the applicant shall, when presenting the application in court, furnish proof of having given prior notice in writing to the caveator or his counsel of the date on which the application is proposed to be presented.

(3) If any caveat is filed under this section, the entry of the same shall be made in the register of caveat in the manner prescribed.

225-C Constitution of Committee. - (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Code or the Rules made thereunder, the Collector shall constitute, such

Committee at Gram Panchayat level, as may be notified by the State Government from time to time to assist in the disposal of cases and redressal of grievances in the manner prescribed.

(2) Every committee constituted under sub-section (1) shall consist of a Chairman and four other members, who shall be nominated or designated in the manner prescribed:

Provided that in each such committee, there shall be at least one Woman member, one member belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and one member belonging to the Other Backward Class.

225-D Power of an Assistant Collector of First Class not in charge of a subdivision.-

An Assistant Collector of the first class not in charge of a subdivision of a District shall exercise all or any of the powers conferred on an Assistant Collector of the first class in charge of a subdivision in such cases or classes of cases as the Collector may, from time to time, refer to him for disposal.

225-E Powers of Assistant Collector of second class.- Assistant Collectors of the second class shall have power to investigate and report on such cases as the Collector or Assistant Collector in charge of a sub-division of a district may, from time to time, commit to them for investigation and report.

225-F Consolidation of cases.- (1) Where more cases than one involving substantially the same question for determination and based on the same cause of action are pending in different courts, they shall, on application being made by any party to the court to which all the courts concerned are subordinate, be transferred and consolidated in one court and decided by a single judgment.

(2) When two or more suits or proceedings are pending in the same court, and the court is of opinion that it is expedient in the interest of justice, it may by order direct their joint trial, whereupon all such suits and proceedings may be decided upon the evidence in all or any of such suits or proceedings.

CHAPTER XV

PENALTIES

226. Penalty for encroachment etc.- (1) Any person who,-

(a) encroaches upon or causes any obstruction to the use of any public road (including chak road), path or common land of a village; or

(b) fails to comply with any order or direction made by the Sub-Divisional Officer under sub-section (1) of section 23; or

(c) fails to comply with any order or direction made by the Tahsildar under section 25 or section 26; or

(d) fails to comply with any order made under section 42 or section 48; shall be liable to a fine which in a case referred to in clause (a) shall not be less than one thousand rupees and not exceed

ten thousand rupees and in any other case shall not be less than five hundred rupees and not exceed five thousand rupees.

(2) Every person referred to in sub-section (1) may be required by the Sub-Divisional Officer or the Tahsildar, as the case may be, to execute a personal bond for such sum not exceeding fifteen thousand rupees as the officer concerned may deem fit for abstaining from the repetition of such act or failure.

227. Damages for destruction etc. of boundary marks.- (1) if any person wilfully destroys or injures or without lawful authority removes any boundary marks lawfully erected under Chapter IV or under any other law for the time being in force, he may be ordered by the Tahsildar to pay such amount not exceeding one thousand rupees for each mark so destroyed, injured or removed, as may in the opinion of the Tahsildar be necessary to defray the expense of restoring the same and of rewarding the informant, if any.

(2) The recovery of damages under sub-section (1) shall not debar prosecution for any offence under the Indian Penal Code in respect of such destruction, injury or removal.

228. Penalty for cutting or removing trees illegally.- (1) Every person who cuts, removes or otherwise appropriates any tree or any portion thereof which is the property of the State Government or any local authority or a Gram Panchayat, without any authority therefor shall be liable to pay the value thereof, which shall be recoverable from him in addition to any penalty to which he may be liable under the provisions of this Code for the occupation of the land or otherwise, and notwithstanding any criminal proceedings which may be instituted against him in respect of such cutting, removal or appropriation.

(2) The Collector may, at any time, direct the confiscation of any tree or portion thereof referred to in sub-section (1).

229. Penalty for not furnishing required statement or information etc.- Every person who:-

(a) fails to furnish any statement or information lawfully required under the provisions of this Code; or

(b) furnishes any statement or information which is false and which he has reasons to believe to be false; or

(c) obstructs the Collector or any other revenue officer or Gram Panchayat in taking possession of any land in accordance with the provisions of this Code; or

(d) obstructs any officer or public servant in doing any of the acts specified in section 220; shall, on conviction, be liable to imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

CHAPTER XVI

REPEAL AND SAVINGS

230. Repeal. - (1) The enactments specified in the First Schedule are hereby repealed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the repeal of such enactments shall not affect-

- (a) the continuance in force of any such enactment in the State of Uttarakhand;
- (b) the previous operation of any such enactment or anything duly done or suffered there under; or
- (c) any other enactment in which such enactment has been applied, incorporated or referred to; or
- (d) the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title or obligation or liability already acquired, accrued or incurred (including, in particular, the vesting in the State of all estates and the cessation of all rights, title and interest of all the intermediaries therein), or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted or the proof of any past act or thing; or (e) any principle or rule of law or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment:

Provided that anything done or any action taken (including any rules, manuals, assessments, appointments and transfers made, notifications, summonses, notices, warrants, proclamation issued, powers conferred, leases granted, boundary marks fixed, records of rights and other records prepared or maintained, rights acquired or liabilities incurred) under any such enactment shall, insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Code, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Code, and shall continue to be in force accordingly, unless and until they are superseded by anything done or action taken under this Code.

231 Applicability of the Code to pending proceedings. - (1) Save as otherwise expressly provided in this Code, all cases pending before the State Government or any Revenue Court immediately before the commencement of this Code, whether in appeal, revision, review or otherwise, shall be decided in accordance with the provisions of the appropriate law, which would have been applicable to them had this Code not been passed.

(2) All cases pending in any civil court immediately before the commencement of this Code which would under this Code be exclusively triable by a revenue court, shall be disposed of by such civil court according to the law in force prior to the date of such commencement.

232. Power to remove difficulties.- (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments repealed by this Code to the provisions of this Code, by a notified order, direct that the provisions of this Code shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such

adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient;

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Code.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature, as soon as may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

233. Rules. - (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Code.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may also provide for-

(i) The terms and conditions of service of the Chairman and other members of the Board;

(ii) Regulating the distribution of business of the Board and making territorial division of its jurisdiction;

(iii) Guidelines for alteration, abolition or creation of revenue areas;

(iv) The procedure for demarcation of boundaries, the specification, construction and maintenance of boundary marks, levy and recovery of cost thereof;

(iv-A) The procedure for survey operation and record operation including demarcation of abadi by the use of available modern technology and digitalization process;

(v) The procedure of preparation and maintenance of maps, documents, statements, records and registers under this Code, procedure for their inspection and supply of certified copies or extracts thereof;

(vi) The procedure for submission of reports about succession and transfer, by the registering authority to the Tahsildar and for revision of village records, including proceedings for mutation and correction of village records;

(vii) The procedure for preparation, supply and maintenance of Kisan Bahi and matters connected therewith, including fees to be charged therefor;

(viii) The procedure regarding plantation of trees on the sides of public roads, paths or canals and determination of disputes regarding trees in abadi and unoccupied land;

(ix) The protection, preservation and disposal of properties belonging to or vested in the State Government, Gram Panchayat or other local authority, including determination of compensation for damages misappropriation or wrongful occupation thereof;

(x) The principles for assessment of land revenue, including its variation, remission, suspension and apportionment;

- (xi) The procedure for collection of land revenue and other public moneys, and the matters connected with the execution of various processes therefor, including the fixation of costs and collection charges;
 - (xii) The procedure regarding fixation and commutation of rent, including circumstances in which the arrears of rent could be written off;
 - (xiii) The procedure for appointment of legal practitioners in litigation relating to a Gram Panchayat or a Bhumi Prabandhak Samiti, and the terms and conditions of such appointment;
 - (xiv) The procedure relating to conduct and prosecution of suits, appeals and other proceedings, including the procedure of conducting various inquiries under the provisions of this Code;
 - (xv) The procedure for granting lease by the Collector, cancellation of such lease and eviction of unauthorized occupants from the land belonging to the State Government, Gram Panchayat and local authority;
 - (xvi) The procedure regarding allotment of land entrusted to the Gram Panchayat, restoration of possession to the allottee and cancellation of such allotment;
 - (xvii) The duties of any officer or authority having jurisdiction under this Code and the procedure to be followed by him;
 - (xviii) Imposition of limits of time within which any act specified under this Code has to be performed;
 - (xix) The fees to be paid in respect of suits, appeals, applications and other proceedings under this Code;
 - (xx) The regulation of fishing in rivers, lakes, ponds and tanks entrusted to a Gram Panchayat or other local authority;
 - (xxi) The regulation of pasture lands, cremation or burial grounds, and catching, hunting and shooting of animals and birds in villages;
 - (xxii) Any other matter for which rules are required to be or may be made under this Code.
- (3) The rules and orders made by the State Government or the Board before the commencement of this Code, under any of the enactments repealed and in force on the date of such commencement, shall, except to the extent of inconsistency with the provisions thereof, continue to be in force, until they are rescinded, altered or substituted in accordance with the provisions of this Code.
- (4) It shall be lawful for the State Government, in making rules under this section, to prescribe that any person committing a breach of the same shall in addition to any other consequences that would ensue from such breach, be punishable with such fine not exceeding twenty five thousand rupees as the officer or authority specified for the purpose may deem fit to impose.

234 Regulations.- (1) Subject to the provisions of this Code and the rules made there under, the Board may, with the previous approval of the State Government, make regulations-

- (a) governing the procedure of the Revenue Courts and the revenue officers in respect of suits, applications and proceedings under this Code; and (b) containing directions for the preparation, maintenance and supervision of land records and matters connected therewith;
 - (c) prescribing the duties of Tahsildars and Naib-Tahsildars, and regulating their postings, transfers and their appointment in temporary vacancies;
 - (d) procedure for issuing licences to the petition writers;
 - (e) such other matters as may be prescribed by rules.
- (2) All regulations made in accordance with sub-section (1) shall have the force of law.
- (3) The Revenue Court Manual, the Land Records Manual, Collection Manual and Land Revenue (Survey and Record Operation) Rules, 1978, in force on the date of commencement of this Code, shall continue to remain in force, to the extent they are not inconsistent with the provisions of this Code, until amended, rescinded or repealed by any regulations made under this section.

FIRST SCHEDULE
(See Sections 2 and 230)
LIST-A
Enactments of general applications

Serial No.	Name of enactments repealed
1.	The United Provinces Revenue Officers Regulations, 1803
2.	The Bengal Indigo Contracts Regulation, 1823 (Bengal Regulation No.6 of 1823)
3.	The Bengal Indigo Contracts Regulation Act, 1830 (Bengal Regulation No.5 of 1830)
4.	The Bengal Land Revenue (Settlement and Deputy Collectors) Regulation, 1833 (Bengal Regulation No.9 of 1833)
5.	The Bengal Indigo Contracts Act, 1836 (Act No.10 of 1836)
6.	The Bundelkhand Alienation of Land Act, 1903 (Act No.2 of 1903)
7.	Benaras Family Domains Act, 1904 (Act No.III of 1904)
8.	Uttar Pradesh Merged States (Application of Law) Act, 1950 (Act No.8 of 1950)
9.	Dudhi Robertsganj (District Mirzapur) Agriculturist Debts Relief Act, 1951 (U.P. Act No.32 of 1951)
10.	The United Provinces Land Revenue Act, 1901
11.	The Pargana of Kaswar Raja Act, 1911
12.	The Pargana of Kaswar Raja Act, 1915
13.	The Gorakhpur Goraites Act, 1919
14.	The United Provinces Board of Revenue Act, 1922
15.	The U.P. Abatement of Rent Suits Act, 1938
16.	The U.P. Hindu Women's Right to Property (Extention to Agricultural Lands) Act, 1947
17.	The U.P. Village Abadi Act, 1947
18.	The U.P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949
19.	The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950
20.	The Rampur Stay of Ejectment Suits and Proceedings Act, 1951
21.	The U.P. Commutation of Rent (Regulation of Proceedings) Act, 1952
22.	The U.P. Stay of Suits and Proceedings (Mirzapur) Act, 1952
23.	The Uttar Pradesh Land Reforms (Supplementary) Act, 1952
24.	The Rampur Thekedari and Pattedari Abolition Act, 1953
25.	The Uttar Pradesh urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956
26.	The Uttar Pradesh Land Reforms (Evacuee Land) Act, 1957
27.	The Uttar Pradesh Government Estates Thekedari Abolition Act, 1958

28. The U.P. Recovery of Government Dues (Acquired Estates and Determined Leases) Act, 1960
29. The U.P. Malguzari Tatha Lagan Par Apatik Adhibhar Adhiniyam, 1965
30. The Uttar Pradesh Board of Revenue (Regulation of Procedure) Act, 1966
31. The Uttar Pradesh Government Estates Thekedari Abolition (Re-enactment and Validation) Act, 1970
32. The Uttar Pradesh Land Tenures (Regulation of Transfer) (Re-enactment and Validation) Act, 1972

LIST-B

Enactments having special reference to territories now comprised in the State of Uttarakhand

Serial No.	Name of enactments repealed
1.	Almora Honorary Assistant Collector's Decrees and Orders Validating Act, 1938
2.	Jaunsar-Bawar Security of Tenure and Land Records Act, 1952
3.	Kumaun Agricultural Lands (Miscellaneous Provision) Act, 1854
4.	Jaunsar-BawarPargana (District Dehra Dun) Revenue Officials (Special Powers) Act, 1958
5.	Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956
6.	Kumkum and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960
7.	Kumaun and Garhwal Water (Collection, Retention and Distribution) Act, 1975

SECOND SCHEDULE

(See Sections 206 (2)(a))

Matters excluded from the jurisdiction of the Civil Court

1. Any question regarding the determination of boundaries or fixing of boundary marks.
2. Any claim to question a decision determining abadi made by the Collector.
3. Any claim to have any entry made in any revenue records or to have any such entry omitted, amended or substituted.
4. Any question regarding the assessment, remission or suspension of land revenue or rent.
5. Any claim connected with or arising out of the collection by the State Government or the enforcement by such Government of any process for the recovery of land revenue or any sum recoverable as an arrear of land revenue under this Code or any other law for the time being in force.
6. Any claim against the vesting of any property in the State Government, Gram Panchayat or other local authority under this Code.
7. Any question relating to the levy or imposition of the fine, cost, expense, charge, penalty or compensation under this Code.
8. Any question regarding reinstatement of a bhumidhar or asami wrongfully ejected or dispossessed from any land.
9. Any claim to compel the performance of any duty imposed by this Code on any revenue officer appointed under this Code.
10. Any question, relating to division, creation, amalgamation, abolition or readjustment of revenue areas and Lekhpal's circles under Chapter II.
11. Any question relating to the allotment of land referred to in section 64 or section 125 or cancellation of such allotment.
12. Any claim to question a direction issued by the Collector under section 71.
13. Any claim to question the delivery of possession over any land and part thereof referred to in section 124, or the eviction of any person under section 134 or section 201.
14. Any claim to question the validity of any order made by the State Government under Chapter XI.
15. Any claim regarding possession over any land.
16. Any claim to establish the rights of a co-tenure holder in respect of any land.

THIRD SCHEDULE
(See Sections 206, 207 and 208)

Section	Description of suit, application or proceedings	Court or Officer of original jurisdiction	First Appeal	second Appeal
1	2	3	4	5
24	Boundary and boundary marks	Sub-Divisional Officer	Commissioner	---
35	Mutation case	Tahsildar	Sub-Divisional Officer	NIL
54, 56 57	Disputes relating to trees	Collector	Commissioner	---
67	Eviction of illegal occupier from Gram Panchayat land	Assistant Collector	Collector	---
82(2) (C)	Suit for ejectment by a bhumidhar against the person in possession of any land on the basis of a contract or lease	Sub-Divisional Officer	Commissioner	Board
85(1)	Suit for ejectment by Gram Panchayat against a bhumidhar with non-transferable right	Do	Do	Do
85(2)	Suit for ejectment by a land holder against an asami	Do	Do	Do
96(2)	Suit for partition by a disabled cosharer	Do	Do	Do
116	Suit for division of a holding	Do	Do	Do
131(1)	Suit for ejectment of an asami	Do	Do	Do

131(4)	Suit for recovery of arrears of rent against an asami	¹ [Sub-Divisional Officer]	Collector	Nil
133	Suit for injunction, compensation etc.	² [Sub-Divisional Officer]	Collector	Nil
134	Suit for ejectment against a person occupying land without title or for damages or for both	Sub-Divisional Officer	Commissioner	Board
137(1)	Suit for possession, compensation or injunction	Do	Do	Do
139(1)	Application for fixation of rent	Tahsildar	Sub-Divisional Officer	NIL
141(1)	Application for commutation of rent	Sub-Divisional Officer	Collector	Nil
144	Suit for declaration by bhumidhar or asami	Do	Commissioner	Board
145	Suit for declaration by bhumidhar or asami	Do	Do	Do
151(1)	Suit by a Government lessee for ejectment or for damages or both	Do	Do	Do

Note.- The suits appearing in the entries relating to section 82(2)(c) to section 131(1), sections 134, 137(1) and section 139(1) to section 151 (1) may be heard and decided also by any Assistant Collector, First Class (other than the Sub-Divisional Officer) to whom the case may be transferred by general or special order of the Collector.

1. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 20

2. Subs. by U.P. Act No. 7 of 2019, Sec 20

FOURTH SCHEDULE

(See Section 222)

LIST “A”

(List of villages of Pargana Ahraura)

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Amdih | 11. Kutlupur |
| 2. Baghor | 12. Lohra |
| 3. Baghri | 13. Maddhupur |
| 4. Bagtara | 14. Majhui |
| 5. Bat | 15. Mubarakpur |
| 6. Bhawanipur | 16. Magnar Haraiya |
| 7. Dhotwa | 17. Pavahi |
| 8. Ghurahi | 18. Sukrut |
| 9. Khamalhria | 19. Takia |
| 10. Khan Arzampur | |

LIST “B”

(List of villages of Pargana Bhagwat)

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Ban Imlis, | 10. Nibia, |
| 2. Jargal Mahal, | 11. Rampur Barho, |
| 3. Semra Barho, | 12. Sonbarsa, |
| 4. Khatkharia, | 13. Bisumpura, |
| 5. Koharadih, | 14. Khamhria, |
| 6. Talar, | 15. Purainia, |
| 7. Chit Bisram, | 16. Nikerika, |
| 8. Padarwa, | 17. Dhansiria, |
| 9. Hinauta, | 18. Garhwa. |
-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

(अंतिम संशोधन: 05-03-2021)

विषय-सूची

धारा

विषय

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. संहिता का लागू होना
3. संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार
4. परिभाषाएँ

अध्याय-दो

राजस्व मण्डल

5. राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन
6. राजस्व क्षेत्रों का गठन

अध्याय-तीन

परिषद और राजस्व अधिकारी

7. राजस्व परिषद
8. परिषद की अधिकारिता
9. कार्य का वितरण करने की शक्ति
10. परिषद के विनिश्चय
11. आयुक्त और अपर आयुक्त
12. कलेक्टर और अपर कलेक्टर
13. उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी
14. तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक
15. नायब तहसीलदार
16. राजस्व निरीक्षक और लेखपाल
17. पदों का समुच्चय
18. धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली
19. राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियाँ

अध्याय-चार

सीमा और सीमा चिन्ह

20. सीमा का निर्धारण और सीमांकन
21. सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व

22. सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना
23. सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति
24. सीमा सम्बन्धी विवाद
25. मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार
26. अवरोध का हटाया जाना
27. उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति
28. आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना

अध्याय—पाँच

ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण

29. ग्रामों की सूची
30. मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण
31. अधिकार अभिलेख
32. अभिलेखों को ठीक करना
33. उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण
34. अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य
35. अन्तरण के मामलों में नामान्तरण
36. अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना
37. कतिपय वादों का विवर्जन
38. गलती और लोप का सुधार
39. राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते
40. प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा
41. किसान बही
42. सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य

अध्याय—छः

ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण

43. अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना
44. अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी
45. अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति
46. अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण
47. सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण
48. सीमा चिन्हों के निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति
49. मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया
50. अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देना
51. नया अधिकार अभिलेख तैयार करना

- 52. ऐसे ग्रामों के लिए प्रक्रिया जहाँ कोई अभिलेख उपलब्ध न हों
- 53. प्रविष्टियों के संबंध में उपधारणा

अध्याय—सात

भूमि और अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व

- 54. समस्त भूमि आदि में राज्य का हक
- 55. खान और खनिज
- 56. वृक्षों पर अधिकार
- 57. फलदार वृक्ष
- 58. विवाद, जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा

अध्याय—आठ

ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य सम्पत्तियों का प्रबन्धन

- 59. ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना
- 60. भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण
- 61. ग्राम तालाबों का प्रबन्धन
- 62. वादों और विधिक कार्यवाहियों का संचालन
- 63. ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिये आवंटित किया जा सकता है
- 64. आबादी स्थलों का आवंटन
- 65. आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना
- 66. आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच
- 67. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति
- 67—क. कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त
- 68. गांव निधि
- 69. समेकित गांव निधि
- 70. राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निदेश
- 71. वैकल्पिक व्यवस्था
- 72. स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता
- 73. ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व

अध्याय—नौ

खाता

- 74. खातेदारी का वर्ग
- 75. संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
- 76. असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
- 77. कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे

78. असामी
79. अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार
80. औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग
81. घोषणा का परिणाम
82. घोषणा का रद्द किया जाना
83. घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना
84. असामी का अपनी जोत पर अनन्य कब्जा का अधिकार
85. इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम
86. असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना
87. सुधार जिसे न हटाया जाय

अन्तरण

88. भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता
89. भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध
90. भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भूमि का अर्जन न किया जाना
91. बन्धक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध
92. असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना
93. धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अन्तरण विक्रय माना जायेगा
94. किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा
95. पट्टा किस प्रकार किया जायेगा, उसका पर्यवसान तथा तत्सम्बन्ध में उठने वाला कोई विवाद
96. निरसित
97. निरसित
98. अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध
99. अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध
100. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा बंधक रखना
101. विनिमय
102. विनिमय के परिणाम
103. निरसित
104. इस संहिता के उल्लंघन में अंतरण शून्य होगा
105. संहिता के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम
106. इस संहिता के उल्लंघन में असामी द्वारा किए गए अन्तरण का परिणाम

न्यायगमन

107. भूमिधर या असामी द्वारा वसीयत
108. पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम

- 109. स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार
- 110. स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भू-धारक का उत्तराधिकार
- 111. धार्मिक विन्यासों आदि के प्रति व्यावृत्तियां
- 112. उत्तरजीविता द्वारा सह-खातेदारों के हित का संक्रमण
- 113. भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल से भिन्न व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं करेंगे
- 114. न्यागमन से सम्बन्धित सामान्य शर्तें
- 115. राजगामी सम्पत्ति

विभाजन

- 116. जोत के विभाजन के लिये वाद
- 117. जोत के विभाजन के लिये न्यायालय का कर्तव्य

समर्पण और परित्याग

- 118. भूमिधर द्वारा समर्पण
- 119. असामी द्वारा समर्पण
- 120. समर्पण का प्रभाव
- 121. समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व
- 122. भूमिधर द्वारा परित्याग
- 123. परित्याग का परिणाम
- 124. ग्राम पंचायत को कब्जा देना

ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा

- 125. ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रवेश
- 126. भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम
- 127. आवंटन का परिणाम
- 128. आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना
- 129. आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली

बेदखली

- 130. भूमिधरों को बेदखल न किया जाना
- 131. असामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिए वाद
- 132. फसलों और पेड़ों पर अधिकार
- 133. व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिए वाद
- 134. बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली
- 135. निरसित
- 136. ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली
- 137. गलत बेदखली के लिए उपचार

लगान

- 138. असामी द्वारा देय लगान
- 139. लगान निर्धारण के लिए वाद

140. बकाया हेतु दावा की डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा आपदा के लिए छूट
141. लगान की गणना
142. ग्राम पंचायत आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली
143. बकाया लगान को बट्टे खाते डालने की शक्ति

घोषणात्मक वाद

144. खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद
145. ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद
146. व्यादेश का उपबंध

अध्याय—दस

सरकारी पट्टेदार

147. सरकारी पट्टेदार की परिभाषा
148. सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक
149. सरकारी पट्टेदार की बेदखली
150. उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1972 के उपबन्ध लागू होंगे
151. सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार
152. भू—राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य देय

अध्याय—ग्यारह

भू—राजस्व का निर्धारण

153. भूमिधर द्वारा धृत भूमि पर भू—राजस्व के भुगतान का दायित्व
154. भूमिधर द्वारा देय भू—राजस्व
155. भू—राजस्व में परिवर्तन
156. कतिपय मामलों में भू—राजस्व की छूट
157. कृषि विपत्ति होने पर भू—राजस्व में माफी या स्थगन
158. कतिपय दशाओं में लगान में परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शक्ति
159. लगान स्थगित करने के परिणाम
160. राजस्व मुक्त भूमि की वार्षिक जांच
161. भू—राजस्व की धनराशि का पूर्णकृत किया जाना
162. आदेशों का अंतिम होना

अध्याय— बारह

भू—राजस्व का संग्रह

163. भू—राजस्व प्रथम प्रभार होगा
164. भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग—अलग उत्तरदायी होंगे
165. भू—राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना
166. भू—राजस्व के संग्रह के लिए प्रबन्ध
167. व्यतिक्रमी

168. प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य होगा
169. मांग—पत्र
170. बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया
171. गिरफ्तारी और निरोध
172. जंगम सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री
173. व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लॉकर की कुर्की
174. जोत की कुर्की
175. जोत का पट्टा
176. जोत की बिक्री
177. अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री
178. रिसीवर की नियुक्ति
179. वसूली की प्रक्रिया
180. लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली
181. विधिक प्रतिनिधियों इत्यादि के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही

स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की और विक्रय

182. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की
183. कुर्की के विरुद्ध आपत्ति
184. विक्रय की उद्घोषणा
185. उद्घोषणा का चिपकाया जाना
186. विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाय
187. विक्रय को रोका जाना
188. बोली लगाने का निषेध
189. क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय
190. क्रय धन का जमा किया जाना
191. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा धृत भूमि का नीलामी विक्रय
192. बकाये को जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन
193. अनियमितता के लिए विक्रय को अपास्त करने का आवेदन
194. विक्रय की पुष्टि
195. कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना
196. कतिपय मामलों के विरुद्ध दावों का वर्जन
197. क्रय धन का प्रतिदाय
198. विक्रय का प्रमाण—पत्र
199. प्रमाण—पत्र प्राप्त क्रेता को कब्जा दिलाना
200. विक्रय मूल्य का विनियोग
201. अप्राधिकृत अधिभोगी की सरसरी बेदखली
202. वाद का वर्जन

- 203. वाद के पूर्व भुगतान
- 204. अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है
- 205. अध्याय का लागू होना

अध्याय—तेरह

राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया

- 206. सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता
- 207. प्रथम अपील
- 208. द्वितीय अपील
- 209. कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन
- 210. अभिलेख मंगाने की शक्ति
- 211. परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति
- 212. मामले को अंतरित करने की शक्ति
- 213. राज्य सरकार कतिपय मामलों में आवश्यक पक्षकार होगी
- 214. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का लागू होना
- 215. प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे
- 216. नोटिस को तामील कराना
- 217. राजस्व न्यायालयों को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीत करने की शक्ति नहीं होगी

अध्याय—चौदह

प्रकीर्ण

- 218. संहिता के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति
- 219. प्रत्यायोजन
- 220. भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति
- 221. निरीक्षण करने और प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार
- 222. कतिपय जिलों में क्षेत्रों की संगणना
- 223. जुर्माना आदि की वसूली की रीति
- 224. विवरण मंगाने की शक्ति
- 225. सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण
- 225—क. संक्षिप्त कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण
- 225—ख. कैवियट दाखिल करना
- 225—ग. समिति का गठन
- 225—घ. सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो परगने का प्रभारी न हो, की शक्तियां

225—ड. सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां

225—च. मामलों का समेकन

अध्याय—पन्द्रह

शास्तियाँ

- 226** अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति
- 227** सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी
- 228** अविधिमान्य रूप से वृक्षों को काटने और हटाने के लिये शास्ति
- 229** अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति

अध्याय—सोलह

निरसन और अपवाद

- 230** निरसन
- 231** विचाराधीन कार्यवाहियों पर संहिता का लागू होना
- 232** कठिनाइयां दूर करने की शक्ति
- 233** नियम बनाने की शक्ति
- 234** विनियमावली बनाने की शक्ति

प्रथम अनुसूची

द्वितीय अनुसूची

तृतीय अनुसूची

चतुर्थ अनुसूची

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

(30प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) दिनांक: 12 दिसम्बर 2012

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-खातेदारी से सम्बन्धित विधियों का समेकन एवं संशोधन करने और उससे सम्बन्धित एवं अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे ¹दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए या इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

धारा 2 संहिता का लागू होना— इस संहिता के उपबन्ध, अध्याय आठ और नौ को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और अध्याय आठ और नौ ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था।

धारा 3 संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार— (1) जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाए, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का सम्पूर्ण या कोई उपबन्ध विस्तारित कर सकती है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए, वहाँ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबन्ध जो इस प्रकार लागू किए गये उपबन्धों से असंगत हो, निरसित हुए समझे जायेंगे।

(3) राज्य सरकार किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, **उपान्तरण या परिवर्तन** कर सकती है।

धारा 4 परिभाषाएँ— इस संहिता में :—

(1) “आबादी” या “ग्रामीण आबादी” का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों यथा, सहन व हरे वृक्षों, कुआँ आदि के लिए किया जा रहा हो या जिसे एतदपश्चात् ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित

¹ अधिसूचना संख्या 1879/एक -1-2015-15(1)/1998-19टी0सी0-3 दिनांक 18.12.2015 द्वारा 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (30प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धाराएं 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 233 एवं 234 दिनांक 18.12.2015 से प्रवृत्त होंगी तथा उक्त अधिनियम के शेष उपबन्ध दिनांक 11.02.2016 से प्रवृत्त होंगे।

किया गया हो या किया जाए ;

(2) "कृषि" के अन्तर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन भी है ;

(3) "कृषि श्रमिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है ;

(4) "बैंक" का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिये दिया गया है ;

(5) "भूमि प्रबन्धक समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 28-क के अधीन गठित किसी भूमि प्रबन्धक समिति से है ;

(6) "परिषद" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित या गठित समझे जाने वाले राजस्व परिषद से है ;

(7) "पूर्त संस्था" का तात्पर्य किसी पूर्त प्रयोजन के लिये गठित किसी अधिष्ठान, उपक्रम, संगठन या संघ से है और उसके अन्तर्गत कोई विनिर्दिष्ट विन्यास भी है ;

(8) "कलेक्टर" का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे,—

(क) उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर ; और

(ख) इस संहिता के अधीन **कलेक्टर** के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, सशक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर ;

(9) "संचित गांव निधि" का तात्पर्य धारा 69 के अधीन गठित संचित **गांव** निधि से है ;

¹[(10)] किसी भू-खातेदार के सम्बन्ध में 'परिवार' का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति या थर्ड जेण्डर पत्नी या पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति या थर्ड जेण्डर पति या पत्नी से भिन्न), विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेण्डर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्रों तथा अवयस्क पुत्रियों से है।

स्पष्टीकरण— थर्ड जेण्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पुरुष अथवा स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग का हो।

(11) "बाग-भूमि" का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग से है जिसमें इस प्रकार वृक्ष लगे हों (जिसमें पपीता या केला के पौधे सम्मिलित नहीं हैं) कि वे किसी भूमि को या उसके किसी समुचित भाग को किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लाए जाने से रोकते हों, या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष एक बाग का रूप धारण करेंगे;

(12) "जोत" का तात्पर्य एक भू-खातेदारी, एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गये भूमि के किसी खण्ड से है;

(13) किसी जोत के सम्बन्ध में "सुधार" का तात्पर्य ऐसे किसी संकर्म से है जिससे जोत के मूल्य में भौतिक रूप

से अभिवृद्धि होती हो और जो उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो और जो यदि जोत पर निष्पादित न किया जाए, उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से सम्पादित किया जाता हो या सम्पादन के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद बनाया जाता हो और पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन उसके अन्तर्गत निम्नलिखित संकर्म भी हैं—

(एक) कृषि प्रयोजनों के लिये जल के भण्डारण, आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल-प्रणालियों, तटबन्धों का निर्माण और अन्य कार्य ;

(दो) भूमि के जल-निकास हेतु या बाढ़ से या जल से भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि की रक्षा हेतु निर्माण कार्य ;

(तीन) वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, घेराबन्दी करना, समतल अथवा सीढ़ीदार बनाना ;

(चार) आबादी या नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जोत के आस-पास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग या अध्यासन के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण ; और

(पाँच) पूर्वोक्त संकर्मों में से किसी संकर्म का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या उसका परिवर्धन ;

(14) "भूमि" का तात्पर्य, अध्याय सात और आठ और धारा 80, 81 और धारा 136 के सिवाय, ऐसी भूमि से है जो कृषि से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित हो;

(15) "भूमि धारक" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसे लगान देय हो या देय होती यदि कोई स्पष्ट या विवक्षित संविदा न होती;

(16) "राजस्व न्यायालय" का तात्पर्य, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से सभी या किसी प्राधिकारी, (नामस्वरूप) परिषद और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) और नायब तहसीलदार से है ;

(17) "राजस्व अधिकारी" का तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार(न्यायिक), नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक से है ;

(18) "उप जिलाधिकारी" का तात्पर्य, तहसील के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर से है ;

(19) "टाँगिया रोपवनी" का तात्पर्य, ऐसी **वनरोपण प्रणाली** से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ-साथ किया जाता है जिसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है ;

(20) "गांव" का तात्पर्य, किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, जो चाहे घना हो या नहीं, तत्सम्बन्धी **ज़िले** के राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित **करे** ;

(21) "गांव शिल्पी" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि या उसके आनुषंगिक

प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाए जाने वाले परम्परागत औजारों—उपकरणों और अन्य सामानों या वस्तुओं का निर्माण या मरम्मत है और उसके अन्तर्गत बढई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतः किसी गांव में अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपनी जीविका का अर्जन करता है ;

(22) शब्द और पद **“गांव निधि”, “ग्राम सभा” और “ग्राम पंचायत”** के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में उनके लिए दिए गये हैं;

(23) ‘कृषि वर्ष’ का तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो कैलेण्डर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से आरम्भ होकर जून के तीसवें दिन पर समाप्त होता है। इसे फसली वर्ष भी कहा जाता है;

(24) ‘मध्यवर्ती’ का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी आस्थान से हो, उक्त आस्थान या उसके किसी भाग के स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी और दवामी काश्तकार से है;

(25) ‘पट्टा’ के अन्तर्गत, जब उसका सम्बन्ध खानों या खनिज पदार्थों से हो, शिकमी पट्टा, अन्वेषण पट्टा और पट्टा देने या शिकमी उठाने के अनुबन्ध भी हैं और ‘पट्टेदार’ की भी व्याख्या तदनुसार ही की जाएगी;

(26) ‘डिक्री’ का वही अर्थ होगा, जो उसको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) की धारा 2 में इसके लिए समनुदेशित है;

(27) ‘राज्य सरकार’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(28) ‘केन्द्रीय सरकार’ का अर्थ होगा, जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 3 में इसके लिए समनुदेशित है;

(29) ‘मिनजुमला संख्या’ का तात्पर्य सैद्धान्तिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुग भाग को इंगित करने वाली ‘शजरा संख्या’ से है।

अध्याय—दो

राजस्व मण्डल

धारा 5 राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन— इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मंडलों में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिला में दो या अधिक तहसीलें हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें हो सकेंगे और प्रत्येक परगना में दो या उससे अधिक गांव हो सकेंगे।

धारा 6 राजस्व क्षेत्रों का गठन—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती है :

(एक) उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मण्डल बनता हो;

(दो) उन तहसीलों को जिनसे मिलकर कोई जिला बनता हो;

(तीन) उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील बनती हो।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को समामेलित, पुनःसमायोजित, विभाजित करके या किसी अन्य रीति से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी

ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और यदि जहाँ किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण कर दिया जाए, तो वहाँ उक्त क्षेत्र के किसी विधि या लिखत या अन्य दस्तावेज में उसके मौलिक नाम से किए गए निर्देशों को, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाए, पुनः नामकरण किए गए क्षेत्र का निर्देश समझा जाएगा :

परन्तु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी।

(3) कलेक्टर विहित रूप में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील के गांवों को लेखपाल हलकों में और लेखपाल हलकों को राजस्व निरीक्षक हलकों में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व **निरीक्षक के मुख्यालय** को भी उसके हलके के भीतर विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) इस संहिता के प्रारम्भ होने के समय यथा विद्यमान मण्डल, **ज़िले**, तहसील, परगने, राजस्व निरीक्षक हलके, लेखपाल हलके और गांव, जब तक कि पूर्ववर्ती उपखण्डों में उनमें कोई परिवर्तन न कर दिया जाए, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र समझे जायेंगे।

अध्याय—तीन

परिषद और राजस्व अधिकारी

धारा 7 राजस्व परिषद— (1) उत्तर प्रदेश के लिये एक राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाए :

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद को इस धारा के अधीन गठित परिषद समझा जाएगा।

(2) **(निरसित)**

(3) कोई भी व्यक्ति—

(क) परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा **जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो ;**

(ख) परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा **जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो।**

(4) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी सदस्य को परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल **न्यायिक कार्य** आवंटित किया जायेगा।

धारा 8 परिषद की अधिकारिता— (1) परिषद निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगा :—

(क) **वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बन्धित सभी मामलों में; और**

(ख) राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, इस संहिता में दिये गये सभी

अन्य मामलों में।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

(3) राज्य सरकार परिषद के किसी सदस्य को या तो सामान्यतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय के सम्बन्ध में परिषद को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग, कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

धारा 9 कार्य का वितरण करने की शक्ति— (1) ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए या जारी किया जाए, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण, जैसा परिषद उचित समझे, कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर सकता है।

(2) ऐसे वितरण के अनुसार राजस्व परिषद के किसी सदस्य द्वारा दिये गये सभी आदेश या डिक्री यथास्थिति, राजस्व परिषद के, आदेश या डिक्री समझे जायेंगे।

धारा 10 परिषद के विनिश्चय—(1) जहाँ अपील करने पर या पुनरीक्षण के तौर पर परिषद के विचाराधीन आने वाली किसी कार्यवाही की सुनवाई दो या उससे अधिक सदस्यों से बनी पीठ द्वारा की जानी हो वहाँ मामले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।

(2) जहाँ पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में अपनी राय में बराबर-बराबर **विभाजित हों**, वहाँ उसकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक वृहत्तर पीठ द्वारा की जायेगी और मामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।

(3) एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा या दो सदस्यों वाली किसी **खण्ड पीठ** द्वारा या पूर्वोक्त रूप से गठित किसी वृहत्तर पीठ द्वारा दिए गए सभी विनिश्चय, परिषद के विनिश्चय समझे जाएंगे।

धारा 11 आयुक्त और अपर आयुक्त— (1) राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो, अपने मण्डल के भीतर, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित **कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।**

(2) राज्य सरकार एक या उससे अधिक मण्डलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।

(3) कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा निदेशित किया जाए।

(4) आयुक्त पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मण्डलायुक्त हो।

(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर आयुक्त को, अपर आयुक्त (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर आयुक्त (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर आयुक्त (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा, निदेशित किया जाये।

धारा 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर- (1) राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार किसी ज़िले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है।

(3) अपर कलेक्टर, राज्य सरकार या कलेक्टर के निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर पर इस प्रकार लागू होंगे मानों वह ज़िले का कलेक्टर हो।

(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर कलेक्टर (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।

धारा 13 उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी- (1) राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे, सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(2) राज्य सरकार किसी ज़िले के एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी कहा जाएगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी कलेक्टर के नियन्त्रण में रहते हुए इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(4) राज्य सरकार किसी ज़िले के लिए नियुक्त सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को ज़िले के एक या अधिक तहसीलों के लिए अपर उप जिलाधिकारी पदाभिहित कर सकती है।

(5) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपर उप जिलाधिकारी ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वर्ग में किसी उप जिलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा राज्य सरकार, या राज्य सरकार के किसी निदेश के न होने पर, कलेक्टर निदेश दे।

(6) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को एक या एक से अधिक तहसीलों के लिए उप जिलाधिकारी (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे उप जिलाधिकारी (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा उप जिलाधिकारी (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में उप जिलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।

धारा 14 तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक— (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित समझे, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है।

(2) तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार या परिषद, और राज्य सरकार या परिषद का कोई निदेश न होने पर, कलेक्टर निदेश दे।

धारा 15 नायब तहसीलदार— राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित समझे, नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकती है, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

धारा 16 राजस्व निरीक्षक और लेखपाल— (1) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है।

(2) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हो।

धारा 17 पदों का समुच्चय— राज्य सरकार या, यथास्थिति, नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए किसी एक ही ऐसे व्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम हो, इस अध्याय में उपबन्धित दो या अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अभिधान के अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी या किसी शक्ति या कर्तव्य को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन समझे प्रदत्त करना विधिपूर्ण होगा।

धारा 18 धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली— (1) कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजस्व अधिकारी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले उनके जिले में उस रूप में सेवायोजित रहा हो, उसके प्रभार में रखे गए, लोक धन या कागज-पत्र या अन्य सम्पत्ति के संबंध में कोई दावा बकाया हो, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे निरुद्ध धन या विशिष्ट कागज-पत्र या सम्पत्ति तुरन्त उक्त आदेश के वाहक को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निदेश के अनुसार पालन नहीं करता है, तो कलेक्टर ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि निदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति

अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु, यह कि यथास्थिति, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति का अधिरोपण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन या धन, कागज—पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली, से विवर्जित नहीं करेगा।

धारा 19 राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियाँ— (1) जब इस संहिता के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई शक्ति या कोई कर्तव्य पालनीय हो तो किसी वरिष्ठतर अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी ऐसी प्रयोक्तव्य शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का पालन किया जा सकता है।

(2) इस संहिता के अधीन नियुक्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

अध्याय—चार

सीमा और सीमा चिन्ह

धारा 20 सीमा का निर्धारण और सीमांकन— (1) राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जायेंगी।

(2) सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे विनिर्देश के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

धारा 21 सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व— (1) प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उपधारा (1) में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का, अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगी।

धारा 22 सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना—(1) यदि लेखपाल के हलके में विधिपूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए, हटाया जाए या उसे क्षति पहुँचाई जाए तो संबंधित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिये बाध्य होगा।

(2) नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट के संबंध में जाँच करेगा और अपनी संस्तुति उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

धारा 23 सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति— (1) उप जिलाधिकारी धारा 22 के अधीन नायब तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त करके या अन्यथा ग्राम पंचायत में किसी ग्राम के संबंध में और किसी खातेदार से उसकी जोत के संबंध में, समुचित सीमा चिन्हों का ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, निर्माण या पुनः स्थापन करने या उनकी मरम्मत या उन्हें प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहाँ ग्राम पंचायत या कोई खातेदार उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, वहाँ उप जिलाधिकारी ऐसे सीमा चिन्हों का यथास्थिति निर्माण

पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी **ग्राम पंचायत** या खातेदार से उसका खर्च वसूल कर सकता है।

धारा 24 सीमा सम्बन्धी विवाद— (1) उप **ज़िलाधिकारी स्वप्रेरणा** से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहाँ उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो वहाँ उन नक्शों के आधार पर, किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी **जाँच द्वारा कर सकता है।**

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद में जाँच के दौरान उप **ज़िलाधिकारी** अपना यह समाधान न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो **उप ज़िलाधिकारी —**

(क) प्रथम स्थिति में, संक्षिप्त जाँच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा ;

(ख) द्वितीय स्थिति में, इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप ज़िलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से, यथासम्भव तीन माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।

(4) उप **ज़िलाधिकारी** के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश ¹**[धारा 210 के उपबन्धों के अध्याधीन]** अन्तिम होगा।

धारा 25 मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार— ऐसे मार्ग के संबंध में (सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न) जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या **गांव** की बंजर या चारागाह भूमि पर पहुँच सके, या ऐसे स्रोत या ऐसे जल मार्ग के संबंध में जहाँ से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, तहसीलदार, ऐसी स्थानीय जाँच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए, विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त सम्बद्ध पक्षों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मामले का विनिश्चय कर सकता है। वह ऐसे **अवरोधों को हटाने** के लिये निदेश दे सकता है और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो और संबंधित व्यक्ति से विहित रूप में **ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत** की वसूली कर सकता है।

धारा 26 अवरोध का हटाया जाना— यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से **गांव** की किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है तो ऐसी सड़क या जल मार्ग या जल के रोध को हटाने का निदेश दे सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, और सम्बद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकता है।

¹ उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित

धारा 27 उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति- उप जिलाधिकारी धारा 25 या धारा 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से माँग सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जायेगा।

धारा 28 आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना- इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है।

अध्याय-पाँच

ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण

धारा 29 ग्रामों की सूची- (1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें उसके जिले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा :-

- (क) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों ;
- (ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हों ; और
- (ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जायं।

(2) रजिस्टर का, प्रत्येक पाँच वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जिसे विहित किया जाए, पुनरीक्षण किया जाएगा।

धारा 30 मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण- (1) कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जैसा विहित किया जाए, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित करायेगा और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय-समय पर पाई जाय भी ठीक करायेगा।

(2) मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

धारा 31 अधिकार अभिलेख- (1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में और विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख (खतौनी) रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा धृत सर्वेक्षण संख्या या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल ;
- (ख) ऐसे व्यक्तियों के उनके हिस्सों सहित हितों का प्रकार या विस्तार और उससे सम्बद्ध दायित्व या शर्तें, यदि कोई हों ;
- (ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको देय राजस्व या लगान, यदि कोई हो ;

(घ) **राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्राम पंचायत** या स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित या उसमें निहित (जोत से भिन्न) समस्त भूमि का विवरण ;

(ङ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायें।

(2) सहखातेदारों के अंश विहित रीति से निर्धारित किये जायेंगे।

धारा 32 अभिलेखों को ठीक करना—(1) कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, उप **जिलाधिकारी**, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबन्धित रीति से अधिकार अभिलेख (खतौनी), क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे अन्य **समस्त संव्यवहारों** को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में **की गयी थीं**;

परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, रखे जाने योग्य नहीं होगा।

धारा 33 उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण—(1) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के, जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक—

(क) यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा ;

(3) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(4) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमन के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकारयुक्त या असामी स्वीकार किया गया हो।

धारा 34 अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य— (1) धारा 33 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'अन्तरण' के अन्तर्गत कोई पारिवारिक बन्दोबस्त भी है।

(2) राज्य सरकार इस अध्याय के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में अन्तरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है। ऐसी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति

द्वारा किया जायेगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।

धारा 35 अन्तरण के मामलों में नामान्तरण—(1) धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो, और—

(क) यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा;

(ख) 'निरसित'

(ग) यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार, यदि आवश्यक हो, संशोधित करने का निदेश देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता है।

धारा 36 अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना—(1) धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, जहां भूमि पर किसी हक या भार को बनाने, समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिसके सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाने के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन **रजिस्ट्रीकृत कराया गया है**, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस तहसीलदार को, जिसकी अधिकारिता में वह भूमि स्थित है, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी समय सीमा में, जैसी विहित की जाए, सूचना भेजेगा।

(2) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, धारा 32 के अधीन अभिलेखों के सुधार के लिए कोई आदेश और धारा 33 के अधीन उत्तराधिकार अभिलिखित करने के लिए कोई आदेश और धारा 35 के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) में कोई संशोधन और धारा 38 के अधीन कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस भूमि, जिससे ऐसा आदेश संबंधित है, के सम्बन्ध में अद्यतन देय भू-राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाये।

धारा 37 कतिपय वादों का विवर्जन— उत्तराधिकार या अन्तरण द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि उसने यथास्थिति धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो।

धारा 38 गलती और लोप का सुधार—(1) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप पर, तहसीलदार ऐसी जाँच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(3) कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का

निर्णय ¹[धारा 210 के उपबन्धों के अधीन] अन्तिम होगा।

(5) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) की कोई फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि को इस धारा के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है।

(6) इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी, राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख अथवा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जांच, जो विहित की जाय, करने के बाद ठीक कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के अधीन किसी गलती या लोप का सुधार करने की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाय कि इसमें हक के प्रश्न से संबंधित किसी विवाद के निर्णय की शक्ति सम्मिलित है।

धारा 39 राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते— धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक या धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार द्वारा या धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन उप **ज़िलाधिकारी** द्वारा, या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को धारा 144 के अधीन वाद के माध्यम से भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा।

धारा 40 प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा— इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये **अधिकार अभिलेख (खतौनी)** में सभी प्रविष्टियां सत्य उपधारित की जायेंगी जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाय।

धारा 41 किसान बही—(1) हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) तैयार की जाय, कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाय।

(2) किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के संबंध में समेकित जोत—बही होगी।

(3) संयुक्त जोत की स्थिति में, इस धारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सह—खातेदारों को दी जाय जो इसके लिये आवेदन करें।

(4) खातेदार किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जैसी विहित की जाय।

(5) किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय—समय पर अधिकार अभिलेख में किये गये संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा।

(6) जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत का धारक है तो वह इस प्रकार दिये गये ऋण के ब्योरे को किसान बही में पृष्ठांकित करेगा।

(7) खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ—पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण (जो पूर्णतः या अंशतः असंदत्त है) नहीं प्राप्त किया है और न ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो से,

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित

अन्तरित किया है।

(8) कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ-पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी या विश्वास के अनुसार असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है, तो वह किसी प्रकार के कारावास से, ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा।

(9) ऐसा बैंक या अन्य वित्तीय संस्था ऋण के अन्तिम पुनर्भुगतान को किसान बही पर पृष्ठांकित करेगी।

धारा 42 सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य— प्रत्येक व्यक्ति, जिसके अधिकार, हित या बाध्यता का इस अध्याय के अधीन रखे गये किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या उनकी प्रविष्टि कर ली गई हो, ऐसे अभिलेख या रजिस्टर के संकलन या पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए किसी राजस्व अधिकारी के अधियाचन पर, उसके निरीक्षण के लिए, सही संकलन या पुनरीक्षण के लिए आवश्यक ऐसी समस्त सूचना या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी, कब्जे या शक्ति में हो, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, देने या प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

अध्याय—छः

ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण

धारा 43 अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना— (1) कभी राज्य सरकार की राय हो कि किसी ज़िले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों आवश्यक हैं तो इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और तदुपरांत ऐसा ज़िला या क्षेत्र, यथास्थिति, अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों के अधीन समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, आदेश दे सकती है कि आबादी या ग्राम आबादी की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया या दोनों विहित रीति से की जायेगी।

(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को संशोधित या रद्द कर सकती है या उस क्रिया को समाप्त घोषित कर सकती है।

धारा 44 अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी—(1) राज्य सरकार एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है, जितने वह उचित समझे।

(2) सहायक अभिलेख अधिकारी, जब तक धारा 43, की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे जायं।

धारा 45 अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति— जहाँ कोई ज़िला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, वहाँ धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

धारा 46 अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण- जब कोई ज़िला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण करायेगा।

धारा 47 सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण- जब कोई ज़िला या अन्य स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार करायेगा और तत्पश्चात् यथास्थिति क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख, के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगा।

धारा 48 सीमा चिन्हों के निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति- जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत और भूमिधरों को निदेश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझें और व्यतिक्रम होने पर, वह ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों या भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा।

धारा 49 मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया- (1) धारा 46 और 47 के अधीन मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिये अभिलेख अधिकारी उपधारा (2) से (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र में सुधार, खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख (खतौनी) का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।

(2) चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात् नायब तहसीलदार ऐसे अभिलेख में लेखन सम्बन्धी भूलों और गलतियों को, यदि कोई हो, शुद्ध करेगा और संबद्ध खातेदारों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी करायेगा जिसमें चालू अधिकार अभिलेख और ऐसे अन्य अभिलेख से, जो विहित किया जाए, सुसंगत उद्धरण दिए जायेंगे, जिसमें भूमि के सम्बन्ध में उनके अधिकार और दायित्व और उपधारा (1) में उल्लिखित क्रियाओं के दौरान उनमें पायी गयी भूलों और विवादों का उल्लेख किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो।

(4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अनुसार विवाद के तय किये जाने के पूर्व किसी समय नायब तहसीलदार के समक्ष या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किए जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(5) नायब तहसीलदार -

(क) जहां उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं, वहाँ सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई करने के पश्चात्; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे;

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश देगा।

(6) ऐसे समस्त मामलों का अभिलेख, जिनका निस्तारण, नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जाएगा जो उनका निस्तारण धारा 24 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा, और जहाँ विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्गस्त हो वहाँ वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जाँच करने के पश्चात् करेगा।

(7) जहाँ उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जाँच करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाए कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहाँ ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये किसी **आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है**, और अभिलेख अधिकारी का ऐसी अपील पर प्रत्येक आदेश, धारा-210 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

50 अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देना- धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा।

धारा 51 नया अधिकार अभिलेख तैयार करना- तत्पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिये धारा 50 में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख (खतौनी) के आधार पर धारा 30 और 31 में विनिर्दिष्ट अभिलेख तैयार करेगा और कलेक्टर द्वारा, पहले से विद्यमान अभिलेख के स्थान पर इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख रखा जायेगा।

धारा 52 ऐसे ग्रामों के लिए प्रक्रिया जहाँ कोई अभिलेख उपलब्ध न हों- (1) इस अध्याय के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे ग्राम या उसके भाग के सम्बन्ध में, जहाँ धारा 46 या धारा 47 में निर्दिष्ट कोई मानचित्र या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं है, यथावश्यक परिवर्तन सहित अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया पर लागू **होंगे** और इस प्रयोजन के लिये अभिलेख अधिकारी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जैसी विहित की जाय।

(2) इस अध्याय के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख क्रिया और सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होंगे।

धारा 53 प्रविष्टियों के संबंध में उपधारणा- इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए गए अधिकार अभिलेख (खतौनी) में समस्त प्रविष्टियां सत्य **उपधारित की जायेंगी**, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाय।

अध्याय—सात

भूमि और अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व

धारा 54 समस्त भूमि आदि में राज्य का हक— समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबन्धों और बाड़ों, नदीतल, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों, और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल और समस्त भूमि जहाँ कहीं स्थित हो, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, को, और जहाँ तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों को उनके अन्तर्गत या उन पर स्थापित किये जाने का संबंध हो, उसके सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में यथाशक्य उपबन्ध किये जाने के सिवाय, एतद्द्वारा उनमें या उन पर या उनसे सम्बन्धित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित की जाती है :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से, किसी ऐसी सम्पत्ति पर इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले, विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार, प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

धारा 55 खान और खनिज— (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने या उसमें काम करने या उनमें से किन्हीं खनिज पदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार, खान और खनिज **(विकास और विनियमन)** अधिनियम, 1957 द्वारा शासित होगा।

(2) किसी खान या खनिज की कार्यप्रणाली या उसके उत्खनन से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए, और इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को क्रियाशील, इस संहिता द्वारा निरसित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गये भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा, उपर्युक्त पट्टा के निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, ऐसे किराये के संदाय पर, जैसा कि ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त था, बना रहेगा।

धारा 56 वृक्षों पर अधिकार— (1) किसी जोत या बाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन **ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा** जो ऐसा जोत या बाग धारण करता हो।

(2) किन्हीं जोतों की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्षों को **ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी ओर जोतों को धारण करते हों।**

(3) किसी व्यक्ति से सम्बन्धित या उसके द्वारा धारित आबादी में या किसी दखल न की हुई भूमि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरन्तर सम्बन्धित रहेंगे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यक्षीन धृत रहेंगे।

(4) धारा 57 के उपबन्धों के अध्यक्षीन उपधारा (1) से (3) में निर्दिष्ट **वृक्षों, झाड़, जंगल, या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या रोपित हों,** को इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा और धारा 59 के प्रयोजनों के लिए पद दखल न की हुई भूमि का तात्पर्य भू-धारकों द्वारा धारित भूमि से भिन्न ग्राम में स्थित भूमि से है।

धारा 57 फलदार वृक्ष— (1) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी, जो **यथास्थिति तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या**

सहायक अभियन्ता की श्रेणी के नीचे का न हो, की लिखित अनुज्ञा से जब कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या **नहर के किसी ओर** रोपित किया गया हो, तो ऐसा होते हुए भी ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसा व्यक्ति और उसके विधिक प्रतिनिधि किसी प्रभार, जो भी हो, के संदाय के बिना ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे।

(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या **नहर के किसी ओर** फलदार वृक्ष रोपित करने के लिये इच्छुक **कोई व्यक्ति, कलेक्टर** या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है और उपधारा (1) के उपबन्ध इस प्रकार रोपित किए गए वृक्षों के निमित्त लागू होंगे।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे किन्तु फलदार वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों के पास ऐसे समग्र वृक्ष के प्रति या ऐसी भूमि पर जिस पर वह स्थित हो, कोई अधिकार नहीं होगा।

धारा 58 विवाद, जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा— (1) जहां धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में या ऐसी सम्पत्ति के किसी अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से **तीस दिन** के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

अध्याय—आठ

ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य सम्पत्तियों का प्रबन्धन

धारा 59 ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना— (1) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों।

(2) निम्नलिखित चीजें उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती हैं, अर्थात् :—

(एक) किसी जोत या बाग में तत्समय समाविष्ट भूमि के सिवाय भूमि, जो खेती योग्य हों या अन्यथा हों;

(दो) ग्राम पंचायत की भूमि पर लगा बाग, चरागाह, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, उर्वरक गर्ते, खलिहान, चकरोड, सम्पर्क मार्ग, सेक्टर मार्ग, नदी तल भूमि, सड़क, सड़क की खन्ती, मलिन जल क्षेत्र;

(तीन) वन एवं मत्स्य क्षेत्र;

(चार) किसी जोत में या किसी जोत की सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न की हुई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष;

(पांच) हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जल मार्ग, निजी नौघाट, पगडन्डी और आबादी स्थल;

(छः) निखात निधि अधिनियम, 1878 के उपबन्धों के अध्याधीन धारा 55 में विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार

से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति ।

(3) ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज, जो—

(क) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो ;

(ख) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो ;

(ग) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो ;

उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा, —

¹[(क)] (एक). उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है,

संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;

(दो). किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तरित की गई किसी ऐसी भूमि, जो धारा-77 उपधारा(1) के अधीन आच्छादित नहीं है, को धारा-77 की उपधारा (1) के अधीन आच्छादित भूमि में परिवर्तित कर सकती है।

(ख) अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के लिये उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी किसी भूमि या अन्य चीज को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर सकती है;

²[(ग)] (एक) किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को इस प्रकार सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसे निबन्धन एवं शर्तों, जैसी कि विहित की जाए, पर वापस ले सकती है।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;

(घ) ऐसी शर्तें और निबन्धन अधिरोपित कर सकती है, जिनके अधीन इस धारा के अधीन अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

(5) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई चीज किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गयी हो और ग्राम या उसका ऐसा कोई भाग जिसमें ऐसी चीजें स्थित हों, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बाहर हो वहां ऐसी ग्राम पंचायत या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी साधारण

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन 2020 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रतिस्थापित

² उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन 2020 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रतिस्थापित

या विशेष आदेश के अधीन इस संहिता या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 द्वारा या उसके अधीन ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति पर समनुदेशित, अधिरोपित या प्रदत्त कृत्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी मानों वह ग्राम या उसका भाग भी उसके क्षेत्र में आता हो।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई चीज, ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी हो या सौंपी हुई समझी गयी हो वहां इस अध्याय के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे।

¹[स्पष्टीकरण]—इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द “स्थानीय प्राधिकरण में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243—थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के रूप में ‘औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी’ सम्मिलित होंगे।”

धारा 60 भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण— (1) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति को ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से धारा 59 के अधीन उस ग्राम पंचायत को सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गयी समस्त भूमि और अन्य चीजों, जिन पर ऐसी ग्राम पंचायत को इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो, के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जाएगा।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे :—

(क) भूमि का बन्दोबस्त और प्रबन्धन ;

²[(ख)] वनों, वृक्षों और चारागाहों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास;

(ग) आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास ;

(घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबन्धन;

(ङ) मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास;

(च) कुटीर उद्योगों का विकास;

(छ) कृषि का विकास और उसमें सुधार;

(ज) ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन; और

(झ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किये जायें।

धारा 61 ग्राम तालाबों का प्रबन्धन— जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबन्ध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों द्वारा

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 2021 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित

² उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित

किया जायेगा, अर्थात:-

(क) जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो वहां उसे ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित रखा जाएगा;

(ख) जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो वहां भूमि प्रबन्धक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराये पर देगी;

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "तालाब" में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है।

धारा 62 वादों और विधिक कार्यवाहियों का संचालन- (1) उपधारा (2) के उपबंधों और ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जायं, के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य, जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाये, **ग्राम पंचायत** के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्यवाहियों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिये किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं।

(2) किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिये कोई **ग्राम पंचायत** एक पक्षकार हो, पर ऐसी **ग्राम पंचायत** की ओर से समझौता या प्रत्याहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबन्धक समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता है और उप **जिलाधिकारी** का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है।

धारा 63 ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिये आवंटित किया जा सकता है- (1) उप **जिलाधिकारी** स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिये आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिह्नित कर सकता है :-

(क) धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** को सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गयी समस्त भूमि ;

(ख) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन **ग्राम पंचायत** के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि।

(2) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबन्धक समिति, उप **जिलाधिकारी** के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये आवंटित कर सकती है :-

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिह्नित कोई भूमि;

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन आबादी के लिये अर्जित कोई भूमि।

धारा 64 आबादी स्थलों का आवंटन- (1) धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि का आवंटन करने में निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जायेगा :-

(क) ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर ;

(ख) ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर ;

(ग) ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति :

परन्तु उसी श्रेणी के अन्तर्गत विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये—

(एक) “अन्य पिछड़ा वर्ग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है ;

(दो) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ‘सामान्य श्रेणी के व्यक्ति’ का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या तो कोई भवन न हो या आवास अपर्याप्त हो।

(3) इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटि द्वारा ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जो कि विहित की जायें:

परन्तु यह कि यदि आवंटि विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह-आवंटि होगी।

धारा 65 आवंटि को कब्जा प्रदान किया जाना— (1) जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी आवंटि से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो वहां उप **ज़िलाधिकारी** स्वप्रेरणा से आवंटि को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और आवंटि के आवेदन करने पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटि को दिलायेगा और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कराये जाने के पश्चात् भूमि व उसके किसी भाग को किसी विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः अधिभोग में लेता है तो वहां वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा जो दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु तीन माह से कम नहीं होगा और ऐसे जुर्माने के साथ भी दण्डित किया जाएगा जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है :

परन्तु न्यायालय दण्ड पारित करते समय **अभियुक्त को** दोषसिद्ध करते हुए यह निदेश दे सकता है कि ऐसे जुर्माने जिसे वसूल किया जाय का सम्पूर्ण या ऐसा भाग आवंटि को उपयोग और अधिभोग के लिये क्षति स्वरूप दिया जाए जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

(3) **जहां उपधारा (2)** के अधीन किसी कार्यवाही में मामले को संज्ञान लिए जाने के पश्चात् न्यायालय का किसी भी स्तर पर **शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा** द्वारा समाधान कर दिया जाता है कि :-

(क) इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में **अभियुक्त** का ऐसी भूमि पर अधिभोग है जिससे ऐसी कार्यवाही सम्बन्धित हो, और

(ख) आवंटनी ऐसी भूमि पर कब्जे के लिये हकदार हो, तो न्यायालय संक्षिप्ततः मामले के अन्तिम अवधारण को लम्बित रखते हुए ऐसी भूमि को **अभियुक्त** से खाली करा सकता है और आवंटनी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में किसी **अभियुक्त** को दोषी ठहराया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में **अभियुक्त** को दोषमुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोषमुक्त या मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये हकदार है वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन करने पर यह निदेश देगा कि उसे कब्जा प्रदान किया जाय।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध पर संक्षिप्ततः विचारण किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो ऐसे उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा।

धारा 66 आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच- (1) कलेक्टर धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटनी, तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश ¹ [धारा 210 के उपबन्धों के अध्याधीन] अन्तिम होगा।

¹ 30 प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित

धारा 67 ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति—

(1) जहां किसी **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी हुई कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई **ग्राम पंचायत** या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबन्धों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो वहां यथास्थिति भूमि प्रबन्धक समिति या अन्य प्राधिकरण या सम्बन्धित लेखपाल विहित रीति से सम्बन्धित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि **सहायक कलेक्टर** इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है तो **सहायक कलेक्टर** यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का उपयोग कर या करवा सकता है, जैसा कि आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि यथास्थिति सम्पत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिये या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के **बकाये के रूप में की जाय**।

(4) यदि **सहायक कलेक्टर** की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को खारिज कर देगा।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन **सहायक कलेक्टर** के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को **अपील कर सकता है**।

(6) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी **इस** धारा के उपबन्धों के अध्यक्षीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा (5) के अध्यक्षीन अन्तिम **होगा**।

(7) इस धारा के अधीन की गयी किसी कार्यवाही में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाय।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'भूमि' में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं।

67—क कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त—(1) यदि धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित न हो, कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, धृत किया जायेगा।

(2) जहां पर धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2000, को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण- उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवम्बर, 2000 को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायेगा।

धारा 68 गांव निधि- (1) इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी :

परन्तु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि को समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा।

(2) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली गांव निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी।

(3) गांव निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

धारा 69 समेकित गांव निधि- (1) प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्-

(क) धारा 68 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट धनराशि ;

(ख) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान ;

(ग) ऐसी अन्य धनराशि जैसी विहित किया जाए।

(2) किसी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर को वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन गांव निधि में जमा की गयी कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय विहित रूप में भुगतान करेगा जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

(3) समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये उपयोजित किया जा सकता है, अर्थात्-

(क) धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्तों, यदि कोई हों, का भुगतान;

(ख) इस संहिता के अधीन ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उसके विरुद्धवादों के संचालन और अभियोजन, आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उपगत व्ययों का भुगतान;

¹[(ग)] सामान्य उपयोगिता की भूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान; और;

(घ) किसी ऐसी अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे।

(4) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान समेकित गांव निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जायगा।

(5) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीति से स्थापित की जायेगी।

धारा 70 राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निदेश— (1) राज्य सरकार और उसके नियंत्रण के अध्यक्षीन कलेक्टर, भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकता है जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

(2) भूमि प्रबन्धक समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे तत्काल उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित करें और निदेशों का अनुपालन करें।

धारा 71 वैकल्पिक व्यवस्था— यदि किसी समय कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) भूमि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अपने लिए अधिरोपित या समनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के लिये युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना विफल हो गयी है; या

(ख) परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गयी हैं कि भूमि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के योग्य नहीं है या उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है; या

(ग) यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक हो;

तो वह यह निदेश दे सकता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन ऐसे भूमि प्रबन्धक समिति के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और निष्पादन ऐसे किसी अधिकारी जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निर्बन्धनों के अध्यक्षीन किया जायेगा जिन्हें कि विनिर्दिष्ट किया जाय:

परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत किसी निदेश को जारी करने के पहले भूमि प्रबन्धक समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

धारा 72 स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता— (1) राज्य सरकार ऐसी निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकती है:—

¹ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसके लखनऊ खण्डपीठ प्रत्येक में एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व);

(ख) इलाहाबाद और लखनऊ प्रत्येक राजस्व परिषद् के लिए एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व);

¹[(ग)] मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक या उससे अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) “जो परिषद् के सर्किट न्यायालयों (जहां कहीं मण्डल स्तर पर सर्किट न्यायालय विद्यमान हों) से सम्बन्धित कार्य का देखभाल भी करेंगे” और;

(घ) जिला मुख्यालय के लिये एक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और एक या एक से अधिक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ।

(2) कलेक्टर ऐसी निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, प्रत्येक तहसील के लिए दो से अनधिक पैनल अधिवक्ताओं (राजस्व) की नियुक्ति कर सकता है।

(3) धारा 62 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी लिखित प्राधिकार के बिना किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकरण, जिसके लिए वह इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, में अभिवचन या कार्यवाही कर सकते हैं।

(4) कोई ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति इस धारा के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं रखेगी।

(5) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी इस धारा के अधीन नियुक्त किसी विधि व्यवसायी द्वारा दाखिल किसी वकालतनामा या हाजिरी के ज्ञापन पर कोई न्यायालय फीस संदेय नहीं होगी।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध ऐसे किसी न्यायालय, जिसमें वह नियुक्त किया गया हो, के समक्ष अभिवचन या कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं होंगे।

(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता या इसके द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उनके विरुद्ध दाखिल प्रकरणों की निगरानी और नियुक्त नामिका अधिवक्ताओं के निष्पादन आधारित वार्षिक मूल्यांकन तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी विधि अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी, निदेश जारी कर सकती है।

धारा 73 ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व— (1) इस संहिता के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों में **ग्राम पंचायत** का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा—

(क) सिविल न्यायालय में या कलेक्टर के समक्ष कार्यवाहियों में, **जिला** सरकारी अधिवक्ता (राजस्व);

(ख) आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में मण्डलीय सरकारी अधिवक्ता (राजस्व) और;

(ग) राजस्व परिषद् या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में, यथास्थिति, लखनऊ या इलाहाबाद के

¹ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित

अलग-अलग स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)।

(2) इस अध्याय में कोई बात राज्य सरकार या कलेक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही के संचालन के लिये जिसमें **ग्राम पंचायत** पक्षकार हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित की जाय, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने से प्रवारित नहीं करेगी।

अध्याय— नौ खाता

धारा 74 खातेदारी का वर्ग— निम्नलिखित वर्ग के खातेदार होंगे, अर्थात्—

- (क) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;
- (ख) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;
- (ग) असामी; और
- (घ) सरकारी पट्टेदार।

धारा 75 संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर— निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें।

धारा 76 असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर— (1) निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किए गए हों या उन पर आरोपित किए गए हों, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किया गया हो;
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952

के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उस दिनांक को या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो;

(घघ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के दिनांक से ठीक पहले, धारा 77 के अन्तर्गत न आने वाली भूमि का कब्जेदार असामी था और 1407 फसली के वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) की श्रेणी-3 में इस रूप में दर्ज था :

परन्तु यह कि जहां किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधारी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा;

(ड) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और **पाँच वर्ष** या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।

(4) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति **उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन** संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह **ग्राम पंचायत** या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम **जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960** में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जाएगा।

धारा 77 कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे— (1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा :—

(क) खलिहान, खाद के गड्ढों, चरागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान के लिये प्रयुक्त भूमि;

(ख) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंचाई या अन्य उपज उगाने के लिये किया जाता हो;

(ग) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा-कदा खेती के लिये किया जाता हो;

(घ) स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भू-भाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ड) भूमि जिसे राज्य सरकार ने टाँगिया बागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो

और ऐसा अधिसूचित किया हो;

(च) बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या **किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी** को सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी गयी हो;

(छ) सलेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या **किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी** को सौंपी गयी या सौंपी समझी गयी हो;

(ज) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिये अर्जित या धृत हो;

(झ) भूमि जिस पर पोखर, तालाब, या झील हो, या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो; और

(ञ) कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ज) में पद “सार्वजनिक प्रयोजन” में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(एक) भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिये पृथग्रक्षित हो;

(दो) भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो;

(तीन) भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिये अर्जित और धृत हो;

(चार) भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29—ग में निर्दिष्ट हो, या

(पांच) भूमि जो किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये आरक्षित हो।

¹[(2)] इस संहिता के अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए कय, अर्जित, या पुनर्गृहीत किये गये भू-खण्ड या भू-खण्डों से घिरा हैं अथवा उसके या उनके मध्य में हैं, अथवा किनारे हैं एवं लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो पूर्वोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक कोई अन्य भूमि उसी प्रयोजन के लिए यथास्थिति उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय प्राधिकरण, में आरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अधीन, उसके विनियम की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी :

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी आपवादिक प्रकरणों में ही ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जैसा कि विहित की जाये। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन किये जाने के कारण को लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनियम की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनियम किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा की उपधारा (2) में पद ‘लोक प्रयोजन’ का तात्पर्य, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, भूमि

¹ उपरो अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित

अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (यक) के अन्तर्गत परिभाषित 'लोक प्रयोजन' से है।

धारा 78 असामी- निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असामी कहा जाएगा, और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे असामी को प्रदत्त या उस पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्:-

(क) इस संहिता की धारा 76 की उपधारा (1) के खण्ड (घघ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व असामी था;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर **असामी स्वीकार किया गया हो;**

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि के भूमिधर द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया हो;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से असामी का अधिकार प्राप्त कर ले।

धारा 79 अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार- (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और किसी भी प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।

(2) असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि का उपयोग करने का अधिकार होगा।

धारा 80 ¹औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग-(1) जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथा विहित जांच करने के पश्चात या तो कोई घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। उपजिलाधिकारी आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पत्र पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उपजिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों को उल्लिखित करेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देगा;

²परन्तु यह कि यदि घोषणा करने के आवेदन के साथ विहित शुल्क संलग्न हो तथा संयुक्त जोत होने के मामले में सह भू-धृति धारकों की अनापत्ति सह भू-धृति धारक होने की स्थिति में संलग्न हो और यदि उप

¹ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित

² उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 6 द्वारा परन्तुक जोड़ा गया

जिलाधिकारी द्वारा यथा पूर्वोक्त पैतालिस दिन के भीतर घोषणा नहीं की जाती है तो घोषणा की गयी समझी जायेगी और तहसीलदार “उपजिलाधिकारी के आदेश अध्याधीन” टिप्पणी सहित राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करेगा।

यदि कोई प्रभावित पक्षकार उक्त घोषणा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति दाखिल करना चाहें, तो वह सक्षम न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकता है।

(2) जहाँ संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वहाँ ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर उपजिलाधिकारी, यथाविहित रूप में जाँच करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से पैतालीस कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है या वह आवेदन पत्र अस्वीकृत कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उपजिलाधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों का उल्लेख करना होगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देनी होगी;

¹{* * *}

परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी;

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा (2) के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि, भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा;

(3) अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा (2) के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर, उपधारा (2) के अधीन घोषणा पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण किया-कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपधारा (2) की घोषणा को उपधारा (1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किये जाने पर, उपजिलाधिकारी यथा आवश्यक जाँच करने के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृति की स्थिति में उसे ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा;

परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन घोषणा का उपधारा (1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(4) उप धारा (1) या (2) के अधीन घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह-भूमिधर द्वारा किया गया कोई आवेदन तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 2021 की धारा 3 द्वारा परन्तुक निरसित

समस्त सह भूमिधरों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। यदि कोई एक सह भूमिधर, संयुक्त हित की भूमि में से अपने अंश की घोषणा कराना चाहता है तो ऐसा आवेदन, भूमि में सह भूमिधरों के अपने-अपने अंशों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार किये जाने के पश्चात ही ग्रहण किया जायेगा;

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए आवेदन पत्र में ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे और उक्त आवेदन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए ;

(6) जहां उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन, जोत के किसी आंशिक भाग के संबंध में किया जाता है, वहां उप जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे आंशिक भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजनों के लिए कर सकता है;

(7) इस धारा के अधीन कोई घोषणा, उपजिलाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो;

(8) यदि भूमि या उसका आंशिक भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जा रही हो, किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा आज्ञापक होगी;

(9) राज्य सरकार इस धारा के अधीन घोषणा के लिए शुल्क-मान नियत कर सकती है और भिन्न-भिन्न शुल्क भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए नियत किये जा सकते हैं;

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए करता है तो इस धारा के अधीन घोषणा के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।

धारा 81 घोषणा का परिणाम— जहां धारा 80 ¹[की उपधारा (1)] के अधीन घोषणा की जाय वहां ऐसे जोत या उससे सम्बन्धित भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबन्धन संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जायेंगे;

(ख) अध्याय ग्यारह में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी **कृषि वर्ष** के प्रारम्भ के **दिनांक** से ऐसी भूमि भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त होगी;

(ग) भूमिधर, न्यागमन के विषय में उस वैयक्तिक विधि से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन है।

धारा 82 घोषणा का रद्द किया जाना— (1) जब कभी किसी ऐसी जोत या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में धारा 80 के अधीन घोषणा की गयी है, **कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन** के लिये उपयोग किया जाता है तब उप **जिलाधिकारी** स्व-प्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी विहित की जाए, ऐसी घोषणा को रद्द कर सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा रद्द की जाए वहां जोत या उससे सम्बन्धित भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किए जायेंगे, अर्थात्—

(क) जोत या उसका भाग अन्तरण और न्यागमन के विषय में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबन्धनों के अधीन हो जाएगा;

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित

(ख) जोत या उसके भाग का उस कृषि वर्ष के जिसमें घोषणा को रद्द करने का आदेश दिया जाए, प्रारम्भ के दिनांक से भू-राजस्व का भुगतान किया जाएगा:

परन्तु जब तक इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जोत या भाग का कोई भू-राजस्व **पुनर्निर्धारित** न किया जाए तब तक धारा 80 के अधीन घोषणा किए जाने के पूर्व ऐसी जोत या उसके भाग के सम्बन्ध में देय या देय समझे गए भू-राजस्व को ऐसी जोत या भाग के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व समझा जाएगा;

(ग) जहां भूमि किसी संविदा या पट्टा के आधार पर उसके भूमिधर से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो और ऐसी संविदा या पट्टा के निबन्धन **इस संहिता के उपबन्धों** से असंगत हो, वहां ऐसी संविदा या पट्टा, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा और कब्जाधारी व्यक्ति को भूमिधर के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा:

परन्तु घोषणा के रद्द किए जाने के दिनांक को विद्यमान भूमि-बन्धक को ऐसी भूमि पर **देय एवं प्रतिभूत** धनराशि के लिये दृष्टि बन्धक द्वारा प्रतिस्थापित समझा जाएगा जिसकी ब्याज की दर ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

धारा 83 घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना— धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जायेगा और धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अन्तरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामान्तरण आदेश पारित किया जायेगा।

धारा 84 असामी का अपनी जोत पर अनन्य कब्जा का अधिकार— किसी असामी का, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपनी जोत में समाविष्ट समस्त भूमि पर अनन्य कब्जा और ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए करने का अधिकार होगा:

परन्तु कोई असामी किसी ऐसी भूमि का, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा **टौंगिया बागान** के लिए आशयित या पृथक् रक्षित घोषित है, कृषि उपज की खेती और उत्पादन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

धारा 85 इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम— (1) जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर धारा 79 के उपबन्धों के उल्लंघन में अपनी जोत या उसके भाग का उपयोग करता है, वहां वह इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी **ग्राम पंचायत के वाद पर** ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा।

(2) जहां कोई असामी धारा 84 द्वारा अननुज्ञात किसी प्रयोजन के लिए अपनी जोत या उसके भाग का उपभोग करता है, वहां वह **इस संहिता के किसी** अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि धारक के **वाद पर** ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा।

(3) इस धारा के अधीन बेदखली के लिए पारित डिक्री में ऐसे **कार्य की लागत** जो भूमि को अपने मूल रूप में बहाल करने के लिए अपेक्षित हो के बराबर **क्षति** के भुगतान का निदेश दिया जा सकता है।

धारा 86 असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना— जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर या किसी असामी को धारा 85 के अनुसार किसी जोत या उसके भाग से बेदखल

कर दिया गया हो वहां ऐसे भूमिधर या असामी के ऐसी जोत या उसके भाग में समस्त अधिकार और हित उनमें किये गये किन्हीं सुधारों सहित समाप्त हो जायेंगे।

धारा 87 सुधार जिसे न हटाया जाय- (1) भूमिधर के लिए उस भूमि पर जिसका वह भूमिधर है ऐसी भूमि पर खेती के लिए या उसका अधिक सुगम उपयोग करने के लिए उस भूमि पर कोई सुधार करना विधिपूर्ण होगा।
(2) जहां किसी खातेदार का किसी जोत या उसके भाग में अधिकार, हक या हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार समाप्त हो जाय, वहां वह उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी सुधार कार्य को हटाने या प्रयोग में लाने का हकदार न होगा।

अन्तरण

भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता- (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय होगा।

धारा 88

(2) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धित दशा के सिवाय किसी जोत में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी का हित संक्रमणीय नहीं होगा।

धारा 89 भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध- (1) किसी भूमिधर को, किसी जोत या उसके भाग का ऐसा अन्तरण का अधिकार न होगा जहां ऐसा अन्तरण उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन हो या उल्लंघन होने की संभावना हो।

(2) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से क्रय या दान के द्वारा किसी जोत या उसके भाग को अर्जित करने का अधिकार न होगा, जहां ऐसे अर्जन के परिणाम स्वरूप अंतरिती भूमि का हकदार बन जाता है जो कि ऐसे अंतरिती द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को मिलाकर और जहां पर ऐसा अंतरिती प्राकृतिक व्यक्ति है, उसके परिवार द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को भी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक हो जाती है।

¹[स्पष्टीकरण]- ²(इस उपधारा में पद "किसी व्यक्ति" का तात्पर्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति से है।)

³[(3)] राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किया गया या किये जाने हेतु प्रस्तावित किसी अर्जन अथवा क्रय को अनुमोदित कर सकता है, यदि ऐसा अर्जन अथवा क्रय, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्ण संस्था के पक्ष में हो, और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन अथवा क्रय लोक हित में होगा तथा उससे आर्थिक गतिविधियां (कृषि से इतर) उत्पन्न किया जाना तथा रोजगार उपबन्धित किया जाना सम्भावित हो। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्ध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे;

¹ 30 प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 7 द्वारा स्पष्टीकरण जोड़ा गया

² 30 प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 2021 की धारा 4 द्वारा स्पष्टीकरण निकाल दिया गया

³ 30 प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित

¹{ परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्ण संस्था द्वारा इस उपधारा या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है।

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया हैं वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।}

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्ण संस्था द्वारा उपधारा (2) के अधीन विहित सीमाओं से अधिक भूमि अर्जन अथवा क्रय के लिए उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा निम्नलिखित द्वारा विहित शर्तों पर एवं विहित रीति से प्रदान की जायेगी:—

(एक) 20.2344 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित कलेक्टर;

(दो) 20.2344 हेक्टेयर से अधिक और 40.4688 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त;

(तीन) 40.4688 हेक्टेयर से अधिक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु राज्य सरकार;

परन्तु यह कि यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को, तदन्विमत कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अधिकतम अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

धारा 90 भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भूमि का अर्जन न किया जाना— इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा या किसी अन्य रीति से जिसमें उसके पक्ष में कब्जे का अन्तरण सम्मिलित है, राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भूमि को अर्जित करने का अधिकार न होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ पद “भारतीय नागरिक” में कोई कम्पनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हों या नहीं और जो पूर्णतया या मौलिक रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, सम्मिलित होंगी।

¹ 30 प्र0 अधिनियम संख्या 4 सन् 2021 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित

धारा 91 बन्धक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध— किसी भूमिधर को किसी जोत या उसके किसी भाग को बंधक रखने का अधिकार न होगा जहां बन्धक सम्पत्ति का कब्जा अग्रिम दी गयी या अग्रिम दी जाने वाली या उस पर ब्याज के लिये बंधक की धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक गृहीता को अंतरित किया गया हो या अंतरित किये जाने हेतु करार किया गया हो।

धारा 92 असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना— इस संहिता के उपबन्धों के अधीन, किसी जोत या उसके किसी भाग में असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर का हित,—

(क) राज्य सरकार या किसी बैंक या किसी सहकारी समिति या यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, या **ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन** किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये या लिये जाने वाले ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा के बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या अध्याय बारह के अधीन भू-राजस्व के संग्रह की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता है।

धारा 93 धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अन्तरण विक्रय माना जायेगा— यदि कोई भूमिधर ऋण के रूप में या ऐसे ऋण पर ब्याज के बदले में अग्रिम ली गयी किसी धनराशि को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये किसी जोत या उसके किसी भाग का कब्जा अंतरित करता है तो किसी विधि या संविदा या अन्तरण के अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी यह संव्यवहार, सदैव और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, अंतरिती को विक्रय माना जायेगा और ऐसे प्रत्येक विक्रय पर धारा 89 के उपबन्ध लागू होंगे।

धारा 94 ¹[किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा]— (1) कोई भूमिधर, किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति, या कृषि हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु कियी अन्य विधिमान्य इकाई को अपनी जोत या उसके किसी आंशिक भाग को पट्टे पर दे सकता है। ऐसे पट्टे को किसी भूमिधर के निजी पट्टा के रूप में जाना जायेगा।

(2) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का तात्पर्य पट्टाकर्ता, जो कोई भूमिधर हो सकता है, व पट्टेदार, जो कृषि क्रियाकलाप का दायित्व ग्रहण करना या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता हो, के मध्य पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्तों पर करार आधारित संविदा से है जिसके द्वारा पट्टा करार के अनुसार पट्टेदार को संदेय नकद या वस्तु या उत्पाद अंश के रूप में किसी प्रतिफल के सापेक्ष कृषि प्रयोजनों हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि या जोत या उसके किसी आंशिक भाग के उपयोग के लिए पट्टाकर्ता पट्टेदार को अनुज्ञा प्रदान करता है।

(3) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की अधिकतम अवधि एक बार में पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह कि, प्रथम पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात्, पट्टा अवधि की समय सीमा में पट्टाकर्ता व पट्टेदार की पारस्परिक सहमति से अग्रतर वृद्धि की जा सकती है;

¹ 30 प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित

परन्तु यह और कि, कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ, अधिकतम अवधि तीस वर्ष तक हो सकती है।

(4) **किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की शर्तें**— निजी पट्टे की निबन्धन व शर्तें, पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक करारकृत होंगी। पट्टे की सामान्य शर्तें यथा विहित रीति से होंगी।

धारा 95 ¹[पट्टा किस प्रकार किया जायेगा, उसका पर्यवसान तथा तत्सम्बन्ध में उठने वाला कोई विवाद]— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित या रजिस्ट्रीकृत हो सकता है—

(1) किसी एकल फसल हेतु अथवा एक वर्ष तक की अवधि हेतु किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित में हो सकता है। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा करार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जायेगा।

(2) अधिकार अभिलेख की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में जाने वाला किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा को अभिलिखित किया जाना— लिखित या रजिस्ट्रीकृत निजी पट्टा करार की स्थिति में, करार या विलेख की कोई प्रति, सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का विवरण [पट्टाकर्ता व पट्टेदार का नाम और अन्य विवरण; करार का दिनांक पट्टा अवधि; प्रस्तावित भू-उपयोग और वार्षिक पट्टा किराया] अधिकार अभिलेख (खतौनी) की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में अभिलिखित करने हेतु आदेश पारित करेगा;

(3) **किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा से किसी प्रकार का अभिधारण अधिकार सृजित नहीं होगा—**

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या किसी राजस्व अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत या मौखिक, किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार से, पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार के पक्ष में संरक्षित अभिधारण या अधिभोग अधिकार या इस अधिनियम या नियमावली में अन्तर्विष्ट अधिकारों से भिन्न बेदखली या पट्टा पर्यवसान के विरुद्ध कोई अन्य अधिकार सहित कोई अधिकार या हित सृजित नहीं होंगे। पट्टेदार द्वारा निजी पट्टा करार का उपयोग, किसी विधि न्यायालय में पट्टाकृत भूमि पर कोई स्थायी अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं किया जायेगा;

(4) **भूमि का पुनः प्राप्त किया जाना**— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या निजी पट्टा के पर्यवसान के पश्चात किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा लिखत—शून्य हो जायेगा तथा यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो पट्टाकृत भूमि स्वतः पट्टाकर्ता को प्रत्यावर्तित हो जायेगी और पट्टेदार समस्त विल्लंगमों से मुक्त भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा तथा वह इस प्रकार निजी पट्टा पर दी गयी भूमि का कोई अधिकार, हक या हित रखने से प्रविरत हो जायेगा;

स्पष्टीकरण— धारा 94 के अधीन किये गये निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले किसी न्यायालय के सम्मुख लम्बित किसी विवाद पर ध्यान दिये बिना, पट्टाकर्ता को निजी पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टाकृत भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राप्त करने का हक होगा तथा पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(5) **किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का प्रभाव**— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे के सम्बन्ध में

¹ 30 प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित

संहिता में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा;

(6) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे का पर्यवसान—

(क) जब तक पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक सहमति से बढ़ाया न जाए, करार में उल्लिखित निजी पट्टा पट्टा अवधि के समाप्त होने पर निजी पट्टा पट्टा करार का पर्यवसान हो जायेगा;

(ख) पट्टेदार द्वारा नियत दिनांक तक प्रतिफल धनराशि अथवा वार्षिक निजी पट्टा, पट्टा किराया का भुगतान न किये जाने की स्थिति में पट्टा अथवा यदि उसके द्वारा किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की किसी निबन्धन एवं शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात्, पट्टा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किया जा सकता है;

(ग) यदि पट्टाकर्ता द्वारा समय से पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है, तो पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार द्वारा सृजित या स्थापित संरचनाओं, मशीनरी आदि को हटाने का हक होगा। पट्टेदार को पट्टाकर्ता से निजी पट्टा करार में यथा करारकृत और निर्धारित क्षतियां और प्रतिकर वसूल करने का भी हक होगा;

(घ) यदि पट्टेदार समय से पूर्व निजी पट्टा करार का पर्यवसान करना चाहता है या किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि के दौरान भूमि अभ्यर्पित कर देता है तो, उसे कम से कम छः माह की नोटिस पट्टाकर्ता को देनी होगी तथा वह पट्टाकर्ता को किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में यथा करारकृत तथा निर्धारित अन्य प्रतिकर के अतिरिक्त वर्ष के शेष भाग के वार्षिक किराये का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा या जैसा कि विहित किया जाय।

(ङ) यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या निजी पट्टा करार के पर्यवसान के पश्चात् पट्टेदार, पट्टाकर्ता को पट्टाकृत भूमि का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने में विफल रहता है तो पट्टेदार अप्राधिकृत अध्यासी के रूप में समझा जाएगा तथा वह पट्टाकृत भूमि से बेदखल किये जाने योग्य होगा। पट्टेदार पट्टाकर्ता को अप्राधिकृत अध्यासन अवधि के लिए ऐसे शास्तिक किराया या क्षतियों का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा, जैसा कि ऐसी बेदखली की लागत के अतिरिक्त किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में उपबन्धित किया गया हो;

(च) पट्टाकर्ता व पट्टेदार पारस्परिक करारकृत निबन्धनों पर किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का किसी भी समय में पर्यवसानकृत कर सकते हैं;

(7) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले विवाद—

(क) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार या उसके किन्हीं निबन्धनों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में, पट्टाकर्ता व पट्टेदार स्वयं के मध्य या यदि पारस्परिक करार होता है तो किसी तृतीय पक्ष के मध्यस्थ या ग्राम पंचायत या ग्राम राजस्व समिति द्वारा मध्यस्थता का प्रयोग करते हुए विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान व निस्तारण करने के सभी प्रयास करेंगे;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित तौर-तरीके के माध्यम से विवाद का निस्तारण नहीं हो

- पाता है तो, दोनों में से कोई पक्षकार उपजिलाधिकारी के समक्ष याचिका दायर कर सकेगा;
- (ग) उपजिलाधिकारी, वाद संस्थित किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए विवाद का न्याय निर्णयन करेगा।
- (घ) किसी उपजिलाधिकारी द्वारा पारित किसी अन्तरिम आदेश से भिन्न किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आयुक्त के समक्ष दायर की जायेगी। आयुक्त का विनिश्चय धारा 210 के उपबन्धों के अध्यक्षीन अंतिम होगा।

धारा 96 ¹[* * *]

धारा 97 ²[* * *]

धारा 98 अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध— (1) इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को, कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा;

परन्तु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा तभी दी जा सकेगी जब—

- (क) अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अथवा धारा 110 के खण्ड (क), जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो ; या
- (ख) अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस ज़िले में अन्तरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, उससे भिन्न किसी ज़िले अथवा अन्य राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारबार के निमित्त बस गया है या सामान्य तौर पर रह रहा है ; या
- (ग) कलेक्टर का यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अन्तरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जैसी कि विहित की जाय।

धारा 99 अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध— इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को **विक्रय, दान, बन्धक या पट्टा** के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अन्तरण करने का अधिकार न होगा।

धारा 100 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा बंधक रखना— इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भूमिधर या कोई असामी राज्य सरकार से या धारा 92 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी संस्था से लिया गया या लिए जाने वाले किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जे के बन्धक द्वारा किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का अन्तरण कर सकता है।

धारा 101 विनिमय— (1) संहिता की धारा 77 में किसी बात के होते हुये भी, कोई भूमिधर उप जिलाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का विनिमय :—

- (क) अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से, या
- (ख) धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या न्यस्त समझी गयी

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 13 द्वारा निरसित

² उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 13 द्वारा निरसित

भूमि से कर सकता है।

(2) उप जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इन्कार कर देगा, अर्थात् :-

(क) यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबन्दी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है; या

(ख) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि का विहित रीति से अवधारित मूल्यांकनों के मध्य का अन्तर निम्नतर मूल्यांकन के दस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

¹परन्तु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का मूल्यांकन सार्वजनिक मूल्य से दस प्रतिशत से अधिक हो।

(ग) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अन्तर निम्नतर क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

²परन्तु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का क्षेत्र, सार्वजनिक भूमि के क्षेत्र से पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो।

(घ) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं; या

(ङ) यदि भूमि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लगे हुए गांव में स्थित न हो:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में उल्लिखित भूमि से विनिमय की अनुज्ञा विहित शर्तों पर और विहित रीति से, दे सकती है।

(3) इस धारा में दी गयी कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती हुयी नहीं समझी जाएगी सिवाय वहां जहां ऐसा विनिमय दो या अधिक सह हिस्सेदारों के बीच हो।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) में दी गयी कोई बात इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी।

धारा 102 विनिमय के परिणाम- जहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिमय किया जाता है-

(क) तो विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार होंगे जैसा कि दी गयी भूमि में उनके पास थे,

(ख) उप जिलाधिकारी, तदनुसार अधिकार अभिलेख (खतौनी) में संशोधन किए जाने का आदेश देगा, और

(ग) इस प्रकार विनिमय की गयी भूमि के लिए निर्धारित देय या देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि एतद्वारा प्रभावित नहीं होगी।

धारा 103 ³[* * *]

धारा 104 ¹[इस संहिता के उल्लंघन में अंतरण शून्य होगा]- इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा किसी जोत अथवा उसके आंशिक भाग का प्रत्येक पट्टा अथवा हित संक्रमण

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 8 द्वारा परन्तुक जोड़ा गया

² उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 8 द्वारा परन्तुक जोड़ा गया।

³ उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 14 द्वारा निरसित

शून्य होगा।

धारा 105 संहिता के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम— (1) जहां किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग में हित का अंतरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाय वहां ऐसे अन्तरण के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात्—

(क) ऐसे अंतरण की विषय-वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी;

(ख) उस जोत या उसके भाग में विद्यमान वृक्ष, फसल, कुएं और अन्य सुधार सभी भारों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे;

(ग) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों में अंतरक और अंतरिती का हित समाप्त हो जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अंतरक के हित की समाप्ति से किसी असामी का उसके अधीन धारण करने वाला हित समाप्त हो जायेगा।

²[(ड)] इस धारा के उपबन्ध, धारा 94 के अधीन किये गये किसी पट्टे पर लागू नहीं होंगे।

(2) जहां कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी है कलेक्टर के लिये ऐसी भूमि और अन्य सम्पत्ति का कब्जा लेना और ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन हो, को उससे बेदखल करने का निदेश देना विधिसम्मत होगा और इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो और धारा 59 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी सम्पत्ति पर लागू होंगे।

धारा 106 इस संहिता के उल्लंघन में असामी द्वारा किए गए अन्तरण का परिणाम— जहां किसी जोत या उसके भाग में किसी असामी द्वारा किया गया हित का कोई अन्तरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाय वहां ऐसे असामी को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, **ग्राम पंचायत** या अन्य भूमि धारक के वाद के आधार पर बेदखल कर दिया जायेगा।

न्यागमन

धारा 107 भूमिधर या असामी द्वारा वसीयत—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत में अपने हित का इच्छा-पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है।

(2) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर के सम्बन्ध में धारा 98 और 99 के उपबंध वसीयत किए जाने के निमित्त उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे जीवनकाल में अन्तरण के लिए लागू होते हैं।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक इच्छा-पत्र किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी लिखित रूप में और दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(4) असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर या असामी को किसी जोत में अपने हित को इच्छा पत्र द्वारा

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित

² उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 16 द्वारा जोड़ा गया

वसीयत करने का अधिकार न होगा।

(5) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में की गयी कोई वसीयत शून्य होगी।

धारा 108 पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम— (1) धारा 107 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ¹[थर्ड जेण्डर], पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी जोत में उसके हित का न्यागमन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को नातेदार होने पर नीचे दिए गए सिद्धान्त के अनुसार होगा:—

- (एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे;
- (दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी से उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात् खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे और खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ग) में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे, आदि;
- (तीन) भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार या किसी पूर्वमृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, के यदि एक से अधिक विधवायें हो तो ऐसी समस्त विधवायें एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी;
- (चार) विधवा या विधवा माता या पिता की विधवा माता या किसी पूर्वमृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, की विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो।

²[(2)] उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्वधीन पुरुष, थर्ड जेण्डर भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित नातेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्—

- (क) विधवा, थर्ड जेण्डर पति या पत्नी, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान और पुत्र—पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार:
परन्तु यह कि विधवा, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान, और पुत्र, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्वमृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;
- (ख) माता और पिता ;
- (ग) विवाहित पुत्री ;
- (घ) भाई और अविवाहित बहिन, थर्ड जेण्डर सहोदर भाई या बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री थर्ड जेण्डर संतान हो और पूर्व मृत भाई का पुत्र, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो।
- (ङ) पुत्र की पुत्री और थर्ड जेण्डर संतान;
- (च) पिता की माता और पिता के पिता;

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा अन्तःस्थापित

² उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रतिस्थापित

- (छ) पुत्री का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;
- (ज) विवाहित बहिन;
- (झ) सौतेली बहिन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;
- (ञ) बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;
- (ट) सौतेली बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;
- (ठ) भाई के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;
- (ड) पिता के पिता का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;
- (ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;
- (ण) माता की माता का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री।

धारा 109 स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार— जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष, ¹[थर्ड जेण्डर] भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पश्चात् मृत्यु हो जाय, वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले वहाँ जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपबन्धों के अध्याधीन यथास्थिति अन्तिम पुरुष, [थर्ड जेण्डर] भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यागत होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा में पद “निकटतम जीवित वारिस” का तात्पर्य धारा 108 के अनुसार अभिनिश्चित वारिस से है।

परन्तु यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री, जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित हैं, की मृत्यु हो जाती है तो जोत में उसका हित धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यागत होगा।

धारा 110 ²स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भू-धारक का उत्तराधिकार— जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहाँ किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित, धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अध्याधीन, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा:—

- (क) पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, और अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, और अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में;
परन्तु यह कि प्रथमतः उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा,
परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा, जिसने पुनर्विवाह कर लिया है, अपवर्जित हो जायेगी;
- (ख) पति या विवाहित थर्ड जेण्डर पति या पत्नी ;
- (ग) विवाहित पुत्री;

¹ 30 प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 10 द्वारा धारा 109 में शब्द ‘पुरुष’ जहाँ कहीं आया है, के पश्चात् शब्द ‘थर्ड जेण्डर’ अन्तःस्थापित

² 30 प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित

(घ) पुत्री का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ङ) पिता;

(च) विधवा माता;

(छ) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो या थर्ड जेण्डर संतान सहोदर भाई या बहन जो उसी मृत पिता की संतान हो, और भाई का पुत्र, थर्ड जेण्डर **संतान** और अविवाहित पुत्री प्रतिशाखा अनुसार;

(ज) अविवाहित बहिन;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री।

धारा 111 धार्मिक विन्यासों आदि के प्रति व्यावृत्तियां— इस अध्याय में दी गयी किसी बात का अर्थ किसी हिन्दू देवस्थान, मठ, या **देवोत्तर सम्पत्ति** या किसी मुस्लिम वक्फ, जिसमें कोई जोत भी शामिल है, के प्रबन्धन के न्यागमन पर लागू नहीं समझा जाएगा और जो **ऐसी वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होती हों।**

धारा 112 उत्तरजीविता द्वारा सह-खातेदारों के हित का संक्रमण— (1) जहाँ दो या उससे अधिक सह-विधवायें किसी पुरुष खातेदार का हित इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् उत्तराधिकार में **प्राप्त करें** और उनमें से कोई एक, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् धारा 108 के अनुसार उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मर जाए या पुनर्विवाह कर ले, वहाँ ऐसी सह-विधवा का हित उत्तरजीविता द्वारा उत्तरजीवी विधवा को और जहाँ दो या अधिक ऐसी उत्तरजीवी सह-विधवायें हों, वहाँ उत्तरजीवी **सह-विधवाओं को** समान अंश में, संक्रमित हो जायेगा।

(2) जहाँ कोई भूमि दो या अधिक सह-खातेदारों द्वारा धृत हो और इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात् उसमें से किसी एक की धारा 108 से 110 तक के अधीन उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मृत्यु हो जाए, वहाँ ऐसे सह-खातेदार का हित, उत्तरजीवी सह-खातेदारों को समान अंशों में संक्रमित हो जायेगा।

धारा 113 भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल से भिन्न व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं करेंगे— इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, से भिन्न कोई व्यक्ति न तो इच्छा-पत्र द्वारा और न विरासत द्वारा किसी भूमि या उसमें किसी हित के अर्जन का हकदार होगा।

धारा 114 न्यागमन से सम्बन्धित सामान्य शर्तें— इस अध्याय के अधीन किसी जोत में हित का न्यागमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(क) यदि किसी भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई बच्चा गर्भ में था जो उसके बाद जीवित पैदा हुआ हो, तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो यह ऐसे भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पहले पैदा हुआ या हुई हो और ऐसे मामले में उत्तराधिकार ऐसे भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के दिनांक से निहित समझा जायेगा;

(ख) जहाँ दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई हो जिससे यह निश्चित न हो **पाये** कि उनमें से किस की मृत्यु हुई है और यदि मृत्यु हुई हो तो कौन दूसरे के बाद जीवित बचा है, तब किसी जोत में

हित के न्यायगमन के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए, छोटा बड़े के बाद जीवित बचा है ;

(ग) कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की हत्या कर देता है या ऐसी हत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह किसी जोत में मृतक के हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा ;

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (ग) के अधीन किसी भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के जोत में हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाय, तो ऐसे हित का इस प्रकार न्यायगमन हो जायेगा मानों अयोग्य व्यक्ति की मृत्यु ऐसे भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पूर्व हुई हो।

स्पष्टीकरण- इस धारा में पद "हत्या" का तात्पर्य किसी ऐसे अपराध से है जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302, धारा 304, धारा 304-ख, धारा 305 या धारा 306 के अधीन दण्डनीय है।

धारा 115 राजगामी सम्पत्ति- (1) जहाँ किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाए वहा उप जिलाधिकारी ऐसे भूमिधर या असामी द्वारा धृत भूमि का कब्जा लेगा और उसे विहित रीति से किसी एक समय में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक पट्टे की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

(3) यदि भूमि पर उप जिलाधिकारी द्वारा कब्जा लेने के तीन वर्ष के भीतर, कोई दावेदार भूमि को उसे वापस दिलाने के लिए आवेदन करे, तो उप जिलाधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसे दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन अपना दावा अस्वीकृत होने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक के एक वर्ष के भीतर, अपने अधिकारों की घोषणा के लिए धारा 144 के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उप जिलाधिकारी उपधारा (1) और (2) के अनुसार भूमि को पट्टे पर तब तक देता रहेगा जब तक कि उपधारा (4) में निर्दिष्ट वाद का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(6) यदि उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो, या यदि ऐसे दावेदार का जिसका दावा उपधारा (3) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया हो, उपधारा (4) के अनुसार वाद प्रस्तुत न करे या यदि ऐसा वाद प्रस्तुत करे और वह अन्तिम रूप से खारिज हो तो निम्नलिखित दिनांक से धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में ऐसी भूमि निहित हुयी समझी जायेगी, अर्थात् :-

(क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार उपस्थित न हो; या

(ख) उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार घोषणा का वाद दाखिल नहीं करता है; या

(ग) ऐसे अन्तिम खारिजा के दिनांक से जहां उपधारा (4) के अधीन दावेदार द्वारा दाखिल किया गया वाद अन्ततः खारिज कर दिया गया है।

(7) जहां कोई दावेदार, उपधारा (3) के अधीन किसी दावे में या उपधारा (4) के अधीन किसी वाद में सफल होता है, वहां वह तत्समय प्रदत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि पर अध्यासन और उसके सम्बन्ध में देय भू-राजस्व की समस्त बकाया उसके प्रबन्ध का व्यय काटने के पश्चात् पट्टेदार से वसूल किए गये लगान पाने का हकदार होगा।

विभाजन

धारा 116 जोत के विभाजन के लिये वाद— (1) भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह-अंशधारी है, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है, वहां पर उपरोक्त वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीति से विभाजन और समायोजन किया जायेगा।

(3) जहाँ ग्राम पंचायत से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहाँ एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए सम्बन्धित **ग्राम पंचायत** को पक्षकार बनाया जायेगा।

धारा 117 जोत के विभाजन के लिये न्यायालय का कर्तव्य— (1) धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक कलेक्टर का न्यायालय—

(क) ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विहित की जाय;

(ख) प्रत्येक ऐसे विभाजन के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व को प्रभाजित करेगा।

(2) धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से, अन्तिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू-राजस्व के सम्बन्ध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समर्पण और परित्याग

धारा 118 भूमिधर द्वारा समर्पण— (1) भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण, तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहे ऐसी जोत पट्टे पर दी गयी हो या नहीं।

(2) जहाँ किसी जोत का केवल हिस्सा (अंश) समर्पित किया गया हो वहाँ तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व को प्रभाजित करेगा।

धारा 119 असाही द्वारा समर्पण— असाही किसी जोत में (किन्तु उसके किसी अंश मात्र में नहीं) अपने हित का समर्पण भूमिधारक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित नोटिस देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है।

धारा 120 समर्पण का प्रभाव— (1) किसी भूमिधर या असामी के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने अपने द्वारा धृत भूमि का समर्पण उस दिनांक से कर दिया है जब धारा 118 या धारा 119 के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया हो।

(2) जहाँ कोई भूमि—

(क) किसी असामी द्वारा समर्पित कर दी जाए, वहाँ ऐसी भूमि में उसका अधिकार, हक या हित ऐसे समर्पण के दिनांक से समाप्त समझा जाएगा;

(ख) किसी भूमिधर द्वारा समर्पित कर दी जाय, वहाँ ऐसे जोत में या उसके भाग में ऐसे भूमिधर का और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित उक्त दिनांक से समाप्त समझा जायेगा।

धारा 121 समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व— धारा 118 से 120 के उपबन्धों के होते हुए भी, भूमिधर या असामी समर्पण के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के सम्बन्ध में जोत का, यथास्थिति, भू-राजस्व या लगान का देनदार बना रहेगा, जब तक कि समर्पण का नोटिस अप्रैल की प्रथम दिनांक के पूर्व न दे दिया गया हो।

धारा 122 भूमिधर द्वारा परित्याग— (1) यदि कोई भूमिधर लगातार तीन कृषि वर्ष की अवधि तक भू-राजस्व का भुगतान न करे और उस भूमि का कृषि के लिये प्रयोग न करे और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह साधारणतः निवास करता है और जिसका पता न हो तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे भूमिधर द्वारा धृत भूमि का कब्जा ले सकता है।

(2) जहाँ कलेक्टर ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहाँ वह उसे भूमिधर की ओर से एक बार में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए विहित रीति से, पट्टे पर दे सकता है।

(3) यदि भूमिधर या कोई अन्य व्यक्ति जो विधिपूर्वक भूमि का हकदार हो, उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया हो, अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने से 3 वर्ष की अवधि के भीतर उसका दावा करे तो वह उसे देयों का, यदि कोई हो, भुगतान करने पर और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें कलेक्टर उचित समझे, वापस कर दी जायेगी।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन कोई दावा न किया जाय या यदि कोई दावा किया जाय, किन्तु अस्वीकृत कर दिया जाय वहाँ कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा, और धारा 144 के अधीन किसी वाद के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(6) इस धारा की कोई बात ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी जोत पर लागू नहीं होगी जिसके पक्ष में धारा 80 के अधीन घोषणा की गई हो, जहाँ ऐसी घोषणा निरन्तर प्रवृत्त हो।

धारा 123 परित्याग का परिणाम— जहां धारा 122 के अधीन कोई जोत परित्यक्त हो, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात :-

- (क) जोत समस्त भारों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णतया निहित हो जायेगी;
- (ख) सम्बद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार, हक या हित नहीं रह जायेगा;
- (ग) सम्बद्ध भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान उक्त धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हो, ऐसी जोत के सम्बद्ध में देय भू-राजस्व का देनदार बना रहेगा।

धारा 124 ग्राम पंचायत को कब्जा देना— (1) जब इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि में भूमिधर का हित समाप्त हो जाय तब उप जिलाधिकारी सम्बद्ध ग्राम पंचायत के आवेदन देने पर ऐसी भूमि का अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ग्राम पंचायत को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे असामी को, जिसके पास किसी ग्राम पंचायत से, या धारा 95 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी बैंक से प्राप्त भूमि हो, बेदखल करने पर लागू होंगे।

ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा

धारा 125 ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रवेश— भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि का पट्टा उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के रूप में स्वीकार कर सकती है :-

- (क) धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी, धारा 77 में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि के निमित्त असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर ;
- (ख) खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) में स्थित भूमि को छोड़कर धारा 77 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का असामी, जहां ऐसी भूमि धारा 61 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी तालाब से भिन्न धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि सौंपी जाय या सौंपी हुयी समझी जाय।

धारा 126 भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम— (1) धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में भूमि उठाते समय, जिसे आगे इस अध्याय में भूमि का आवंटन कहा गया है, भूमि प्रबन्धक समिति, निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन करेगी :-

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां या माता-पिता, जो ग्राम सभा में निवास करते हों और भूमिहीन हों;
- (ख) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो;
- (ग) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन कृषि श्रमिक जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो;
- (घ) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक;

(ड) ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा से उन्मोचित कर दिया गया हो;

(च) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो;

(छ) कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक जो ग्राम-सभा में निवास न करता हो, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 26, सन् 1947) की धारा 42 में निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो।

{परन्तु यह कि विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा।}

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए:—

(एक) “आवंटन” में इस संहिता द्वारा किसी निरसित अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आवंटन, सम्मिलित है;

(दो) “निरसित”;

(तीन) किसी व्यक्ति को “भूमिहीन” समझा जाएगा, यदि उसके या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क बच्चों, और जहां आवंटिती स्वयं अवयस्क हो, वहां उसके माता-पिता के पास आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि में कोई भूमि न रही हो;

(चार) पद “स्वतन्त्रता सेनानी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है— जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में यथा परिभाषित हो;

(पांच) अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(छ) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जितनी भूमि का आवंटन किया जाय, वह ऐसी भूमि को मिलाकर, जो आवंटन के ठीक पूर्व भूमिधर या असामी की रूप में उसके द्वारा धृत हो, क्षेत्रफल में 1.26 हेक्टेयर **से अधिक न हो।**

धारा 127 आवंटन का परिणाम— (1) जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को धारा 125 और 126 के अनुसार आवंटित की जाए, और ऐसी भूमि पर कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहां, जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, **ऐसा**

¹ 30 प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 12 द्वारा परन्तुक जोड़ा गया

वृक्ष या सुधार भी उस भूमि के साथ सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा।

(2) आवंटी ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, इस प्रकार से आवंटित भूमि को धारण करेगा :

परन्तु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह-आवंटी होगी।

धारा 128 आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना— (1) कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाए कि आवंटन इस संहिता या इस संहिता द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है।

¹[(1-क)] उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किये गये आवंटन कृत पट्टा के मामले में ऐसे पट्टा आवंटन के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

(2) जहां किसी भूमि का आवंटन या पट्टा उपधारा (1) के अधीन निरस्त किया जाए, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसी भूमि में और उस पर विद्यमान प्रत्येक वृक्ष या अन्य सुधार में आवंटिती या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा, और वे **ग्राम पंचायत** को प्रतिवर्तित हो जायेंगे;

(ख) कलेक्टर ऐसी भूमि, वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् ग्राम पंचायत को तुरन्त उन पर कब्जा देने का निदेश कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवंटन या पट्टा को निरस्त करने की कार्यवाही में, कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि धारा 77 में निर्दिष्ट कोई भूमि उसके खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) के सिवाय किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित की गयी है, वहां वह आवंटन या पट्टा निरस्त करने के बजाय, यह निदेश दे सकता है कि आवंटिती या पट्टेदार को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन असामी माना जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अधीन, रहते हुए अन्तिम होगा।

(5) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 5 और 49 के उपबन्ध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे।

धारा 129 आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली— (1) जहाँ धारा 125 के अनुसरण में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहाँ राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर, यथास्थिति, **स्वप्रेरणा से आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है** और आवंटिती या पट्टेदार के आवेदन पर उसे ऐसी भूमि पर काबिज करेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है या करा सकता है।

¹ 30प्र0अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित

(2) उपधारा (1) के अधीन कब्जा दे दिये जाने के पश्चात् किसी भूमि या उसके भाग के पुनः अधिभोग के सम्बन्ध में धारा 65 की उपधारा (2) से (8) के उपबन्ध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

बेदखली

धारा 130 भूमिधारों को बेदखल न किया जाना— इस संहिता के द्वारा या अधीन यथा उपबंधित के सिवाय कोई भूमिधार उसके द्वारा धारित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।

धारा 131 असामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिए वाद— (1) कोई असामी उसके द्वारा धारित भूमि से **ग्राम पंचायत** या भूमिधारक के वाद के सिवाय, जैसी भी स्थिति हो, जो कि निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर दाखिल किया जा सकता है, बेदखल नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) यह कि इस संहिता के उपबन्धों के अधीन असामी का हित उसके द्वारा धारित भूमि में समाप्त हो गया है;

(ख) यह कि असामी वर्षानुवर्ष या किसी एक अवधि के लिए भूमि धारण कर रहा था जो कि पहले ही समाप्त हो चुकी है या चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जाएगी;

(ग) यह कि असामी किसी ऐसे प्रयोजन हेतु भूमि का प्रयोग कर रहा है जो धारा 84 के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है;

(घ) यह कि भूमि धारक धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त था और या तो उसकी निःशक्तता समाप्त हो गयी है या वह भूमि को अपने निजी कृषि उपयोग में लाना चाहता है;

(ङ) यह कि असामी एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगान का व्यतिक्रमी था और वह मांग की सूचना की तामील के बावजूद तीस दिनों की अवधि के भीतर भूमिधारक को उसका भुगतान करने में विफल रहा हो;

(च) यह कि असामी ने उसके द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में अंतरित कर दिया है।

(2) इस धारा के अधीन वाद दाखिल करने के पूर्व असामी को निकल जाने की कोई सूचना देना आवश्यक न होगी।

(3) भूमिधारक, बेदखली के किसी वाद में लगान के बकाये का भी दावा कर सकता है।

(4) भूमिधारक, असामी को बेदखली के लिए वाद दाखिल किये बिना भी लगान के बकाये का वाद दाखिल कर सकता है।

धारा 132 फसलों और पेड़ों पर अधिकार— (1) जहाँ धारा 131 के अधीन किसी वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में कोई असामी बेदखल किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि न्यायनिर्णीत ऋणी की असंगृहीत कोई फसल या पेड़ भूमि पर विद्यमान है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी न्यायालय निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा :—

(क) यदि न्यायनिर्णीत ऋणी पर देय धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य के बराबर या अधिक है तो न्यायालय ऐसी फसलों और पेड़ों के साथ भूमि का कब्जा डिक्री धारक को परिदत्त करेगा और ऐसी

फसलों और पेड़ों में न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले जाएंगे;

(ख) यदि न्यायनिर्णीत ऋणी का देय धनराशि ऐसी फसलों और पेड़ों के मूल्य से कम है, और—

(एक) डिक्री धारक ऐसी धनराशि और मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान न्यायनिर्णीत ऋणी को कर देता है तो न्यायालय भूमि का कब्जा डिक्री धारक को सौंप देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में या पर न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले **जायेंगे**;

(दो) डिक्री धारक ऐसे अन्तर का भुगतान नहीं करता है तो न्यायनिर्णीत ऋणी को भूमि के उपयोग और अध्यासन हेतु न्यायालय द्वारा यथा नियत प्रतिकर का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों की देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित किये या हटाये या काटे नहीं जाते या वे मृत नहीं हो जाते।

(2) डिक्री निष्पादनकर्ता न्यायालय, किसी पक्षकार के आवेदन पर फसलों या पेड़ों के मूल्य का और उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन न्यायनिर्णीत ऋणी द्वारा देय प्रतिकर का अवधारण कर सकता है।

धारा 133 व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिए वाद— ग्राम पंचायत या भूमिधारक, धारा 131 के अधीन किसी असामी की बेदखली हेतु **वाद चलाने के बजाय** उप **ज़िलाधिकारी** के न्यायालय में निम्नलिखित के लिए वाद दाखिल कर सकता है :—

(क) भूमि के किसी अप्राधिकृत उपयोग या उसे किसी रूप में बेकार करने या नुकसान पहुंचाने से उसको रोकने के लिए व्यादेश;

(ख) ऐसे उपयोग में लाने या बेकार करने या नुकसान पहुंचाने के लिये क्षतिपूर्ति हेतु; या

(ग) भूमि को बेकार करने या हुए नुकसान की भरपाई हेतु।

धारा 134 बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली— (1) जहां कोई व्यक्ति, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसे भूमिधर या असामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या असामी के जोत (धृत) के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमिधर या असामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा और विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भूमि से सम्बन्धित प्रत्येक वाद हेतु राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जायेगा।

धारा 135 “निरसित”

धारा 136 ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली— (1) इस संहिता के अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुये भी उप ज़िलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की सहमति के बिना हो और विहित दरों पर नुकसान का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे, अर्थात्—

(क) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** या

स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या न्यस्त समझी गई कोई भूमि;

(ख) कोई भूमि जिस पर ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन कब्जा लेने का हकदार हो;

(ग) कोई भूमि जो ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की हो या के स्वामित्व में हो या द्वारा धारित की गयी हो;

(घ) असामी धारा 77 के खण्ड (घ) या (ड) में विनिर्दिष्ट भूमि-धारण कर रहा था और ऐसी भूमि में फसलों की पैदावार असंभव हो गयी है;

(ड) असामी को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन भूमि दी गयी थी और **ग्राम पंचायत** उसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहती है।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति किसी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।

(4) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल करते समय, उप जिलाधिकारी यथा आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द “भूमि” में ऐसी भूमि पर विद्यमान पेड़ और अन्य सुधार भी हैं।

धारा 137 गलत बेदखली के लिए उपचार- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली से आशंकित या कब्जा लेने से निवारित किया गया कोई असामी इस प्रकार निकालने वाले, निकालने का प्रयास करने वाले या कब्जे से बाहर रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध-

(एक) भूमि के कब्जे के लिए; या

(दो) गलत रूप में बेदखली हेतु क्षतिपूर्ति के लिए;

वाद दायर कर सकता है।

(2) जब किसी गलत विस्थापन के लिए न कि कब्जेदारी के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कोई डिफ्री पारित की जाती है तो प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति उस सम्पूर्ण अवधि के लिए होगी जिसके दौरान असामी कब्जा रखने के लिए हकदार था।

लगान

धारा 138 असामी द्वारा देय लगान- ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जाय, किसी भूमि के अध्यासन हेतु अनुमति पाने पर कोई असामी ऐसे लगान के भुगतान का दायी होगा जैसा कि यथास्थिति, उसके भूमिधारक या **ग्राम पंचायत** और उसके बीच अनुबंधित किया गया हो।

धारा 139 लगान निर्धारण के लिए वाद- (1) जहां कोई व्यक्ति लगान पर सहमत हुए बिना किसी भूमि पर असामी के रूप में कब्जेदार हो, तो असामी या उसका भूमिधारक किराये के निर्धारण हेतु तहसीलदार को आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, तहसीलदार यथाविहित रीति में जांच कराएगा और इस संहिता के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार लगान नियत करेगा।

(3) उपधारा (2) में नियत किया गया लगान किसी असामी द्वारा इस रूप में भूमि के अध्यासन के दिनांक से संदेय हो जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उप **ज़िलाधिकारी** को अपील दायर कर सकता है, और इस संहिता के अन्य उपबंधों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी उप **ज़िलाधिकारी** का आदेश अंतिम होगा।

धारा 140 बकाया हेतु दावा की डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा आपदा के लिए छूट— (1) जहाँ लगान की बकाया की वसूली के लिए वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि उस अवधि में जिसके लिए बकाया का दावा किया गया है, जोत का क्षेत्र जलप्लावन या अन्य प्रकार से सारवान रूप से घट गया था या उसकी उपज सूखा, ओला, बालू जमा हो जाने या अन्य विपत्ति के कारण सारवान रूप से कम हो गयी थी, वहाँ वह लगान में ऐसी छूट दे सकता है जैसी उसे न्याय संगत प्रतीत हो;

परन्तु ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जाएगा कि जिस अवधि के लिए वह दी गयी है उसके अतिरिक्त किसी और अवधि के लिए भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परिवर्तन हो गया है।

(2) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन छूट दे, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किए जाय, भू-राजस्व में पारिणामिक छूट का आदेश देगा।

धारा 141 लगान की गणना— (1) जहां किसी जोत के सम्बन्ध में नकद से भिन्न रूप में लगान देय हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसको लगान देय हो के आवेदन पर विहित रीति से लगान की गणना कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संगणित किराया, संगणना के आदेश के दिनांक के पश्चात्पूर्वी जुलाई माह के प्रथम दिन से देय होगा जब तक कि आदेश में कोई अन्य दिनांक की व्यवस्था न हो।

धारा 142 ग्राम पंचायत आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली— ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त भूमि को धारण करने वाले असामी से बकाया लगान चाहे वह इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् देय हो, भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा।

धारा 143 बकाया लगान को बट्टे खाते डालने की शक्ति— इस संहिता के उपबन्धों के अधीन ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गयी किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगान का सम्पूर्ण बकाया या उसके किसी भाग को ऐसी परिस्थितियों में, जैसी विहित की जाय, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अवसूलनीय मानकर बट्टे खाते में डाला जा सकता है :

परन्तु ऐसा संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उप ज़िलाधिकारी उसकी पुष्टि न कर दें।

घोषणात्मक वाद

धारा 144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद— (1) कोई व्यक्ति, जो कि किसी जोत या उसके भाग का, चाहे अनन्य रूप

से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या असामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वाद में, जो—

(क) किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और **ग्राम पंचायत** आवश्यक पक्षकार होंगे;

(ख) किसी असामी द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, भूमिधारक आवश्यक **पक्षकार** होगा।

धारा 145 ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद— विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम पंचायत को ऐसे वाद में किसी अन्य राहत की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 146 व्यादेश का उपबंध— यदि धारा 144 या 145 के अधीन किसी वाद के दौरान शपथ—पत्र द्वारा या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है—

(क) कि विवादित भूमि पर कोई सम्पत्ति, पेड़ या खड़ी फसल को वाद के किसी पक्षकार द्वारा बेकार करने, क्षति पहुंचाने या अन्यथा संक्रामित किए जाने का खतरा है; या

(ख) कि वाद का कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त सम्पत्ति, पेड़ या फसल को हटाने या बेच देने की धमकी देता है या इरादा रखता है—

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश दे सकता है और जहाँ आवश्यक हो, रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।

अध्याय—दस **सरकारी पट्टेदार**

धारा 147 सरकारी पट्टेदार की परिभाषा— प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो, चाहे ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सरकारी पट्टेदार कहा जायेगा।

धारा 148 सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक— इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक सरकारी पट्टेदार को पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ऐसी भूमि धारण करने का हक होगा।

धारा 149 सरकारी पट्टेदार की बेदखली— किसी सरकारी पट्टेदार को उसके द्वारा धृत भूमि से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) वह लगान, या पट्टे के अधीन देय किसी अन्य धनराशि, का उस दिनांक से जब वह देय हुआ हो, छः मास के भीतर भुगतान करने में विफल रहा होगा;

(ख) उसने ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए वह दी गयी थी, भिन्न प्रयोजन के लिए किया है;

(ग) उसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है या पट्टा निरस्त कर दिया गया है;

(घ) उसने पट्टे के किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया है।

धारा 150 उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1972 के उपबन्ध लागू होंगे— उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के उपबन्ध किसी सरकारी पट्टेदार की बेदखली पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत अध्यासियों पर लागू होते हैं और उप **ज़िलाधिकारी** को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी समझा जायेगा।

धारा 151 सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार— (1) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी किसी भूमि पर पट्टे के निबन्धन और शर्तों से भिन्न प्रकार से और ऐसे पट्टेदार की सहमति के बिना कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है तो ऐसा व्यक्ति सम्बद्ध सरकारी पट्टेदार के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा और विहित दरों पर क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संस्थित किसी वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाएगा किन्तु **ग्राम पंचायत** पक्षकार नहीं होगी।

(3) यदि किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट बेदखली के लिए वाद का संस्थापन या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री का निष्पादन, उसके लिए उपबन्धित परिसीमा काल के भीतर न किया जाय तो ऐसी अवधि की समाप्ति से उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —

(क) सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी भूमि पर कब्जा करने या कब्जा बनाए रखने वाले व्यक्ति को धारा 150 के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा;

(ख) ऐसी भूमि पर सरकारी पट्टेदार का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जायेगा और उसके पट्टे की अवधि समाप्त समझी जायेगी।

धारा 152 भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य देय— किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा देय लगान या किसी अन्य धनराशि की बकाया को भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकता है।

अध्याय—ग्यारह **भू-राजस्व का निर्धारण**

धारा 153 भूमिधर द्वारा धृत भूमि पर भू-राजस्व के भुगतान का दायित्व— (1) किसी भूमिधर द्वारा धृत समस्त भूमि का, चाहे वह कहीं पर स्थित हो और उसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए **किया जा रहा हो, भू-राजस्व निर्धारित किया जाएगा** (ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए) और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे ऐसे दायित्व से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

(2) भूमि का भू-राजस्व, इस बात के होते हुये भी कि उसे उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन छूट दी गयी है, निर्धारित किया जा सकता है।

(3) किसी भूमि पर अध्यासन की दीर्घकालीनता से वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के दायित्व से निर्मुक्त न होगी।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित भूमि को भू-राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी, अर्थात्—

(क) सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित भूमि;

(ख) कब्रिस्तान और श्मशान।

धारा 154 भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू-राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूर्ववर्ती कृषि वर्ष में ऐसी भूमि के लिए करने का दायी था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू-राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिए देय थी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है जिसके सम्बन्ध में ऐसे अर्जन के ठीक पूर्व कोई भू-राजस्व देय नहीं था, उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुरूप, जैसे विहित किये जायें, अवधारित भू-राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा।

धारा 155 भू-राजस्व में परिवर्तन- इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व में, उसकी जोत के क्षेत्रफल में या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता में **नदी क्रिया या** अन्य प्राकृतिक कारण से वृद्धि या कमी हो जाने के आधार पर विहित रीति से परिवर्तन किया जा सकता है।

धारा 156 कतिपय मामलों में भू-राजस्व की छूट- इस संहिता में किसी उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेअर (3.125 एकड़) से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू-राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जायेगी।

धारा 157 कृषि विपत्ति होने पर भू-राजस्व में माफी या स्थगन- (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, कृषि सम्बन्धी विपत्ति आने पर, जिससे किसी ग्राम या ग्राम के भाग की फसलों पर प्रभाव पड़े ऐसी विपत्ति से प्रभावित किसी जोत के सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग को किसी भी अवधि के लिए माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।

(2) इसी प्रकार, राज्य सरकार, किसी ग्राम या उसके भाग में जहाँ ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम पंचायत को देय लगान माफ कर सकती है या उसे किसी अवधि के लिए स्थगित कर सकती है।

धारा 158 कतिपय दशाओं में लगान में परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शक्ति- जब कभी भू-राजस्व में धारा 155 के अधीन वृद्धि या कमी की जाय या धारा 157 के अधीन माफी दी जाय या उसे स्थगित किया जाय, तब राज्य सरकार **ग्राम पंचायत** के असामी से भिन्न असामी द्वारा देय सम्पूर्ण लगान या उसके किसी भाग में वृद्धि या कमी कर सकती है, या यथास्थिति माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।

धारा 159 लगान स्थगित करने के परिणाम- जहाँ किसी लगान का भुगतान धारा 157 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, वहां-

(क) उस अवधि को जिसमें ऐसा स्थगन लागू रहे, लगान की वसूली के लिए किसी वाद के लिए अनुज्ञात परिसीमा काल की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा; और

(ख) ऐसे स्थगन की अवधि में उसकी वसूली के लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा न कोई आवेदन दिया जा सकेगा।

धारा 160 राजस्व मुक्त भूमि की वार्षिक जांच— (1) कलेक्टर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त समस्त भूमि के मामले की प्रति वर्ष जांच करेगा।

(2) यदि मुक्ति किसी शर्त पर दी गयी है और उसे भंग किया गया हो तो वह मामले की रिपोर्ट परिषद को आदेशार्थ करेगा और उस पर परिषद का आदेश अन्तिम होगा।

धारा 161 भू-राजस्व की धनराशि का पूर्णकृत किया जाना— जहाँ किसी भू-राजस्व के कारण देय धनराशि या उसकी किसी किस्त में रुपये का अंश शामिल हो तो उसे निकटतम रुपये तक पूर्णकृत कर दिया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ यदि धनराशि में रुपये का ऐसा हिस्सा पचास पैसे या अधिक हो तो उसे बढ़ाकर पूरा एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा हिस्सा पचास पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

धारा 162 आदेशों का अंतिम होना— इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

अध्याय— बारह

भू-राजस्व का संग्रह

धारा 163 भू-राजस्व प्रथम प्रमार होगा— (1) किसी जोत का निर्धारित भू-राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान, लाभ या उपज पर भी, प्रथम प्रभार होगा।

(2) भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिभूत दावों पर वरीयता दी जायेगी।

धारा 164 भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे— किसी जोत के समस्त सहभूमिधर उस पर तत्समय निर्धारित भू-राजस्व के भुगतान के लिए राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे और ऐसे भूमिधरों के हित के चाहे न्यायमन द्वारा या अन्य प्रकार से, उत्तराधिकारी समस्त व्यक्ति, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व के समस्त बकायों के लिए उत्तरदायी होंगे।

धारा 165 भू-राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना— किसी कृषि वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय भू-राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और उसका ऐसे समय पर, ऐसी किस्तों में, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, भुगतान किया जायेगा।

धारा 166 भू-राजस्व के संग्रह के लिए प्रबन्ध— राज्य सरकार भू-राजस्व के संग्रह के लिए ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसा अभिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

धारा 167 व्यतिक्रमी— कोई भू-राजस्व जो देय हो और जिसका भुगतान धारा 165 में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके

पूर्व न किया गया हो, उसी दिनांक से बकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति **व्यतिक्रमी** हो जायेंगे।

धारा 168 प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य होगा— इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण, भू-राजस्व के बकाया होने, उसकी धनराशि और ऐसे व्यक्ति का जो **व्यतिक्रमी** हो, का निश्चायक प्रमाण होगा।

धारा 169 मांग-पत्र— जैसे ही भू-राजस्व की बकाया देय हो जाय, वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग-पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

धारा 170 बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया— (1) मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर भुगतान न किये गये भू-राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात्—

- (क) व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करके;
- (ख) उसकी जंगम संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, कुर्की और विक्रय करके;
- (ग) व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लॉकर की कुर्की करके;
- (घ) ऐसी भूमि जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, कुर्की करके;
- (ङ) ऐसी भूमि को जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री करके;
- (च) व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की करके या बिक्री करके;
- (छ) व्यतिक्रमी की किसी स्थावर या जंगम संपत्ति का रिसीवर की नियुक्ति करके।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि एतदपूर्व उल्लिखित दो या अधिक आदेशिका साथ-साथ या एक के बाद एक प्रयुक्त और प्रवर्तित किए जा सकते हैं।

(2) भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि किन्तु जो किसी विशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन व्यतिक्रमी की किसी स्थावर संपत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है जिसका वह भूमिधर है, से आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकता है।

धारा 171 गिरफ्तारी और निरोध— (1) कोई भी व्यक्ति जिसने भू-राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे विहित किया जाय, पंद्रह दिन से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाय:

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भू-राजस्व के बकाये के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, जहां और जब तक के लिए कि ऐसा व्यक्ति:

- (क) स्त्री या अवयस्क हो, या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95(1)(क) में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो;
- (ख) संघ के सशस्त्र बल का हो;

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133, 135 या 135—क के अधीन छूट प्राप्त हो।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जायेगा जब तक कि गिरफ्तारी वारण्ट जारीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि निरुद्धि की प्रक्रिया बकाये की पूर्ण या सारभूत अंश के भुगतान के लिए बाध्य करेगा।

(4) गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाला अधिकारी ऐसे वारण्ट का समपहरण कर सकता है (वापस ले सकता है) यदि व्यतिक्रमी व्यक्ति सम्पूर्ण बकाये या उसके सारभूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करता है।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जायेगा, जब वसूली के लिये ईप्सित धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक हो।

धारा 172 जंगम सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री— (1) उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और बिक्री कर सकता है।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन कुर्की और उपधारा (5) के अधीन बिक्री से मुक्त होगी:—

(क) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के आवश्यक परिधान, रसोई के बर्तन, पलंग और बिस्तर और ऐसे व्यक्तिगत आभूषण जिनका धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी महिला द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता;

(ख) ग्रामीण शिल्पी के औजार और यदि व्यतिक्रमी कृषक हो, तो उसके खेती के उपकरण (यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण को छोड़कर) और ऐसे पशु और बीज, जो कुर्की अधिकारी की राय में उसी रूप में उसके जीविकोपार्जन कर सकने के लिए आवश्यक हों;

(ग) धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं।

स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद “कृषक” का तात्पर्य ऐसे उस व्यक्ति से है जो स्वयं भूमि पर खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतया कृषि भूमि से होने वाली आय पर निर्भर रहता है।

स्पष्टीकरण 2— स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह स्वयं भूमि पर खेती करता है, यदि वह—

(क) स्वयं अपने श्रम से,

(ख) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम से, या

(ग) नकद या वस्तुरूप में या दोनों प्रकार से देय मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है।

(3) जहां कोई जंगम सम्पत्ति वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाय और व्यतिक्रमी कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति दे जिससे उसका समाधान हो जाय, वहां इस प्रकार कुर्क की गयी सम्पत्ति व्यतिक्रमी की अभिरक्षा में छोड़ दी जायेगी। यदि कुर्की के समय व्यतिक्रमी उपलब्ध न हो या यदि उपलब्ध हो किन्तु कुर्क अधिकारी को

ऐसी प्रतिभूति देने में विफल हो जिससे उसका समाधान हो जाय तो कुर्क की गयी सम्पत्ति किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ी जा सकती है जो उसकी अभिरक्षा का भार लेने को इच्छुक हो :

परन्तु पशुधन की स्थिति में, उसे निकटतम कांजी हाउस में ले जाया जा सकता है यदि न तो व्यतिक्रमी ऐसी प्रतिभूति देता है और न कोई उत्तरदायी व्यक्ति उसकी अभिरक्षा का भार लेने का इच्छुक हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (3) के अधीन किसी जंगम सम्पत्ति की अभिरक्षा का भार लेता है, विहित प्रपत्र में एक बन्ध-पत्र (सुपुर्दनामा) (जो स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगा) निष्पादित करेगा और ऐसी सम्पत्ति का परिरक्षण और अनुरक्षण करेगा और जहां कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दायी होगा। ऐसी क्षतियों या हानि का अवधारण उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा और वे सुपुर्ददार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किए जा सकेंगे।

(5) यदि इस धारा के अधीन स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उप जिलाधिकारी विहित रीति से उसका विक्रय कर सकता है।

धारा 173 व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लॉकर की कुर्की- व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुर्की, जहां तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 21 के नियम 46, 46-क तथा 46-ख में अधिकथित रीति से सम्बन्धित बैंक के शाखा के प्रभारी प्रबन्धक को अनुक्रमणी आदेश को तामील करके की जाय और व्यतिक्रमी द्वारा किराये पर लिए गए लॉकर की दशा में उसे ऐसे प्रबन्धक की उपस्थिति में सील किया जायेगा जो कि तत्पश्चात् उसके संघटकों की सूची की तैयारी और उनके अंततः निस्तारण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी के अग्रेतर आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

धारा 174 जोत की कुर्की- (1) कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके सम्बन्ध में भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, कुर्की कर सकता है।

(2) जहां बकाया की धनराशि का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कुर्की की गयी हो भुगतान कर दिया जाय, वहां ऐसी कुर्की को प्रत्याहृत समझा जायेगा।

(3) यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर न किया जाय तो कलेक्टर, यथास्थिति, धारा 175 या धारा 176 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

धारा 175 जोत का पट्टा-(1) जहां कोई भूमि धारा 174 के अधीन कुर्क की जाय, वहां कलेक्टर संहिता में किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें विहित किया जाय, **ठीक आगामी जुलाई** के प्रथम दिनांक से दस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, **व्यतिक्रमी** से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि पट्टे पर दी जाय, ऐसी भूमि पर देय सम्पूर्ण बकाया का भुगतान करने और पट्टे की अवधि के दौरान भू-राजस्व उस दर से, जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उसकी कुर्की किए जाने के ठीक पूर्व व्यतिक्रमी द्वारा देय रही हो, भुगतान करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) यदि पट्टे की अवधि में, पट्टेदार पट्टे के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम करें और उसके बाकी अवधि तक पट्टे पर भूमि किसी अन्य व्यक्ति को न लेना हो तो उससे ऐसी धनराशि धारा

170 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है और पट्टा भी समाप्त किया जा सकेगा।

(4) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, भूमि सम्बद्ध खातेदार को ऐसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी भी दावे से मुक्त, वापस कर दी जाएगी।

धारा 176 जोत की बिक्री—(1) जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गयी भूमि को पट्टे पर लेने के लिए तैयार न हो या जहां किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है वहां कलेक्टर ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उस भाग को विहित रीति से बेच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है।

(2) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट राजस्व परिषद को करेगा।

धारा 177 अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर भू-राजस्व की किसी बकाया को ऐसे व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के हित की कुर्की और बिक्री करके वसूली कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी कृषक का मकान या अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और उससे एकदम संलग्न भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो, इस धारा के अधीन कुर्की से मुक्त होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ “कृषक” का वही अर्थ होगा, जो उसे धारा 172 में दिया गया है।

धारा 178 रिसीवर की नियुक्ति— (1) जहां किसी व्यतिक्रमी से भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहां कलेक्टर आदेश द्वारा—

(क) व्यतिक्रमी की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, रिसीवर नियुक्ति कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है और उस भूमि को रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है;

(ग) रिसीवर को वाद प्रस्तुत करने और उनका प्रतिवाद करने, सम्पत्ति की वसूली, प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसका लगान और लाभ का संग्रह करने, ऐसे लगान और लाभ का उपयोग और निस्तारण करने और दस्तावेजों का निष्पादन करने की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान कर सकता है जो ऐसे व्यतिक्रमी के पास हों, या उनमें से ऐसी किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है जिसे कलेक्टर उचित समझे।

(2) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार व्यतिक्रमी को न हो, सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत नहीं करेगी।

(3) कलेक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियुक्ति की कालावधि बढ़ा सकता है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यतिक्रमी को कारण बताने का नोटिस न दे दिया जाय और ऐसे अभ्यावेदन पर जो ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में कलेक्टर द्वारा

प्राप्त हो, विचार न कर लिया जाय।

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अंतरिम आदेश, ऐसी सूचना के जारी किए जाने के पहले या बाद में किसी भी समय किया जा सकता है।

परन्तु अग्रेतर यह कि जहां ऐसी सूचना जारी किए जाने के पूर्व कोई अंतरिम आदेश किया जाता है तो अंतरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई सूचना जारी न किए जाने पर ऐसा आदेश निरस्त हो जायेगा।

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 40 के नियम 2 से 4 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(6) **रिसीवर, कलेक्टर** के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा और ऐसी सूचना, विवरणी या विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसे कलेक्टर उचित **समझे**।

(7) कलेक्टर लिखित आदेश से और कोई कारण बताये बिना किसी रिसीवर को ऐसे रिसीवर का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हटा सकता है और उसके स्थान पर कोई अन्य रिसीवर नियुक्त कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अदक्षता, घोर उपेक्षा, जान बूझकर व्यतिक्रम, अवज्ञा, अवचार, गम्भीर लोप या किसी सम्पत्ति के दुर्विनियोग के आधार पर किसी रिसीवर का बना रहना वांछनीय या समीचीन न होगा। इस धारा के अधीन रिसीवर के पद से हटाया गया व्यक्ति, हटाये जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(8) कलेक्टर को रिसीवर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह अवधारण करने कि रिसीवर के जान-बूझकर व्यतिक्रम करने, अवचार या उसकी घोर उपेक्षा से या किसी दुर्विनियोग के कारण क्या और कितनी हानि, यदि कोई हो, हुई है और रिसीवर से हानि की धनराशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल करने की शक्ति होगी।

(9) सम्पत्ति का लगान लाभ या उससे प्राप्त कोई अन्य आय, प्रबन्ध व्यय को जिसमें रिसीवर का पारिश्रमिक भी सम्मिलित है, चुकता करने के पश्चात् बकाया को चुकता करने में समायोजित किया जायेगा और शेष धन, यदि कोई हो, **व्यतिक्रमी** को दे दिया जायेगा।

(10) जैसे ही उपधारा (9) के अधीन या अन्य प्रकार से बकाया चुकता हो जाय, कलेक्टर **व्यतिक्रमी** को सम्पत्ति वापस कर देगा।

धारा 179 वसूली की प्रक्रिया- इस अध्याय के अनुसार भू-राजस्व अथवा भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य अन्य देयों का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ वसूली अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाय।

धारा 180 लागत और संग्रह प्रमारों की वसूली- (1) धारा 170 से 178 तक में उल्लिखित प्रक्रियाओं का व्यय जिसमें गिरफ्तारी और निरोध का व्यय भी सम्मिलित है, ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) राज्य सरकार देय धनराशि के दस प्रतिशत से अनधिक की दर पर संग्रहण प्रभार आरोपित कर सकती है, जैसा कि विहित किया जाय।

परन्तु कोई संग्रहण प्रभार देय नहीं होगा यदि देय धनराशि का भुगतान, यथास्थिति व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गयी संपत्ति की बिक्री के पूर्व कर दिया जाता है।

(3) ऐसी लागतों और संग्रहण प्रभारों को उसमें जोड़ा जा सकता है और वह भू-राजस्व के बकाये की भांति उसी रीति से वसूली योग्य होगी।

धारा 181 विधिक प्रतिनिधियों इत्यादि के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही- (1) यदि इस अध्याय के अधीन बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् किसी समय व्यतिक्रमी की मृत्यु हो जाय तो व्यतिक्रमी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाहियां (गिरफ्तारी और निरोध के सिवाय) प्रारम्भ की जा सकेंगी या चालू रखी जा सकेंगी मानों विधिक प्रतिनिधि स्वयं व्यतिक्रमी रहे हों :

परन्तु ऐसे विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की केवल उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी द्वारा देय धनराशि के लिए प्रतिभू हुआ हो, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है मानों वह स्वयं व्यतिक्रमी हो।

स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की और विक्रय

धारा 182 स्थावर सम्पत्ति की कुर्की- (1) धारा 174 या धारा 177 के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की या धारा 175 के अधीन किसी भूमि को पट्टे पर देने की **प्रत्येक आदेशिका** कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के **आदेश 21 के नियम 54** में विहित रीति से कार्यान्वित की जायेगी।

धारा 183 कुर्की के विरुद्ध आपत्ति- (1) जहां कोई दावा, इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, किया गया है तो कलेक्टर जांच के पश्चात् ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात् स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा

(क) जहां दावा किये जाने के पूर्व ही कुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय किया जा चुका हो; या

(ख) जहां कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच समझकर या अनावश्यक रूप से विलम्बित किया गया है; या

(ग) जहां **कुर्की** के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् दावा प्रस्तुत किया गया है।

(2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो, आदेश के दिनांक से **साठ दिनों** के भीतर ऐसे अधिकार, जिसका वह कुर्क की गयी सम्पत्ति में दावा करता है, को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसी अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अध्यक्षीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।

धारा 184 विक्रय की उद्घोषणा- (1) जहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो वहां **कलेक्टर** या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपत्र में निम्नलिखित को

विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषणा जारी करेगा:-

- (क) विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित सम्पत्ति का विवरण;
- (ख) ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और सर्किल रेट;
- (ग) तदनिमित्त संदेय भू-राजस्व, यदि कोई हो;
- (घ) विल्लंगम, यदि कोई हो;
- (ङ) बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो;
- (च) आशयित विक्रय का दिनांक, समय और स्थान; और
- (छ) ऐसे अन्य विवरण जिन्हें कि कलेक्टर आवश्यक समझे।

(2) **जहां विक्रय किए जाने हेतु** ईप्सित भूमि का क्षेत्रफल **5.0586 हेक्टेयर** हो वहां उपधारा (1) के अधीन एकल उद्घोषणा जारी की जा सकती है किन्तु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक के समूहों में किया जायेगा।

(3) ऐसा कोई विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे दिनांक, जिस पर इस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, से इक्कीस दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है।

(4) उद्घोषणा की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील कराई जायेगी।

धारा 185 उद्घोषणा का चिपकाया जाना- धारा 184 में निर्दिष्ट विक्रय उद्घोषणा की प्रति निम्नलिखित **प्रत्येक स्थान** पर चिपकायी **जायेगी:-**

- (क) कलेक्टर का **कार्यालय**;
- (ख) तहसील, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, के तहसीलदार का कार्यालय;
- (ग) ग्राम या क्षेत्र जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, में **कोई अन्य** सार्वजनिक भवन;
- (घ) व्यतिक्रमी का निवासगृह।

धारा 186 विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाय- (1) ऐसा प्रत्येक विक्रय, कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

(2) कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जायेगा।

(3) कलेक्टर या सहायक कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से समय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं।

(4) जहां किसी विक्रय को इक्कीस दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया गया हो या जहां क्रय धन के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जाता है तो मूल विक्रय के लिए विहित प्रपत्र में नयी उद्घोषणा निर्गत की जायेगी।

धारा 187 विक्रय को रोका जाना- यदि व्यतिक्रमी ऐसी सम्पत्ति, जिसका विक्रय किया जाना है, के सम्बन्ध में विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रक्रिया की लागत सहित बकाये का भुगतान कर देता है तो

विक्रय को संचालित करने वाला अधिकारी ऐसे विक्रय को रोक देगा।

धारा 188 बोली लगाने का निषेध— (1) कोई अधिकारी जो ऐसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य निष्पादित कर रहा है, और ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या अधीनस्थ कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की गयी सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित किसी हित के लिए बोली नहीं लगायेगा या उसको अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।

(2) जहां ऐसी धनराशि तक, जिसके लिए विक्रय का आदेश दिया गया हो, कोई बोली नहीं लगायी गयी है तो कलेक्टर ऐसी धनराशि के अवशेष तक की बोली लगाने के लिए आदेश दे सकता है।

धारा 189 क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय— (1) क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति से उसकी बोली की धनराशि का पचीस प्रतिशत तुरन्त जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसी धनराशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः विक्रय कर दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में उपगत व्ययों और पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली किसी कमी का दायी होगा और कलेक्टर द्वारा इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई जमा या तो नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा (किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत) या अंशतः नगद और अंशतः ऐसे ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "डिमाण्ड ड्राफ्ट" में बैंकर्स चेक भी है।

धारा 190 क्रय धन का जमा किया जाना— क्रय धन की शेष धनराशि क्रेता द्वारा विक्रय के दिनांक से पन्द्रहवें दिन पर या इसके पूर्व कलेक्टर के कार्यालय में या **ज़िला** कोषागार या उप कोषागार में जमा की जायेगी और व्यतिक्रम करने पर—

(क) सम्पत्ति को पुनः विक्रय कर दिया जायेगा; और

(ख) धारा 189 के अधीन जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।

धारा 191 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा धृत भूमि का नीलामी विक्रय— जहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का किसी भूमि में अधिकार, हक या हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है और ऐसी जाति या जनजाति का कोई अन्य व्यक्ति ऐसी नीलामी के तीस दिन के भीतर अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिये क्रय धन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है तो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, ऐसी धनराशि देने वाला व्यक्ति विक्रय के मामले में ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसी जाति या जनजाति का न हो, अधिक वरीयता पाने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसा जमा करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति हैं तो मौके पर ही उनमें से बोली लगवायी जायेगी और अधिकतम बोली लगाने वाला ऐसी वरीयता का हकदार होगा।

परन्तु यह और कि जहाँ पर अधिकतम बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में, इस धारा के अन्तर्गत अधिमानता के कारण, पुष्टि नहीं हो पाती है, वह अपने द्वारा जमा की हुई धनराशि एवं उस प्रयोजन के लिए जमा की हुई ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत की धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार होगा।

धारा 192 बकाये को जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन—(1) कोई व्यक्ति, जिसकी जोत या स्थावर सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन विक्रय कर दी गयी हो, विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय को **अपास्त करने के लिए कलेक्टर को निम्नलिखित धनराशि कलेक्टर के कार्यालय में या ज़िला कोषागार या उप कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है—**

- (क) क्रेता को क्रय धन के **एक प्रतिशत** के बराबर की धनराशि का भुगतान करने के लिए; और
- (ख) अवशेष के मद्दे भुगतान करने के लिए, विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट धनराशि में से ऐसी किसी धनराशि को घटाकर जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक से उसी मद्दे भुगतान की गयी हो;
- (ग) विक्रय की **प्रक्रियाओं** की लागत जिसमें संग्रहण प्रभार भी है, यदि कोई हो।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार धनराशि जमा की गयी है तो कलेक्टर विक्रय को अपास्त कर देगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया हो **वहां वह** धारा 193 के अधीन आवेदन करने या आवेदन के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

धारा 193 अनियमितता के लिए विक्रय को अपास्त करने का आवेदन—(1) विक्रय दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, व्यक्तिक्रमी या नीलामी क्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका हित ऐसे विक्रय से प्रभावित हो रहा हो, **ऐसे विक्रय में किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को** अपास्त करने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी बिक्री तब तक अपास्त नहीं की जायेगी जब तक कि आवेदक आयुक्त को समाधानप्रद रूप में सिद्ध नहीं कर देता है कि उसे ऐसी अनियमितता या त्रुटि के कारण सारवान क्षति हुई है।

(3) राजस्व परिषद में **पुनरीक्षण** के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

धारा 194 विक्रय की पुष्टि—(1) **यदि विक्रय के दिनांक से** तीस दिन की समाप्ति पर धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया हो और उसे यथास्थिति, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो तो कलेक्टर उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए विक्रय की पुष्टि कर देगा।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन स्थावर संपत्ति के लिए गए विक्रय में, क्रय धन की धनराशि:—

(क) पचास लाख रुपये से **अधिक है**; या

(ख) ऐसी सम्पत्ति के रक्षित मूल्य अथवा विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम हो;

तो कलेक्टर मामले को आयुक्त को रिपोर्ट करेगा जो विक्रय की पुष्टि कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कलेक्टर या आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

धारा 195 कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना— धारा 192, धारा 193 या धारा 194 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन हुये किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो नीलामी क्रेता को कारण, यदि कोई है, बताने की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों पर अपास्त

कर सकता है।

धारा 196 कतिपय मामलों के विरुद्ध दावों का वर्जन—यदि धारा 193 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में अनियमितता या त्रुटि से संबंधित सभी दावे वर्जित हो जायेंगे।

धारा 197 क्रय धन का प्रतिदाय— जहां धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई विक्रय अपास्त कर दिया जाता है, क्रेता धारा 192 में उल्लिखित मामलों में व्यतिक्रमी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गयी ऐसी धनराशि के **एक प्रतिशत** के बराबर धनराशि सहित, अपने क्रय धन को वापस पाने का हकदार होगा।

धारा 198 विक्रय का प्रमाण-पत्र—(1) धारा 194 के अनुसार किसी विक्रय की पुष्टि के पश्चात् कलेक्टर, विक्रय की गयी सम्पत्ति और ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया था, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्रपत्र में क्रेता को एक प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(2) कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाया गया प्रमाण पत्र उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का विधिक अन्तरण समझा जायेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 में उपबन्धित के सिवाय इसको हस्तांतरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति क्रेता में उस दिनांक से, जब उसका विक्रय किया गया हो, निहित समझी जायेगी और ऐसे दिनांक से नहीं जब विक्रय की पुष्टि की गयी हो।

धारा 199 प्रमाण-पत्र प्राप्त क्रेता को कब्जा दिलाना—(1) कलेक्टर ऐसी सम्पत्ति का क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का जैसा आवश्यक समझा जाए, **उपयोग कर** सकता है या करा सकता है।

(2) इस धारा में कोई बात कलेक्टर को किसी व्यक्ति को, जिसको व्यतिक्रमी को प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व, हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं था, किसी सम्पत्ति के कब्जे से हटाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

धारा 200 विक्रय मूल्य का विनियोग— जहां धारा 194 के अधीन किसी सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गयी हो, वहां विक्रय का मूल्य निम्नलिखित क्रम में उपयोग किया जायेगा:—

(क) प्रक्रिया की लागत और संग्रह प्रभारों, यदि कोई हो को पूरा करने के लिए;

(ख) बकाया, जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया गया था, का भुगतान करने के लिए;

(ग) अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान व्यतिक्रमी को किया जायेगा।

धारा 201 अप्राधिकृत अधिमोगी की सरसरी बेदखली— कोई व्यक्ति किसी भूमि का या इस अध्याय के अधीन किसी कुर्क, पट्टे पर दी गयी या विक्रय की गयी अन्य सम्पत्ति का, उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कब्जा करता है या रखता है तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल, जैसा आवश्यक हो का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।

धारा 202 वाद का वर्जन- धारा 203 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भू-राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रहण या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

धारा 203 वाद के पूर्व भुगतान- जब कभी भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाय तो यह दावा की गयी धनराशि का वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है और ऐसा भुगतान किए जाने पर कार्यवाही रोक दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही शुरू की गयी थी, इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के लिए राज्य सरकार पर वाद दायर कर सकता है।

धारा 204 अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है- इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के मददे असामी या उसका कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कुर्की के पश्चात् किया गया कोई भुगतान विधिमान्य परिशोध न होगा।

धारा 205 अध्याय का लागू होना- इस अध्याय के उपबन्ध भू-राजस्व के सभी बकाये और इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् देय हुई भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य अन्य धनराशि पर लागू होंगे।

अध्याय-तेरह

राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया

धारा 206 सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए परन्तु इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार, परिषद, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी, इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त है, निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय या इस संहिता के अधीन:-

(क) कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; और

(ख) तृतीय अनुसूची के **स्तम्भ 3** में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के **स्तम्भ 2** में विनिर्दिष्ट किसी वाद, **प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही** पर विचार नहीं करेगा।

(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर, कि उपधारा (2)(ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकारिता थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति, प्रथम बार के न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और ऐसे सभी मामलों में जिसमें वाद बिन्दुओं का स्थिरीकरण किया जाता हो, वाद बिन्दुओं के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व, न की गयी

हो और जब तक कि न्याय परिणामिक रूप से असफल न हुआ हो।

धारा 207 प्रथम अपील—(1) तृतीय अनुसूची के **स्तम्भ 2** में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में पारित किसी अंतिम **आदेश या डिक्री** से व्यथित कोई व्यक्ति **स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट न्यायालय** या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है, जहां इस अनुसूची के **स्तम्भ 3** के समक्ष विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया हो।

(2) निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगी:—

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 में, या

(ख) उक्त संहिता की धारा 104 में, या

(ग) उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43, नियम 1 में।

(3) इस धारा के अधीन प्रथम अपील दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि, अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से तीस दिन होगी।

धारा 208 द्वितीय अपील—(1) जहां तृतीय अनुसूची के **स्तम्भ 2** में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो तो ऐसा पक्षकार **स्तम्भ 5** के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

(3) इस धारा के अधीन दाखिल किए जाने के लिए द्वितीय अपील की परिसीमा की अवधि ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, के दिनांक से 90 दिन होगी।

धारा 209 कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन— धारा 207 और 208 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी जो:—

(क) इस संहिता के **अध्याय ग्यारह** के अधीन किया गया:

(ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन विलम्ब की माफी के लिए किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना:

(ग) **पुनरीक्षण** के लिए किसी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना:

(घ) रोक के लिए किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना:

(ङ) किसी अधीनस्थ न्यायालय को मामले को प्रतिप्रेषित करना:

(च) जहां ऐसा **आदेश या डिक्री** अंतरिम प्रकृति का है:

(छ) पक्षकारों की सहमति से न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित: या

(ज) जहां ऐसा आदेश एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित किया गया है:

परन्तु यह कि एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित आदेश से क्षुब्ध पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से तीस

दिन की अवधि के अन्दर उस आदेश को अपास्त कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश उस पक्षकार को जिसके पक्ष में आदेश किया गया है, उपस्थित होने एवं इसके समर्थन में सुने जाने के लिए, पहले समन किये बिना उलटा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

धारा 210 अभिलेख मंगाने की शक्ति—(1) परिषद् या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का, जिसमें कोई अपील ¹[नहीं हो सकती है], ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, अभिलेख मंगा सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधितः किया है या तात्त्विक अनियमितता के साथ किया है,

तो यथास्थिति परिषद् या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद् या आयुक्त को दिया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेतर किसी प्रार्थना पत्र को उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— शंका के निवारण के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि, जब इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद् या तो आयुक्त के समक्ष दे दिया गया है तो उस प्रार्थना पत्र को, उनमें से दूसरे के समक्ष उसी आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दाखिल करने के प्रयोजनार्थ, वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी प्रार्थना पत्र पर, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से या इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक से जो भी बाद में हो, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार नहीं किया जायेगा।

धारा 211 परिषद् की पुनर्विलोकन की शक्ति—(1) परिषद् स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना-पत्र पर **अपने द्वारा** पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और इस सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

(2) निम्नलिखित आधारों के सिवाय, किसी आदेश **का उपधारा (1)** के अधीन पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा—

(क) किसी नयी और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य की खोज;

(ख) अभिलेखों को देखने से ही प्रकट कोई गलती या त्रुटि;

(ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

(3) पुनर्विलोकन पर पारित आदेश पुनर्विलोकित नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी आदेश के पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित

धारा 212 मामले को अंतरित करने की शक्ति—(1) जहां परिषद को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन होगा, वहां वह किसी मामले को एक राजस्व अधिकारी से समान या उच्चतर श्रेणी के उसी ज़िले या किसी अन्य ज़िले के दूसरे राजस्व अधिकारी को अंतरित करने का निर्देश दे सकता है।

(2) आयुक्त या कलेक्टर या उप जिलाधिकारी इस संहिता के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपनी पत्रावली में से निर्णय के लिए अपने से अधीनस्थ और ऐसा मामला या ऐसे मामलों के वर्ग को निर्णय करने में सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के हवाले कर सकता है या किसी मामले या मामलों के वर्ग को ऐसे राजस्व अधिकारी से वापस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को स्वयं निपटा सकता है या इसे किसी अन्य राजस्व अधिकारी को, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का निर्णय करने में सक्षम हो, निस्तारण के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 213 राज्य सरकार कतिपय मामलों में आवश्यक पक्षकार होगी— इस संहिता के उपबन्धों या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनके विरुद्ध इस संहिता के अधीन संस्थित किसी वाद में पक्षकार बनाया जायेगा।

धारा 214 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का लागू होना— जब तक इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो तब तक इस संहिता के अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध लागू होंगे।

धारा 215 प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे— किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश अथवा अन्य कार्यवाही में त्रुटि, लोप या अनियमितता मात्र के कारण किसी अपील या पुनरीक्षण में तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय का हनन न हुआ हो।

धारा 216 नोटिस को तामील कराना— इस संहिता के अधीन तामील कराये जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस या अन्य अभिलेख को निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील कराया जा सकता है:—

(क) ऐसे व्यक्ति को ही देकर जिसको तामील कराया जाना है, या

(ख) उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा, या

(ग) किसी निगमित कम्पनी या निकाय के मामले में, उसी कम्पनी या निकाय के सचिव या अन्य मुख्य कार्यकारी को सम्बोधित कर उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर, या

(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सम्मन की तामील के लिए दी गयी किसी अन्य रीति से।

धारा 217 राजस्व न्यायालयों को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीत करने की शक्ति नहीं होगी— इस संहिता के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद या किसी अन्य राजस्व न्यायालय को ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जिसमें इस संहिता का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों या किसी नियम या

तदधीन बनायी गयी या जारी की गयी अधिसूचना की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

अध्याय—चौदह

प्रकीर्ण

धारा 218 संहिता के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति— राज्य सरकार अपने द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व में रखे गए किसी भूमि को इस संहिता के सभी या किसी उपबन्ध के लागू होने से अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकती है और इसी प्रकार किसी अधिसूचना को रद्द या उपान्तरित कर सकती है।

धारा 219 प्रत्यायोजन— राज्य सरकार परिषद को या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को नियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न इस संहिता के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, अधिसूचना द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकती है **जिनका प्रयोग ऐसी निबन्धनों और शर्तों, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें,** के अधीन किया जायेगा।

धारा 220 भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति— इस संहिता के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, ऐसी निबन्धनों और शर्तों, जैसी विहित की जाय, के अधीन रहते हुए ऐसे लोक सेवकों के साथ जिन्हें इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है।

धारा 221 निरीक्षण करने और प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार— इस संहिता या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार किए गए या रखे गए सभी दस्तावेज, विवरण अभिलेख और रजिस्टर ऐसे समय और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के भुगतान जैसी विहित की जाय, पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और कोई भी व्यक्ति विहित फीस का भुगतान करने पर ऐसे दस्तावेज, विवरण, अभिलेख या रजिस्टर की या ऐसे दस्तावेज के किसी भाग की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।

धारा 222 कतिपय जिलों में क्षेत्रों की संगणना— इस संहिता के किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियत क्षेत्र की संगणना करने के प्रयोजन से निम्नलिखित क्षेत्रों में डेढ़ हेक्टेयर भूमि की गणना एक हेक्टेयर के रूप में की जायेगी:—

(क) झाँसी मण्डल और चित्रकूट मण्डल;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिलों का जमुनापार हिस्सा;

(ग) जिला सोनभद्र;

(घ) जिला मिर्जापुर में तहसील सदर का टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी (बलाये पहाड़); और

(ङ) मिर्जापुर जिला के तहसील चुनार के परगना सकटेशगढ़ और परगना अहरौरा और भगवत तथा तहसील मड़िहान का परगना भगवत के पहाड़ी पट्टी में चौथी अनुसूची में उल्लिखित गांव।

धारा 223 जुर्माना आदि की वसूली की रीति— इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार, **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय **या उनके द्वारा** वसूली योग्य किसी फीस, जुर्माना,

लागत, व्यय, शास्ति या मुआवजा, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानों वह भू-राजस्व का बकाया हो।

धारा 224 विवरण मंगाने की शक्ति— (1) जहां कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक समझे वहां वह किसी भू-धृति धारक या किसी भूमि पर काबिज किसी व्यक्ति से, ऐसे समय के भीतर जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, उसके द्वारा और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धारित या कब्जे में रखी गयी भूमि में उसके हित की प्रकृति और विस्तार से युक्त विवरण मांग सकता है।

(2) भू-खातेदार या उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति का, जो ऐसी भूमि में, हित रखता हो, जिसके अन्तर्गत हित की प्रकृति और विस्तार भी शामिल है, नाम और पता प्रकट करने के लिए भी कहा जा सकता है।

धारा 225 सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण— (1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस संहिता या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा यदि वह कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया है और इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्य के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहन के समय किया गया है।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस संहिता के उपबन्धों के फलस्वरूप हुयी या होने वाली किसी नुकसानी या उठायी गयी या उठायी जाने वाली किसी क्षति के लिए या इस संहिता के उपबन्धों या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गये या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

225—क संक्षिप्त कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण— इस संहिता के अन्य प्रावधानों में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी इस संहिता के अधीन किसी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारण के लिए उद्भूत सभी प्रश्नों को शपथ-पत्रों पर, विहित रीति से तय किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी, जिसने शपथ पत्र दाखिल किया है, की प्रतिपरीक्षा आवश्यक है, वहां वह ऐसी प्रतिपरीक्षा के लिए उस साक्षी को पेश करने हेतु निदेश दे सकेगा।

225—ख कैवियट दाखिल करना—(1) जहां इस संहिता के अन्तर्गत किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी प्रार्थना पत्र के दिये जाने की आशा है, उस प्रार्थना पत्र पर आक्षेप करने के अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति या तो वैयक्तिक रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके सम्बन्ध में, उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने की आशा है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कैवियट की प्रति तामील करने के बाद न्यायालय में कैवियट दाखिल कर सकता है।

(2) जहां पर कोई कैवियट दाखिल किया गया है और उसकी नोटिस तामील कर दी गयी है, वहां पर आवेदक, न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय, इस बात का प्रमाण देगा कि उस दिनांक, जिस पर प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, की लिखित पूर्व सूचना कैवियेटर या उसके अधिवक्ता को दे दिया है।

(3) यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई कैवियट दाखिल की जाती है तो उसकी प्रविष्टि कैवियट के रजिस्टर में विहित रीति से की जायेगी।

225—ग समिति का गठन— (1) संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलेक्टर ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी समिति, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, प्रकरणों के निस्तारण एवं व्यथाओं के निवारण में विहित रीति से सहायता करने के लिए, गठित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और चार अन्य सदस्य होंगे जो विहित रीति से नामित या पदनामित किये जायेंगे :

परन्तु यह कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का एक सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होगा।

225—घ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो परगने का प्रभारी न हो, की शक्तियाँ— सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो किसी ज़िले के परगने का प्रभारी नहीं है, परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को प्रदत्त सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों में कर सकता है, जिसे कलेक्टर समय-समय पर निपटारे के लिए उसके पास भेजे।

225—ङ सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ— सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ऐसे मामलों की जांच करने एवं उस पर आख्या देने के लिए प्राधिकृत हैं जो किसी ज़िले का कलेक्टर या परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर समय-समय पर जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन करने लिए उसके पास भेजे।

225—च मामलों का समेकन— (1) जहां निर्धारण के लिए सारतः समान प्रश्न से युक्त एवं समान वाद कारण पर आधारित एक से अधिक मामले भिन्न-भिन्न न्यायालयों में चल रहे हों, वहां किसी पक्षकार द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, जिसके अधीन सम्बन्धित न्यायालय हैं, एक ही न्यायालय में अन्तरित एवं समेकित किये जायेंगे और एक ही निर्णय द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

(2) जहां दो या दो से अधिक वाद या कार्यवाहियां एक ही न्यायालय में विचाराधीन हैं, और वह न्यायालय इस राय का है कि न्याय के हित में समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उनके संयुक्त परीक्षण का निदेश दे सकता है, जिस पर ऐसे सभी वाद और कार्यवाहियां सभी या किसी ऐसे वादों या कार्यवाहियों में साक्ष्य पर विनिश्चित की जा सकेंगी।

अध्याय—पन्द्रह

शास्तियाँ

धारा 226 अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति जो,—

(क) गांव की किसी सार्वजनिक सड़क (चकरोड सहित), पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है, या

(ख) उप ज़िलाधिकारी द्वारा धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या

(ग) तहसीलदार द्वारा धारा 25 या धारा 26 के अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या

(घ) धारा 42 या धारा 48 के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है;

जुर्माना का दायी होगा जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा और किसी अन्य मामले में पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति से यथा स्थिति उप ज़िलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपेक्षा की जा सकती है कि वह पन्द्रह हजार रुपये से अनधिक ऐसी धनराशि, जिसे संबंधित अधिकारी ऐसे कार्य या विफलता की पुनरावृत्ति से प्रविरत रहने के लिये ठीक समझें का बन्धपत्र निष्पादित करें।

धारा 227 सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी— (1) यदि कोई व्यक्ति अध्याय—चार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विधिपूर्वक परिनिर्मित किसी सीमा चिन्ह को जान बूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुँचाता है या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है तो उसे तहसीलदार द्वारा इस प्रकार नष्ट किये गये, क्षति पहुँचाये गये या हटाये गये प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिये एक हजार रुपये से अनधिक की ऐसी धनराशि जो तहसीलदार की राय में इसे पुनःस्थापित करने के व्यय को पूरा करने और इतला करने वाले को पुरस्कार देने, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक हो, का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नुकसानी की वसूली, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ऐसे नाश क्षति या हटाने के संबंध में किये गये किसी अपराध के लिये अभियोजन से विवर्जित नहीं करेगी।

धारा 228 अविधिमान्य रूप से वृक्षों को काटने और हटाने के लिये शास्ति— (1) कोई व्यक्ति, जो किसी वृक्ष या उसके किसी भाग को, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम पंचायत की सम्पत्ति है, इसके लिये किसी प्राधिकार के बिना काटता है, हटाता है या अन्यथा काम में लाता है, इसके मूल्य का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा जो उससे किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त जिसका वह भूमि का अध्यासन करने के कारण या अन्यथा, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन भागी हो सकता है और किसी ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के होते हुये भी जो इस प्रकार काटने, हटाने या उपयोग करने के संबंध में उसके विरुद्ध सन्स्थित की जा सकती है, वसूल किया जा सकेगा।

(2) कलेक्टर किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृक्ष या उसके भाग के अधिहरण का निदेश दे सकता है।

धारा 229 अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति— प्रत्येक व्यक्ति जो:—

(क) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन विधिपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है और जिसे मिथ्या मानने का उसके पास कारण हो; या

(ग) कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी या ग्राम पंचायत को किसी भूमि का कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त करने में बाधा डालता है; या

(घ) किसी अधिकारी या लोक सेवक को धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने में बाधा डालता है;

दोष सिद्ध होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय—सोलह निरसन और अपवाद

धारा 230 निरसन—(1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अधिनियमन के निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(क) **उत्तराखण्ड** राज्य में ऐसे किसी अधिनियमन के लागू रहने पर;

(ख) किसी अधिनियमन के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात पर; या

(ग) कोई अन्य अधिनियमन जिसमें ऐसा अधिनियमन उपयोजित, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया हो; या

(घ) पहले से कुछ भी किए गए या सहन किए गए कार्य की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, हक या बाध्यता या दायित्व जिसमें विशेष रूप से सभी परिसम्पत्तियों को राज्य में निहित करना और इसमें सभी मध्यवर्तियों के सभी अधिकार, हक और हित को समाप्त करना सम्मिलित है; या इसके सम्बन्ध में कोई उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण का या से निर्मोचन या उन्मोचन, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग, या पहले से स्वीकृत कोई क्षतिपूर्ति या विगत में किए गए किसी कार्य या वस्तु का सबूत; या

(ङ.) विधि का कोई सिद्धान्त, नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का रूप या माध्यम, प्रथा या प्रक्रिया या विद्यमान उपयोग, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति:

परन्तु किसी ऐसे अधिनियमन के अधीन किसी कृत, कार्य या कार्यवाही को जिसमें बनाया गया कोई नियम, नियम संग्रह, निर्धारण, नियुक्तियाँ एवं अन्तरण जारी की गयी अधिसूचनाएं, सम्मन, नोटिस, वारण्ट और उद्घोषणा, प्रदत्त शक्ति, दिया गया पट्टा, नियम सीमा चिन्ह, तैयार किया गया अधिकार अभिलेख और अन्य अभिलेख अर्जित अधिकार और उपगत दायित्व भी सम्मिलित है; जहाँ तक वे इस संहिता के उपबन्धों से असंगत न हो, इस संहिता के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझा जायेगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस संहिता के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही से अधिक्रमित न हो जाय।

धारा 231 विचाराधीन कार्यवाहियों पर संहिता का लागू होना—(1) इस संहिता में जैसा अन्यथा रूप से उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समस्त मामलों का, चाहे वे अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या **अन्य रूप में हों**, का विनिश्चय समुचित विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा, जो उन पर लागू होते, यदि यह संहिता **पारित न हुयी होती।**

(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सिविल न्यायालय में विचाराधीन सभी मामलों का, जिस पर इस संहिता के अधीन अनन्य रूप से किसी राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के

पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

धारा 232 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमनों के उपबन्धों से इस संहिता के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस संहिता के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (चाहे वे उपान्तरों, परिवर्द्धनों या लोप के रूप में हों) के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष पश्चात्, कोई ऐसा आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

धारा 233 नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जा सकती है:—

(एक) परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की अवधि और शर्तें;

(दो) परिषद के कार्य के वितरण का विनियमन और अपनी अधिकारिता के क्षेत्रीय मण्डलों को बनाना;

(तीन) राजस्व क्षेत्रों के परिवर्तन, समाप्ति या सृजन के लिए दिशा निर्देश;

(चार) **सीमाओं के निर्धारण** की प्रक्रिया, सीमा चिन्हों का विनिर्देश, निर्माण और अनुरक्षण, **उनकी लागत** का उद्ग्रहण और वसूली;

(चार-क) उपलब्ध आधुनिक तकनीक एवं अंकीकरण प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा सर्वे क्रिया और अभिलेख क्रिया जिसके अन्तर्गत आबादी का सीमांकन भी सम्मिलित है, के लिए प्रक्रिया;

(पांच) इस संहिता के अधीन नक्शों, दस्तावेजों, विवरणों, अभिलेखों और रजिस्ट्रों को तैयार करने और अनुरक्षण की प्रक्रिया, उनके निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां या उद्धरण देने की प्रक्रिया;

(छः) उत्तराधिकार और अन्तरण के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार को सूचना देने और ग्रामीण अभिलेखों जिसमें नामान्तरण और ग्रामीण अभिलेखों को ठीक करना भी है, की प्रक्रिया;

(सात) किसान बही को तैयार करने, उसकी आपूर्ति तथा उसके अनुरक्षण की प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित मामले जिसमें उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस भी है;

(आठ) सार्वजनिक सड़क, पथों या नहरों के किनारे वृक्षारोपण से संबंधित और आबादी और अनाध्यासित भूमि में वृक्षों से सम्बन्धित विवादों के अवधारणा की प्रक्रिया;

(नौ) राज्य सरकार, **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या उसमें निहित सम्पत्तियों के संरक्षण, परिरक्षण और निपटाने की प्रक्रिया जिसमें उसकी नुकसानी, दुर्विनियोग या सदोष दखल के लिए मुआवजा का अवधारणा भी है;

(दस) **भू-राजस्व के निर्धारण के सिद्धान्त** जिसमें इसका फेरफार, परिहार, निलम्बन और **प्रभाजन** भी है;

(ग्यारह) भू-राजस्व और अन्य सार्वजनिक धन के संग्रह की प्रक्रिया और उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन से सम्बन्धित मामले जिसमें लागत और संग्रहण प्रभार नियत करना भी शामिल है;

(बारह) लगान नियत करने और उसके संराशीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऐसी परिस्थितियां भी शामिल हैं जिनमें लगान का बकाया बट्टे खाते में डाला जा सकता है;

(तेरह) किसी ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति से सम्बन्धित मुकदमें में विधि व्यवसायियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और ऐसी नियुक्तियों की अवधि और शर्तें;

(चौदह)वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों के संचालन और अभियोजन से सम्बन्धित प्रक्रिया जिसमें इस संहिता के अधीन विभिन्न जांच करने की प्रक्रिया भी है;

(पन्द्रह) कलेक्टर द्वारा पट्टा देने, ऐसे पट्टा का निरस्तीकरण और राज्य सरकार, **ग्राम पंचायत** और स्थानीय प्राधिकारी की भूमि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली की प्रक्रिया;

(सोलह) **ग्राम पंचायत** को सौंपी गयी भूमि का आवंटन, आवंटी को कब्जा वापस दिलाना और ऐसे आवंटन के निरस्तीकरण से सम्बन्धित प्रक्रिया;

(सत्रह) इस संहिता के अधीन अधिकारिता वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(अठारह) ऐसी समय सीमा आरोपित करना जिसके भीतर इस संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कार्य किया जाना चाहिए;

(उन्नीस) इस संहिता के अधीनवादों, अपीलों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली फीस;

(बीस) किसी **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी नदियों, झीलों, पोखरों और तालाबों में मछलियां पकड़ने के लिए विनियमित करना;

(इक्कीस) चरागाह, श्मशान घाट या कब्रिस्तान और गांवों में पशुओं और चिड़ियों को **पकड़ने, शिकार करने या गोली मारने** को विनियमित करना;

(बाइस) इस संहिता के अधीन कोई अन्य विषय जिसमें नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों।

(3) किन्हीं निरसित अधिनियमनों के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाए गए और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त नियम और आदेश, जहां तक वे इसके उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार विखंडित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जायें।

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार के लिए यह विहित करना विधिपूर्ण होगा कि कोई व्यक्ति जो उसका उल्लंघन करे, ऐसे उल्लंघन से होने वाले अन्य परिणाम के अतिरिक्त **पचीस हजार रुपये** से अनधिक ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जिसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी आरोपित करना उचित समझे।

धारा 234 विनियमावली बनाने की शक्ति—(1) इस संहिता के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए, विनियमावली बना सकती है—

(क) इस संहिता के अधीन **वादों**, प्रार्थना पत्रों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालयों और राजस्व अधिकारियों को शासित करने की प्रक्रिया; और

(ख) भू-अभिलेख और उससे सम्बन्धित मामलों के तैयार करने, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए दिशा निर्देश;

(ग) तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कर्तव्य विहित करने और उनकी तैनाती, स्थानान्तरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति विनियमित करने के लिए;

(घ) याचिका लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया;

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो नियमावली द्वारा विहित किये जायें।

(2) उपधारा (1) के अनुसार बनाए गए सभी विनियमों में विधि का बल होगा।

(3) इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त, राजस्व न्यायालय मैनुअल, भू-अभिलेख मैनुअल, संग्रह मैनुअल और भू-राजस्व (सर्वे तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वे इस संहिता के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस धारा के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विखण्डित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जायें।

**प्रथम
अनुसूची**

प्रथम अनुसूची (धारा 2 तथा 230 देखिए)

सूची-क

सामान्य उपयोग के अधिनियमन

क्रम संख्या	निरसित अधिनियमों का नाम
1.	द यूनाइटेड प्रोविंसस रेवेन्यू आफिसर्स रेग्यूलेशन, 1803
2.	द बंगाल इण्डिगो कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन, 1823 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1823 का 6)
3.	द बंगाल इण्डिगो कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1830 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1830 का 5)
4.	द बंगाल लैण्ड रेवेन्यू (सेलटलमेण्ट एण्ड डिप्टी कलक्टर) रेग्यूलेशन, 1833 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1833 का 9)
5.	द बंगाल इण्डिगो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐक्ट, 1836 (वर्ष 1836 का ऐक्ट संख्या 10)
6.	द बुन्देलखण्ड एलीनेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, 1903

	(वर्ष 1903 का ऐक्ट संख्या 2)
7.	बनारस पारिवारिक भू-सम्पदा अधिनियम, 1904 (वर्ष 1904 का अधिनियम संख्या 3)
8.	उत्तर प्रदेश विलीन राज्य विधियों को लागू करने का अधिनियम, 1950 (वर्ष 1950 का अधिनियम संख्या 8)
9.	दुदही राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश का वर्ष 1951 का अधिनियम संख्या 32)
10.	संयुक्त प्रान्त लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901
11.	द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट, 1911
12.	द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट, 1915
13.	द गोरखपुर गोरेट्स ऐक्ट, 1919
14.	संयुक्त प्रांत राजस्व परिषद् अधिनियम, 1922
15.	संयुक्त प्रान्त एबेटमेन्ट आफ रेंट सूट्स ऐक्ट, 1938
16.	द यू पी हिन्दू वीमेन्स राइट टू प्रापर्टी (एक्सटेंशन टू एग्रीकल्चरल लैण्ड्स) ऐक्ट, 1942
17.	संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, 1947
18.	उत्तर प्रदेश काश्तकारी (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान ऐक्ट, 1949
19.	उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950
20.	रामपुर में बेदखली के बाद और व्यवहार रोकने का अधिनियम, 1951
21.	उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, 1952
22.	उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) अधिनियम, 1952
23.	उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, 1952
24.	रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, 1953
25.	उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956
26.	उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अधिनियम, 1957
27.	उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, 1958
28.	उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, 1960
29.	उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपत्तिक अधिभार अधिनियम, 1965
30.	उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1966
31.	उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970
32.	उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972

सूची-ख

प्रथम
अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से सम्बन्धित अधिनियमन

क्रम संख्या	निरसित अधिनियमों का नाम
1.	अल्मोड़ा आनरेरी असिस्टेन्ट कलेक्टर डिक्रीज एण्ड आर्डर्स वैलिडेटिंग ऐक्ट, 1938
2.	जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, 1952
3.	कुमायू कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1954
4.	जौनसार बावर परगना (ज़िला देहरादून) राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958
5.	जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956
6.	कुमायू तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960
7.	कुमायू तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम, 1975

द्वितीय
अनुसूची

द्वितीय अनुसूची

(धारा 206(2)(क) देखिए)

सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषय

1.	सीमाओं के अभ्यंकन या सीमा चिह्नों को नियत करने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
2.	आबादी के अवधारण के लिए कलेक्टर द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर आक्षेप करने का कोई दावा।
3.	किसी राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि किए जाने या किसी ऐसी प्रविष्टि को निकालने, उपान्तरित या प्रतिस्थापित किए जाने का कोई दावा।
4.	भू-राजस्व या लगान के निर्धारण, माफी या निलंबन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
5.	राज्य सरकार द्वारा संग्रह या भू-राजस्व की वसूली के लिए ऐसी

	सरकार द्वारा किसी प्रक्रिया के प्रवर्तन या इस संहिता के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से सम्बन्धित या उससे उत्पन्न होने वाला कोई दावा।
6.	राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में इस संहिता के अधीन किसी सम्पत्ति किसी सम्पत्ति के निहित होने के विरुद्ध कोई दावा।
7.	इस संहिता के अधीन कोई जुर्माना, लगान, व्यय प्रभार, शास्ति या मुआवजा के उद्ग्रहण या अधिरोपण से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
8.	किसी भूमि से सदोष बेदखल या बेकब्जा किए गए किसी भूमिधार या असामी के पुनःस्थापन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
9.	इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी राजस्व अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए विवश करने का कोई दावा।
10.	अध्याय दो के अधीन राजस्व क्षेत्रों और लेखपाल सक्रिल के विभाजन, सृजन, समामेलन, समाप्ति या पुनः समायोजन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
11.	धारा 64 या धारा 125 में उल्लिखित भूमि के आबंटन या ऐसे आबंटन को रद्द किए जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
12.	धारा 71 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निदेश पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
13.	धारा 124 में उल्लिखित किसी भूमि और उसके भाग पर कब्जा दिए जाने या धारा 134 या धारा 201 के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल किए जाने पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
14.	अध्याय ग्यारह के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश की विधि मान्यता पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
15.	किसी भूमि पर कब्जा से सम्बन्धित कोई दावा।
16.	किसी भूमि के सम्बन्ध में सह-भू-धृतिधारक के अधिकारों को सिद्ध करने विषयक कोई दावा।

तृतीय
अनुसूची

तृतीय अनुसूची (धारा 206, 207 और 208 देखिए)

धारा	वाद आवेदन या कार्यवाहियों का विवरण	प्रारम्भिक अधिकारिता का न्यायालय या अधिकारी	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
24	सीमा और सीमा चिह्न	उप जिलाधिकारी	आयुक्त	—

35	नामान्तरण वाद	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी	शून्य
54, 56, 57	वृक्षों सम्बन्धी विवाद	कलेक्टर	आयुक्त	—
67	ग्राम पंचायत भूमि से अवैध कब्जे की बेदखली	सहायक कलेक्टर	कलेक्टर	—
82(2)(ग)	किसी संविदा या पट्टे के आधार पर किसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भूमिधर द्वारा बेदखली के लिए वाद	उप जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद्
85(1)	अहस्तांतरणीय अधिकार रखने वाले किसी भूमिधर के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
85(2)	किसी असामी के विरुद्ध किसी भू-धारक द्वारा बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
96(2)	किसी निःशक्त सह-अंशधारी द्वारा विभाजन के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
116	किसी जोत के विभाजन के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
131(1)	किसी असामी की बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
131(4)	किसी असामी के विरुद्ध बकायों या लगान की वसूली के लिए वाद	¹ [उपजिलाधिकारी]	कलेक्टर	शून्य
133	व्यादेश, प्रतिकर आदि के लिए वाद	¹ [उपजिलाधिकारी]	तदैव	तदैव
134	हक के बिना भूमि का अभियोग रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली या नुकसानों या दोनों के लिए वाद	उप जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद्
137(1)	कब्जा, प्रतिकर या व्यादेश के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
139(1)	लगान को नियत करने हेतु आवेदन	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी	शून्य
141(1)	लगान के न्यूनीकरण के लिए आवेदन	उप जिलाधिकारी	कलेक्टर	शून्य
144	भूमिधर या असामी द्वारा घोषणा के लिए वाद	तदैव	आयुक्त	परिषद्
145	ग्राम पंचायत द्वारा घोषणा के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
151(1)	बेदखली या नुकसानों या दोनों के लिए किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा वाद	तदैव	तदैव	तदैव

टिप्पणी- धारा 82 (2) (ग) से धारा 131 (1), धारा 134, 137 (1) और धारा 139(1) से धारा 151(1) से सम्बन्धित प्रविष्टियों में वर्णित वादों की सुनवाई एवं विनिश्चय किसी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, (उप जिलाधिकारी से भिन्न) द्वारा भी, जिसे कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्थानान्तरित किया जाएगा, की जाएगी।

¹ उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 की धारा 20 द्वारा तृतीय अनुसूची में, धारा 131 की उपधारा (4) और धारा 133 के सापेक्ष प्रविष्टि में, शब्द 'तहसीलदार' के स्थान पर शब्द 'उपजिलाधिकारी' प्रतिस्थापित

चतुर्थ
अनुसूची

चतुर्थ अनुसूची
धारा 222 देखिए

सूची "क"

परगना अहरौरा के ग्रामों की सूची

1.	अमडीह		11.	कुतलुपुर
2.	बघोर		12.	लोहरा
3.	बाघरी		13.	मद्धूपुर
4.	बंतारा		14.	मझुई
5.	बाट		15.	मुबारकपुर
6.	भवानीपुर		16.	मगनर हरैया
7.	धोतवा		17.	पवही
8.	धुराही		18.	सुकरट
9.	खमल्हरिया		19.	तकिया
10.	खान अरजमपुर			

"सूची-ख"

परगना भगवत के ग्रामों की सूची

1.	बन इमलिस		10.	निबिया
2.	जरगल महाल		11.	रामपुर बरहो
3.	सेमरा बरहो		12.	सोनबरसा
4.	खटखरिया		13.	बिसुमपुरा
5.	कोहराडीह		14.	खम्लरिया
6.	तालर		15.	पुरैनिया
7.	चित बिसराम		16.	निकरिका
8.	पडरवा		17.	धनसिरिया
9.	हिनौता		18.	गढ़वा